खण्ड-156, अंक-1
सोमवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(12 सितम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 156 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता दास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले
उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सिंगराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उपमंत्रियों एवं सभा सचिवों के लिये नवनिर्मित भवन

**१—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार शीघ्र दारुलशफा में निवास करने वाले उप-मंत्रियों एवं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को नये निर्मित भवनों में ले जाने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—जी हां।

श्री रामेश्वरलाल —क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मंत्रियों, उप-मंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को कब तक विधायक निवास से नवनिर्मित भवनों में ले जाया जायगा?

श्री धर्मसिंह—जब वह बन कर तैयार हो जायेंगे तभी उनको वहां ले जाने का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इन नवनिर्मित मकानों में जाने की इच्छा नहीं रखते?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है, जितने बनवाये जा रहे हैं उतने लोग उसमें जाने को तैयार हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के लिए कितने मकान बनवाये जा रहे हैं?

श्री धर्मसिंह—इस समय तो केवल ४ बनवाये जा रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि जो लोग इन मकानों में जायंगे वह अपने इन मकानों का क्या किराया देंगे?

श्री धर्मसिंह—जब वह बन जायंगे तभी तय होगा कि कितना किराया देंगे।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास में निवास करने वाले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उप-मंत्री वहां कितने कमरों को इन्गेज किए हुए हैं?

श्री धर्मसिंह—७ वहां रह रहे हैं, ७ ही कमरे हैं जिनमें से कुछ फेमिली सुईट्स भी हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या इन उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को वही किराया देना पड़ता है जो मंत्रियों को देना पड़ता है?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, उससे अधिक देना पड़ता है।

श्री शिवनारायण—कितना ज्यादा देना पड़ता है?

श्री धर्मसिंह—वह तो कितने ही कमरे हैं, जो फेमिली सुईट्स हैं उनको सौ रुपया देना पड़ता है, और दूसरे कमरों के लिए किसी को ५७॥ रुपया और बाकी को उससे कुछ कम देना पड़ता है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ४ भवनों के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है?

श्री धर्मसिंह—वह तो अभी बन ही रहे हैं, अभी पूरा व्यय नहीं हुआ है।

राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ आवेदन-पत्र

**२—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिये एक अलग विभाग तथा एक विशेषाधिकारी नियुक्त हुये हैं? इस विशेषाधिकारी के पास अभी तक (२५ अगस्त, १९५५ तक) कुल कितने आवेदन-पत्र आये हैं और उन पर अभी क्या और कितनी कार्यवाही हो सकी है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। लगभग १०,००० के ऊपर प्रार्थना-पत्र आये हैं और उन पर जिलेवार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। १४५ व्यक्तियों को पेन्शन दी जा चुकी है और ४० की पेंशन बढ़ाई जा चुकी है।

**३—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि "राजनीतिक पीड़ित" शब्द की जो परिभाषा अभी तक मानी गई है, उसमें संशोधन करने का उसका कुछ विचार है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि सदन में बता चुका हूं काफी संशोधन किया जा चुका है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवेदनकर्ताओं द्वारा किस-किस प्रकार की मांगें आई हैं?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी समझ गए हों तो उत्तर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न का ठीक मतलब तो माननीय प्रश्नकर्ता ही समझ होंगे, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं कुछ पेंशन के तौर पर चाहते हैं, कुछ पढ़ाई आदि के लिए, कुछ लड़की की शादी के लिए, कुछ रोजगार व्यापार के लिए, पैसा चाहते हैं, यही चार पांच मिसालें हमारे सामने आती हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम व्याख्या राजनीतिक पीड़ित की क्या की गई है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कहते हैं कि सदन में वह बतला दी गई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---मैं जानना चाहता हूं कि उस समय से कई व्याख्या की जा चुकी है, अब वह अन्तिम व्याख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष---इसका वह जवाब पहले दे चुके हैं ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सब जिलों से दरख्वास्तें आ गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने दस हजार दरख्वास्तों को नहीं देखा है, लेकिन मेरे खयाल से आ ही गई होंगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश का प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, इन सब सवालों का जवाब मुश्किल से एक हफ्ता हुआ मैंने दे दिया था। बहरहाल, फिर मैं आपकी आज्ञा से दुहरा देता हूं। मैंने कहा था कि माननीय सदस्यों ने उस फार्म को देखा होगा। उसमें लिखा है कि जिलाधीश का प्रमाण-पत्र होना ही आवश्यक नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी या कोई दो सज्जन उनके साथ जो जेल में रह चुके हों या किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र ही काफी हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनको सहायता दी जायगी उनके छांटने का तरीका क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो अधिकारी हैं उन पत्रों को पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि के अनुसार जिसको ठीक समझेंगे रखेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि वह राजनीतिक पीड़ित जो कार्य करने के योग्य हैं परन्तु जिनकी आर्थिक अवस्था खराब हो गई है क्या उनको व्यापार के लिये सहायता दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि जो दरख्वास्तें आयी हैं उनमें ऐसे लोगों की दरख्वास्तें हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के विरोधी दलों में सम्मिलित हो गये हैं, यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या नीति होगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंग कि १४५ व्यक्तियों को पेंशनें दी जाती हैं वह किन किन जिलों की और कितनी कितनी हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह बहुत लम्बी लिस्ट होगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---यह जो विशेषाधिकारी इस कार्य के लिये नियुक्त हुये हैं ये पहले किस पद पर थे और इनको इस समय क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे उत्पन्न नहीं होता। यह राजनीतिक पीड़ितों का प्रश्न है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सन् १९४५ के बाद भी कोई राजनीतिक पीड़ित हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह माननीय सदस्य राय पूछते हैं। वे स्वयं अपनी राय कायम कर सकते हैं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों का आवेदन-पत्र लेने के लिये कोई अन्तिम तिथि है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। कोई तारीख रखी गई थी, मुझे याद नहीं है कि वह कौन तारीख थी, लेकिन उसको कई बार बढ़ाया गया। जिन जिलों में बाढ़ आ गई थी उनके लिये तो १५ तारीख तक कर दी गई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वाभिमानवश यदि कोई आवेदन-पत्र न करे तो क्या दूसरों द्वारा उसके लिये आवेदन-पत्र दिये जाने पर कोई विचार उस पर होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रायः ऐसा होता भी नहीं और न होना ही चाहिये लेकिन यदि किसी अवस्था में ऐसा हो तो विचार किया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[६ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

ओला गिरने से रुड़की तहसील में फसल को हानि

*४—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि मार्च के प्रारम्भ में ओला पड़ने से रुड़की तहसील में फसल को भारी हानि पहुंची है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां।

*५—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतायेगी कि इस हानि का तखमीना क्या है और यह हानि कितने गांवों में हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह हानि तहसील रुड़की के १८८ ग्रामों में अनुमानतः ३६ लाख रुपये की हुई।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रुड़की तहसील के किसानों को लगान और आबपाशी में कितनी छूट दी गई और कितनी तकावी मिली ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तकावी ३ लाख १५ हजार रुपये और रिलीफ वर्क पर २५ हजार रुपये।

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी जमींदारों को प्रतिकर

*६—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अंग्रेजों के अतिरिक्त जो २० विदेशी जमींदार, जमींदारी खात्मा कानून के लागू होते समय प्रदेश में थे, उन्हें कितना-कितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय प्रदेश में अंग्रेजों के अतिरिक्त केवल १७ विदेशी जमींदार थे। प्रत्येक को प्रतिकर की देय निर्धारित धनराशि की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३ पर।)

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन १७ जमींदारों में कितने हमारे देश में बस गये हैं स्थायी रूप से और कितने अपने देश को वापिस चले गये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अधिकतर लोग बाहर के हैं और बाहर चले गये हैं। यहां रहने वालों की संख्या मालूम नहीं, ज्यादातर सभी चले गये हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इनको जो रकम दी जाने वाली है दी जा चुकी है या अभी बाकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रकम कुछ उनको दी जा चुकी है और कुछ सरकार के ऊपर पावना था उसमें वह एडजस्ट हो गयी है और थोड़ी सी रकम बाकी है जो उन्हें देनी है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री कुल धनराशि का योग बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१,२१,५०७ रु०।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी उस सूची को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से सूची आप बाद में ले लेंगे क्योंकि पढ़ने में अधिक समय लगेगा।

मिर्जापुर जिले में पकरी ग्राम के वर्षा पीड़ित हरिजनों को गृह निर्माण के लिये आर्थिक सहायता

*७—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या माल मंत्री को यह मालूम है कि ग्राम पकरी का पुरा तथा चैरासी तहसील व जिला मिर्जापुर के हरिजनों (चमारों) की बस्ती लगभग तीन ओर से नदी व नालों के घिर जाने के कारण भयावह स्थिति में पड़ गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला मिर्जापुर में ग्राम पकरी का पुरा के लगभग ३० घरों की हालत वर्षा ऋतु में खतरनाक हो जाती है। इनमें से ८ घर हरिजनों के हैं।

*८—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या मन्त्री जी उस बस्ती के गरीब भूमिहीन हरिजनों की दयनीय दशा को देखते हुये इस वर्ष वर्षा प्रारम्भ होने के पहले ही उन्हें उसी ग्राम के अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रभावित ग्रामीणों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु पैतृक घर की ममता के कारण वे स्वयं अपने मौजूदा घरों को छोड़ना नहीं चाहते।

*९—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या मंत्री जी उनकी गरीबी को देखते हुये गृह-निर्माण के हेतु सरकार की ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि उस प्रवाहित गांव के कुछ लोग पैतृक ममता को छोड़ कर सरकार के पास आवेदन-पत्र भेजें तो वह उनको उसी गांव में बसाने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह नहीं कहा जा सकता उसी गांव में लेकिन किसी न किसी गांव में उन्हें बसाने की व्यवस्था अवश्य की जायगी।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी तारांकित प्रश्न को देने के पहले या कोई जांच-पड़ताल करने के पहले वहां के अधिकारी सरकार के पास इत्तिला भेजते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो इत्तिला आती है वह जांच-पड़ताल के बाद ही आती है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको क्या सहायता दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता लेकिन जिलाधीश ने अन्दाज किया है कि उनको दूसरी जगह बसाने के लिये १६ हजार रुपये खर्च होंगे ।

द्योली, जिले अल्मोड़ा में अति वृष्टि से हानि के कारण ग्रामीणों को अन्यत्र बसाने का प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि पिछली बरसात में जिला अल्मोड़ा में तेज पानी गिरने से पट्टी मल्ला सालम में ग्राम द्योली की जमीन धंस गई है और मकानों में दरारें पड़ गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५४ ई० की वर्षा में ऐसी कोई हानि नहीं हुई । ग्राम द्योली में जमीन का धंसना सन् १९१९ ई० में ही आरम्भ हो गया था और सन् १९२४ ई० की तेज वर्षा के कारण इस जमीन में दरारें पड़ गई थीं और तब से सन् १९५४ ई० की वर्षा ऋतु तक जमीन का धंसना जारी रहा । इस ग्राम के १ पक्के मकान त था २ झोपड़ियों में दरारें पड़ गई हैं और जमीन लगभग ५० प्रतिशत खेती के अयोग्य हो गई है ।

*११—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त गांव के निवासियों ने सरकार को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि जमीन धंसने की वजह से गांव की हालत खतरनाक होने के कारण उन्हें बसने के लिये किसी अन्य स्थान में भूमि प्रदान की जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५३ में ग्राम निवासियों ने मारनौली के प्रथम श्रेणी के रक्षित वन के अन्तर्गत जमीन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था । चूंकि चाही गई जमीन से जंगल काटना असम्भव था, अतएव प्रार्थियों को तराई भाबर में जमीन मांगने के लिये राय दे दी गई थी । तराई भाबर पसन्द न होने के कारण ग्राम वासी चुप बैठे रहे ।

*१२—श्री गोवर्धन तिवारी—यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें भूमि देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुल ६ ऐसे ग्राम निवासियों ने तराई भाबर में जमीन के लिये अब प्रार्थना-पत्र दिये हैं जिनके पास ३० नाली से ज्यादा हिस्सेदारी या खैकारी जमीन मौजूद थी । अतः न तो उन्हें भूमिहीन कहा जा सकता है न खामिया ब्लाक के अन्तर्गत जमीन दिलाये जाने की उनकी प्रार्थना पूरी की जा सकती है, क्योंकि वहां कोई जमीन अब बाकी नहीं है जो कि उन्हें दी जा सके ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि इसी गांव के छिपना तोक में श्री राम लाल का नौ जनों का परिवार और ढोढ़ तोक में स्थित श्री हरिराम ओड़ का तीन जनों का परिवार मय मकान के और जानों के धंस गया और उसका पता नहीं लगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री गोवर्धन तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो जरूर इसका पता लगायेंगे ।

ग्राम, रमोल, तहसील मौदहा में अग्निपीड़ित व्यक्तियों को सहायता

*१३---श्री तेजप्रतापसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में रमोल तहसील में मौदहा में आग लग जाने के कारण किन व्यक्तियों की कितनी क्षति हुई तथा सरकार का उन्हें क्या इमदाद देने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ग्राम रमोल तहसील मौदहा में दिनांक १८ मार्च, १९५५ को, आग लग जाने से १० व्यक्तियों की हानि हुई जिसका विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है ।

पीड़ित व्यक्तियों को ८५० रु० तकावी, १०० रु० अनुदान तथा सरकारी जंगल से घर बनाने के लिये बिना कीमत लकड़ी दी गई ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४ पर ।)

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पीड़ित व्यक्तियों की मालगुजारी माफ करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मालगुजारी का सवाल तो अभी उठता नहीं ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या सरकार इन पीड़ित व्यक्तियों की खराब हालत को देखते हुये इनकी मालगुजारी माफ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अन्दाजा ऐसा लगाया जाता है कि उनके खेतों में जरूर पैदावार हुई होगी । इसलिये अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया ।

प्रदेश के शरणार्थियों के क्लेम्स का भुगतान

*१४---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने शरणार्थियों को उनके क्लेम्स (claims) का भुगतान हो चुका है और अभी कितनों के भुगतान बाकी हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है न कि प्रदेशीय सरकार से । मांगी हुई सूचना प्रदेशीय सरकार को उपलब्ध नहीं है । अतः वह सूचना देने में असमर्थ है ।

*१५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास बरेली के शहदना क्षेत्र के शरणार्थियों का इस विषय पर कोई शिकायती पत्र आया है ? अगर हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह---जी नहीं । इस विषय से प्रदेशीय सरकार का कोई सम्बन्ध भी नहीं है जैसा कि प्रश्न १४ के उत्तर में बतला दिया गया है ।

तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में ग्राम समाजों का निरीक्षण

*१६---श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला तथा तहसील के अधिकारी अपने दौरे में ग्राम समाज सम्पत्ति का रजिस्टर देखते हैं या नहीं ? यदि देखते हैं, तो उन्होंने तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जिला व तहसील के अधिकारी अब तक ६२३ गांव समाजों का निरीक्षण कर चुके हैं। तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में कुल ५९ ग्राम समाज सम्पत्ति के रजिस्टर देखे गये। उनमें जो गलतियां मिलीं वह ठीक करा दी गईं और जो सम्पत्ति दर्ज होने से छूट गई उसे उनमें दर्ज करा दिया गया। जो रजिस्टर निर्धारित आकार-पत्र पर नहीं बने थे उन्हें नये सिरे से छपे हुए आकार-पत्र संख्या १ के अनुसार बनाया गया।

*१७—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**—क्या यह सही है कि जिला गोरखपुर में ९५ फीसदी ग्राम समाजों की बैठकें अब तक एक भी नहीं हुईं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, कुल ३६२५ गांव समाजों में से केवल ८१३ गांव समाजों की (अर्थात् २२.५ या २२ प्रतिशत गांव समाजों की बैठकें) अभी तक नहीं हुई हैं। सदस्यों तथा अध्यक्षों के साक्षर न होने के कारण ये बैठकें न हो सकीं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या गोरखपुर के सभी गांव समाजों का निरीक्षण किया गया है, ऐसी माल विभाग की ओर से सूचना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जवाब तो दे दिया गया जिनका किया गया है उनका।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—जो जांच हुई है क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस जांच में कितनी गलतियां मिली हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये फिर से नयी सूचना की जरूरत होगी। इस फाइल में तो ऐसी चीज है नहीं।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—जिन २२ प्रतिशत ग्राम समाजों की बैठकें अभी तक नहीं हुई हैं वहां गांव समाज की संपत्ति का जिम्मेदार कौन है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गांव समाज ही जिम्मेदार है।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार जिन गांव समाजों की जांच हो चुकी है उनकी सूची मेज पर प्रस्तुत करेगी?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत से गांव हैं। मैं इसकी इस समय इजाजत नहीं दूंगा। माननीय माल मंत्री से आप बाद में मिल कर जान लें।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या तहसील फरेंदा के कुछ गांवों की पड़ताल के लिये माल मंत्री के पास दरख्वास्त दी गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई दरख्वास्त की इत्तला नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अशिक्षा के कारण जिन गांव समाजों की बैठकें नहीं हुई हैं वहां की सम्पत्ति की व्यवस्था के संबंध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उनको मदद देने के लिये लेखपाल लोग रहते हैं और कोई भी आदमी जो उनमें पढ़ा लिखा होता है वह उसमें कार्य करता है।

श्री केशव पांडेय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील के ग्राम समाजों का भी निरीक्षण किया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, किया गया है।

पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र

*१८—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**—क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जहां-जहां पर पशु चिकित्सालय हो वहां वहां कृत्रिम पशु गर्भाधान का केंद्र स्थापित करे ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—सरकार सभी पशु चिकित्सालयों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित करने का विचार नहीं रखती। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक संख्या में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने की व्यवस्था हो रही है उनके खुल जाने पर प्रदेश के सभी क्षेत्र इन केंद्रों के अन्तर्गत इस प्रणाली से लाभ उठा सकेंगे।

प्रदेश में हल्दी की उपज तथा खेती को प्रोत्साहन देने की सरकारी योजना

*१९—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में हल्दी की कुल कितनी उपज होती है और किस-किस इलाके में बहुतायत से होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उत्तर प्रदेश में हल्दी की कुल उपज अनुमानतः आठ हजार मन होती है। देवरिया जनपद में सलेमपुर के पूर्वी तथा पडरौना तहसील के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में हल्दी की खेती बहुतायत से की जाती है।

*२०—**श्री रामेश्वरलाल**—क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले के पूर्वी सलेमपुर तहसील में हल्दी की खेती बहुतायत से होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—हां, सलेमपुर पूर्वी भाग में भाटापार रानी के क्षेत्र में हल्दी की काश्त मक्के, अरहर तथा अन्य फसलों के साथ बहुतायत से की जाती है।

*२१—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या कृषि मंत्री हल्दी की उपयोगिता देखते हुये खेती की वृद्धि के लिये कोई विशेष सहायक कदम उठाने को सोच रहे हैं ?

श्री मुहम्मदरऊफ़ जाफ़री—उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से हल्दी की काश्त को प्रोत्साहन देने के हेतु एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि हल्दी की खेती देवरिया जिले के अतिरिक्त किन-किन जिलों में अधिक होती है ?

श्री हुकुमसिंह—लफ्ज अधिक की वजह से मुझे दिक्कत है, बिला नोटिस के मैं नहीं बता सकता।

मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील की टूटी-फूटी इमारत की मरम्मत

*२२—**श्री बलवन्त सिंह**—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले में जानसठ तहसील की इमारत बहुत ही पुरानी है और इसकी छतें, दीवारें आदि सब टूटी फूटी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इमारत की छत और दीवारें खराब हालत में हैं परन्तु उनकी सालाना मरम्मत होती रहती है।

*२३—**श्री बलवन्तसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस इमारत को फिर से बनवाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस इमारत की खास मरम्मत (special repairs) करवाने की कार्यवाही की जा रही है। आशा की जाती है कि इस मरम्मत के बाद यह इमारत कुछ अर्से के लिये मजबूत हो जायेगी। बाद में जरूरत समझी गई तो इस इमारत की जगह पर एक नई इमारत बनवाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्पेशल मरम्मत का क्या एस्टीमेट होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१,२९४ रुपये के करीब एस्टीमेट आता है ।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जो अब मौजूदा इमारत है उसमें न कागज ठीक रहते हैं और न आदमियों के बैठने की ठीक जगह है ऊपर से मिट्टी पड़ती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा ब्योरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन हालत खराब है। पूरा ब्योरा जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह मेरे पास नहीं है ।

बुलन्दशहर जिले में पटवारी स्कूल के छात्रों में हरिजन

*२४---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गौंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ में जिला बुलन्दशहर में कितने लड़के पटवारी स्कूल में पढ़ने के लिये चुने गये हैं और उनमें कितने हरिजन थे ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---सन् १९५४ ई० में पटवारी (लेखपाल) स्कूल, बुलन्दशहर में ६१ लड़के भरती किये गये और उनमें ५ हरिजन भी चुने गये थे ।

नैनीताल जिले में ग्राम तुसराड़ में मत्स्य-पालन योजना

*२५---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास मांग आई है कि ग्राम तुसराड, पट्टी बिजूला, जिला नैनीताल में मत्स्य-पालन के हेतु डिग्गी बनाई जाये ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, सरकार के पास ग्राम तुसराड़ के निवासियों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र उस क्षेत्र में मत्स्य-पालन के हेतु सरकारी नरसरी बनाने के लिये आया था। मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र का निरीक्षण किये जाने पर ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में या इसके आस-पास कोई उचित जलाशय (stocking water) न होने कारण मछली पालन की योजना लाभकर नहीं होगी। इस कारण ग्राम निवासियों के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

ईख की उपज बढ़ाने की योजना

*२६---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कोई योजना ईख की उपज बढ़ाने की सरकार ने पिछले वर्षों में चलायी थी ? यदि हां, तो कब से कब तक और कहां-कहां पर, उसमें क्या सफलता मिली है ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां। यह योजना प्रदेश में स्थित चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में १९४८-४९ ई० में चालू की गई थी और १९५५-५६ ई० तक चलती रहेगी। इसके फलस्वरूप गन्ने की औसत उपज ३५० मन प्रति एकड़ से बढ़कर ४३९ मन प्रति एकड़ तक पहुंच गई है।

*२७---**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित)---क्या उपज को बढ़ाने की योजना इस समय भी चल रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां। उस योजना की रूपरेखा संक्षिप्त में नीचे दी जा रही है:--

१---सिंचाई की सुविधाओं का प्रबन्ध करना ।

२---रोग मुक्त तथा अच्छे गन्ने के बीज का किसानों में वितरण करना ।

३---अच्छी तथा नई किस्मों के गन्ने के बीज के लिये पौधशालाओं (nurseries) की स्थापना करना ।

४—रासायनिक खादों, कम्पोस्ट तथा उर्वरक और उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण करना।

५—कम्पोस्ट के बनाने में प्रोत्साहन देना।

६—गन्ने की फसल को हानिकारक कीड़ों तथा रोगों से बचाना ।

७—प्रदर्शन क्षेत्रों की स्थापना, भूमिसर्वेक्षण (soil survey) और संरक्षण (soil conservation) करना ।

८—गन्ने की खेती के वैज्ञानिक उपायों का प्रचार करना।

अधिवासियों को सीरदार का हक मिलने पर भी पूर्व भूमिपतियों से मालगुजारी की वसली

*२८—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम सन् १९५४ के अनुसार जिन अधिवासियों को सीरदार का हक मिला है इस साल सन् १३६२ फसली की मालगुजारी उनके पहले के भूमिपतियों से ही वसूल की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । किसी-किसी तहसील में ऐसा हुआ है । इसका कारण यह है कि खरीफ फसल के आरम्भ में ही नया कानून लागू हो गया था परन्तु लगान वसूली मौजूदा जमाबन्दी के अनुसार ही करनी पड़ी क्योंकि इतने कम समय में जमाबन्दी नये कानून के अनुसार शुद्ध नहीं की जा सकती थी, लेकिन जहां कहीं ऐसा हुआ है, पूर्व भूमिपतियों को बता दिया गया है कि जो फाजिल रकम वसूल की गई होगी वह अगली फसल की मालगुजारी में मुजरा कर दी जायेगी। जिलाधीशों को यह भी आदेश दिया गया है कि ऐसे भूमिपतियों के विरुद्ध कोई कोआर्सिव प्रोसेसेज (coersive processes) न जारी किये जायं ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १३६२ फसली की मालगुजारी अधिवासियों से सरकार तथा उनके भूतपूर्व भूमिधर और सीरदारों ने भी वसूल की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना तो नहीं है । लेकिन हो सकता है कि ऐसा कहीं हुआ हो ।

श्री उमाशंकर—अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई हो तो सरकार उनको जो नये सीरदार बने हैं, कोई मदद दे सकती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगर ऐसे कोई केसेज (मामले) होंगे और माननीय सदस्य उनको लायेंगे तो उनके बारें में विचार किया जायगा।

*२९-३०—**श्री रामचन्द्र विकल**—[२० सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ६८-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत लउआसाथ ताल का ठेका

*३१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत लउआसाथ ताल का ठेका जनवरी, ५५ तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गत वर्ष सितम्बर मास में लउआसाथ ताल की मछलियों का ठेका नीलाम द्वारा दिये जाने की चेष्टा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा की गई थी पर क्योंकि उस समय वर्षा के कारण ताल पानी से एकदम भर जाते हैं इसलिये ताल में मछलियों की तादाद का अन्दाजा सही तौर पर नहीं लगाया जा सकता। इस कारण कोई ठेका लेने को तैयार नहीं होता या बोलियां नीलाम कम रकम की होती हैं। तथापि इसका ठेका इस वर्ष जनवरी मास के बाद ही दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर मास में जिस व्यक्ति को ठेका देने की चर्चा की गई थी उसका नाम क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना की जरूरत है। मेरे पास उसका कोई नाम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी महीने के कितने दिनों के बाद ठेका दिया गया और किसको दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह भी सूचना नहीं है कि किसको ठेका दिया गया इसके लिये भी सूचना की जरूरत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि परगनाधीश घोसी की गलत रिपोर्ट के कारण जनवरी मास के पहले ठेका नहीं दिया जा सका था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नहीं, यह बात सही नहीं है।

आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में मुअत्तल लेखपाल

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च, ५५ में कितने-कितने लेखपाल मुअत्तल एवं सेवा मुक्त किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च, १९५५ में मुअत्तल एवं सेवा मुक्त किये गये लेखपालों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :

नाम तहसील		मुअत्तल		सेवा मुक्त	
		फरवरी	मार्च, ५५	फरवरी	मार्च, ५५
फूलपुर	..	७	४	२	१
लालगंज	..	४	३	१	१
मोहम्मदाबाद	..	१	१	..	१
सगड़ी	..	..	..	..	..
सदर	..	..	..	..	..
घोसी	..	४	१	१	..
योग	..	१६	१२	४	३

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील में फरवरी, मार्च में ४ जो मुअत्तल किये गये थे उसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण कुछ लोगों का बुरा काम होना था और कुछ ने रेमिशंन स्लिप्स वगैरह नहीं बांटी थीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह मुअत्तली का जो चार्ज लगाया गया था वह क्या बेबुनियाद साबित हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन मामलों में ऐसा हुआ होगा उनको बहाल कर दिया गया होगा।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जो लेखपाल मुअत्तल और बर्खास्त किये गये वह मार्च और फरवरी में ही क्यों हुए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उस समय कागज आते हैं और उनकी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं ।

बस्ती जिले में राप्ती नदी द्वारा ग्राम गोठवा की कृषि योग्य भूमि का कटाव

*३३---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोठवा ग्राम, तहसील बांसी, जिला बस्ती राप्ती नदी की तेज धार से कट गया है और उस गांव का सारा खेत कट कर नदी के दूसरे पार चला गया है ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)---ग्राम गोठवा की बहुत सी खेती के लायक भूमि राप्ती नदी से कट गई है और केवल १४ एकड़ भूमि बच रही है । कटी हुई भूमि कुछ तो नदी के पेटे में है, कुछ उस पार चली गई है ।

*३४---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि कटाव अब भी जारी है और उक्त गांव के अब कुछ ही घर बच रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---कटाव अब भी जारी है, परन्तु आबादी नहीं कट रही है । गांव के सभी घर जिनकी संख्या १३ है, बचे हैं ।

*३५---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार उक्त गांव के लोगों के जो खेत कटाव से नदी के दूसरे पार हो गये हैं उन्हें उन खेतों को दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री चरणसिंह---ऐसे मामले बंगाल रेगुलेशन संख्या ११ सन् १८२५ के अनुसार तय होते हैं जिसमें प्रचलित रीति को मुख्यता प्रदान की गई है । संबंधित व्यक्ति यदि चाहें तो अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिये उपयुक्त न्यायालय में अपने वाद प्रस्तुत कर सकते हैं ।

बस्ती जिले में खलीलाबाद तहसील की नई इमारत

*३६---श्री उमाशंकर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद (बस्ती) की तहसील की नई इमारत मजबूत नहीं है और प्रायः टपकती रहती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसील खलीलाबाद (बस्ती) की नई इमारत मजबूत बनी है तथा टपकती नहीं है ।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या पिछले महीने में पी० डब्ल्यू० डी० के डिप्टी मिनिस्टर उस इमारत की देखभाल करने गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

बस्ती जिले के बाढ़ से पीड़ित कानूनगो क्षेत्रों में टेस्ट वर्क

*३७---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में सन् १९५४ में किन-किन तहसीलों के किन कानूनगो क्षेत्र में कितने कितने गांव वर्षा काल में बाढ़ से त्रसित रहे ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ३३-३५ श्री शिवनारायण ने पूछे ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---जिला बस्ती में १९५४ में तहसीलों के कानूनगो क्षेत्र में जितने जितने गांव वर्षा काल में बाढ़ से त्रसित रहे उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५ पर)

*३८---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माल मंत्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त क्षेत्र में किन-किन कानूनगो क्षेत्र के गांवों में टेस्ट वर्क चालू किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जिन कानूनगो क्षेत्रों में टेस्ट वर्क चालू किये गये थे वह इस प्रकार हैं---

नाम तहसील	कानूनगो क्षेत्र	नाम सड़क
बस्ती	नगर	१---अक्सरा बहादुर-पुर रोड
	नगर	२---कल्वारी बस्ती रोड
	कुदराहा	१---कुल्वारी कुदराहा रोड
खलीलाबाद	मेहदावल	१---करमैनी मेहदावल रोड
		२---मोहिमा ठाटा रोड
हरैया	कप्तानगंज	१---दबोलिया छावनी रोड

*३९---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माल मंत्री यह बतायेंगे कि जिला बस्ती के किन-किन क्षेत्रों में टेस्ट वर्क चालू करने के लिये आवेदन पत्र आये थे और उन-उन क्षेत्रों में टेस्ट वर्क क्यों नहीं खोला गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---केवल एक आवेदन पत्र श्री धनुष धारी पांडेय, सदस्य विधान सभा, की ओर से आया था, परन्तु कोई टेस्ट वर्क चालू नहीं किया गया क्योंकि उस क्षेत्र में कोई अकाल नहीं पाया गया तथा धरातल को ऊंचा करने की योजना चालू होने के कारण उन क्षेत्रों में लोगों को अपने गांवों में ही कार्य मिल जाने से और कोई टेस्ट वर्क चालू करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि घाघरा कोआनी और राप्ती, इन्हीं नदियों से जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी, उन्हीं में टेस्ट वर्क चालू किये गये और खलीलाबाद तहसील के दक्षिणी क्षेत्र बनकटा और बांसी क्षेत्र के ट्रांस-राप्ती एरिया में क्यों नहीं चालू किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो बतला दिया गया है कि जहां टेस्ट वर्क चालू किया गया है, वह वहां किया गया है, जहां मजदूर मिलने को थे । जहां लोग आये, वहीं काम चालू किया गया ।

श्री धनुषधारी पांडेय---अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि जहां-जहां मजदूर मिले तहां-तहां चालू किया गया । क्या खलीलाबाद के बनकटा एरिया और बांसी के ट्रांस राप्ती एरिया में इसके लिए कोशिश की गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, वहां मजदूर नहीं मिले, इसलिये काम नहीं हुआ ।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि धनुषधारी पांडेय ने किस तारीख को आवेदन पत्र दिया था कि टेस्ट वर्क चालू किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--माननीय सदस्य को तो मालूम ही होगा । उन्होंने ही दरख्वास्त दी थी ।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धरातल ऊंचा करने का कार्य किस तारीख को प्रारंभ हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । मेरे पास तारीख नहीं है कि कब काम शुरू हुआ ।

*४०--**श्री श्रीचन्द्र**--[१० अक्तूबर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया ।]

जालौन जिले की विलीन रियासत बावनी में आबी व पाही टैक्सों की वसूली

*४१--**राजा वीरेंद्रशाह** (जिला जालौन)--क्या सरकार को मालूम है कि विलीन रियासत बावनी, जिला जालौन, के ४६ ग्रामों की जनता से करीब एक लाख रुपया आबी व पाही टैक्स के नाम से वसूल किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, एक लाख रुपया तो नहीं परन्तु करीब २३ हजार रुपया हर साल आबी व पाही टैक्स के नाम से रियासत बावनी के काश्तकारों से वसूल होता है ।

*४२--**राजा वीरेंद्रशाह**--क्या यह सही है कि यह आबी व पाही टैक्स लगान व नहर रेट के अलावा वसूल किया जाता है और यह नवाबी के समय से बंधा चला आ रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां ।

*४३--**राजा वीरेंद्रशाह**--क्या सरकार इन आबी व पाही टैक्सों को माफ करने का विचार करती है, और जो रकम अभी तक वसूल कर ली गई है उसे लौटा देने को सोचती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सारा मसला सरकार के विचाराधीन है, परन्तु किसी रकमके वापिस करने का सवाल नहीं उठता ।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या यह सही है कि पुराने नवाबी टैक्सों के अलावा जब से बावनी स्टेट विलीन होकर यू० पी० में आई है, यू० पी० के सारे टैक्स उस पर लगा दिये गये है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो कानून की बात है । जो स्टेट में लोग होंगे, जहां टैक्स देने को होगा वहां लगाया जायगा ।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या यह सही है कि वहां पर नवाबी टैक्स और सरकारी नये टैक्स लगने से किसानों पर भार अधिक बढ़ गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा हो सकता है कि भार अधिक हो, लेकिन जो पुराना लगान था वह लोग अपनी मर्जी से दे रहे थे ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय हमारे प्रदेश के टैक्सेज वहां के लोगों पर लगाये गये उस समय इस टैक्स के माफ कर देने पर कोई विचार नहीं किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह टैक्स का नहीं लगान का सवाल है और अभी जबाव दिया गया है कि इस पर विचार हो रहा है। जो दूसरे लगान वहां लगाये गये थे आबी व पाही ये आबपाशी की जमीन पर और नान-रेजीडेंट्स पर लगते थे। अब यह मसला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक सरकार यह आदेश जारी करेगी कि उन लोगों से यह एक्सट्रा टैक्स न लिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये कोई आदेश की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि चूंकि वह कन्ट्रेक्टेड रेट्स थे, इसलिये एक तरह से वे लगान देने के जिम्मेदार तो हैं ही।

राजा वीरेंद्रशाह---क्या सरकार को यह मालूम है कि बावनी स्टेट के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ जी व्यास ने टैक्स के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत भेजी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, भेजी थी।

राजा वीरेंद्रशाह---क्या सरकार उस पर विचार करके उन टैक्सेज को माफ कर देगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जबाव दिया जा चुका है।

बनारस कलेक्टरी की पुलिस हवालात में जगह की कमी

*४४---**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस)---क्या सरकार को विदित है कि बनारस कलेक्टरी के पुलिस हवालात (लाकअप) में जगह की कमी के कारण अभियुक्तों को दिन भर उन छोटी तंग कोठरियों में बड़ा ही कष्ट और असुविधा होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है।

*४५---**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी**---क्या सरकार ने कृपा कर उन कोठरियों को कुछ बढ़ाकर उन्हीं से लगा हुआ कुछ दूर पर पेशाब खाना बनवा देने का निश्चय कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बनारस कलेक्टरी के पुलिस हवालात (लाक आप) में तीन कमरे हैं। प्रत्येक कमरे से मिला हुआ एक छोटा कमरा है जिससे अभियुक्तों के लिये पेशाब घर का काम लिया जाता है। कोठरियों के बढ़ाने तथा नये पेशाब घर बनवाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी---क्या माननीय मंत्री को पता है कि इन हवालाती कोठरियों में ज्यादा से ज्यादा हवालाती एक ही साथ दिन भर रहा करते हैं और उन्हें बदबू से बहुत ही तकलीफ होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा तो नहीं है। कभी तो बहुत कम रह जाते हैं और कभी-कभी कुछ ज्यादा भी हो जाते हैं।

चकेरी (कानपुर) के निकट रोडवेज बस दुर्घटना तथा घायलों का उपचार

*४६---**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि रविवार दिनांक २७-३-५५ को चकेरी (कानपुर) के निकट रोडवेज की बस उलट जाने के कारण लगभग १ दर्जन मुसाफिर सख्त घायल हो गये हैं ? क्या सरकार इन घायलों की लिस्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, दुर्घटना शनिवार दिनांक, २६ मार्च, १९५५ को हुई थी जिसमें ५ व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। जिन व्यक्तियों को चोटें आईं उनके नाम निम्नलिखित हैं:

१---श्री आर० के० सेठ

२---श्री देव सुख राम

३---श्री निसार खां

४---श्री दीन दयाल

५---श्री जिया लाल दूधवाला।

*४७---**श्री जोरावर वर्मा**---क्या सरकार बतायेगी कि बस उलटने का क्या कारण था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक साइकिल सवार दूध वाले के बीच सड़क पर बस के सामने आ जाने के कारण ड्राइवर को बस बाईं ओर जरूरत से ज्यादा मोड़नी पड़ी जहां गड्ढे थे और जिस के कारण बस उलट गई।

*४८---**श्री जोरावर वर्मा**---क्या सरकार बतायेगी कि घायलों के उपचार की कोई व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, घायलों के उपचार की व्यवस्था तुरन्त ही डा० हरिश्चन्द्र गुप्ता, दयाल धर्मार्थ चिकित्सालय, कृष्ण नगर, चकेरी द्वारा की गई।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बस नीचे गिरकर उलट गई उसको कुछ क्षति भी पहुंची है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है। कोई विशेष क्षति नहीं हुई, वहीं दुरुस्त करा ली गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यातायात मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घायलों के उपचार में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये सूचना की जरूरत है ? रुपये की जरूरत नहीं हुई क्योंकि धर्मार्थ औषधालय था वहां चिकित्सा करा दी गई।

मेरठ व बुलन्दशहर कलेक्टरेट में पेड एपरेंटिसों की नियुक्ति

*४९--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ व बुलन्दशहर जिलों में पेड एपरेंटिसों की नियुक्ति कब से नहीं की गई है और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सन् १९५० के पश्चात् मेरठ तथा बुलन्दशहर क्लेक्ट्रेट में पेड अप्रेंटिसेज (Paid-Apprentices) की नियुक्तियां नहीं की गई हैं, क्योंकि इस पद पर प्रदेश के सभी जिलाधीशों के कार्यालयों में नियुक्तियां १९५१ से ५ वर्ष के लिये बन्द कर दी गई हैं ताकि सेटिलमेंट (Settlement) और पार्टीशन (Partition) के भूतपूर्व कर्मचारी और आनरेरी मजिस्ट्रेट (Honrary Magistrates) की अदालतों के कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में स्थायी रूप से रखा जा सके। परन्तु बुलन्दशहर कलेक्ट्रेट में १९५४ में गवर्नमेंट के आदेश से एक ऐसे पेड अप्रेंटिस (Paid-Apprentice) की नियुक्ति की गई थी, जो १९४९ में पेड अप्रेंटिस (Paid-Apprentice) के पद पर नियुक्त करने के लिये चुन लिया गया था।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि जो नियुक्तियां मंत्री जी ने बताईं उसके अतिरिक्त भी कुछ कर्मचारी लिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, यह सही नहीं मालूम होता है, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*५०-५१--श्री रामहेतसिंह [१० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल का रामपुर से मेरठ तथा कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल का हरदोई से रामपुर स्थानान्तरित किया जाना

*५२--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल रामपुर से मेरठ ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर तीन महीने के लिये खोला गया था और अब बन्द कर दिया गया है।

*५३--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सत्य है कि कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल हरदोई से स्थानान्तरित कर रामपुर भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--स्थानाभाव के कारण कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल को गत मई/ जून, १९५५ से हरदोई से रामपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

*५४--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--इन स्कूलों के हटाने के संबंध में सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस स्कूल के स्थानान्तरण में सरकार को ७,७०० रुपया व्यय करना पड़ा।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर में जो स्कूल बन्द कर दिया गया है क्या वह पुनः खोलने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो यदि जरूरत होगी तब खोला जायगा। अभी जरूरत नहीं समझी गई, इसलिये बन्द कर दिया गया।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में यह स्कूल कितने वर्षों से चल रहा है और किस इमारत में चल रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--काफी दिनों से चल रहा है। एक सड़क के पास कोई इमारत थी उसमें चल रहा था।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या कृपा कर सरकार बतायेगी कि यह ७,००० रुपये का खर्च किस-किस में हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह फर्नीचर और सामान को ले जाने के संबंध में ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ है।

श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि कानूनगो की अधिकता होने के कारण सीनियर पटवारियों से यह काम लिया जा रहा है इसलिये सरकार ने इस ट्रेनिंग को बन्द कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--इसमें बन्द करने का सवाल नहीं उठता है ।

लेखपाल तथा पंचायतराज सेक्रेट्री का पद संयुक्त करने का प्रश्न

*५५--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह लेखपाल और पंचायत सक्रेट्री के पद संयुक्त करने जा रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी ?

श्री चरणसिंह--लेखपाल और पंचायत सेक्रेट्री का पद संयुक्त करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*५६--श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)--[इस प्रश्न का उत्तर ७ सितम्बर, १९५५ को प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत दिया गया ।]

*५७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[इस प्रश्न का उत्तर २५ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत दिया गया।]

*५८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--[इस प्रश्न का उत्तर २४ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत दिया गया।]

ग्रामों में गोचर भूमि संबंधी नियम

*५९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने हर एक ग्राम में गोचर भूमि छोड़े जाने के संबंध में कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, इस संबंध में जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-क के अन्तर्गत प्रसारित शासकीय आदेशों का उल्लेख गांव समाज मैनुअल के ३७ वें परिच्छेद में किया हुआ है उसके अनुसार प्रत्येक गांव की गैरमजरूआ भूमि का एक निश्चित भाग योजना के अनुसार उपयोग के लिये जिसमें गोचर भूमि भी शामिल है, सुरक्षित कर दिया गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त नियम का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा कोई पता नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसी मिसाल देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त नियम के अनुसार ग्राम समाजों को काफी दिन मुकदमा लड़ना पड़ता है और उसमें वह कामयाब नहीं होती ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५५ श्री उमाशंकर ने पूछा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो कानून की बात है। कानून के अनुसार जो कार्यवाही करनी पड़ती है वह की जाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस संबंध में कोई आंकड़े इकट्ठा कर रही है कि कितने ग्राम समाजों में गोचर भूमि की व्यवस्था हो गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी कोई आंकड़े इकट्ठा नहीं हुये हैं।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में गोचर भूमि नहीं है कानूनन उनको दिक्कत पड़ती है तो उसके लिये सरकार उनको क्या सुविधा देने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसे गांवों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्तिगत काश्तकारों के पास जमीन है उनसे जमीन छुड़ाना गोचर भूमि के लिये जरा ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट और तहसीलदार को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब वह दौरे पर जायं तो गांव समाज अगर उनसे गोचर-भूमि के लिए प्रार्थना करे तो उसकी कार्यवाही वह वहीं तत्काल कर दें और उन गांव समाजों का अधिकार दिला दें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वहां जो अधिकारी दौरे पर जाते हैं उनका यह काम है कि वहां पर जो शिकायतें हों उनको रफा करें।

*६०-६१--श्री रामहेतसिंह--[१९ सितम्बर, १९५५ के प्रश्न संख्या ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सासनी (अलीगढ़) में बस स्टैण्ड के लिये पक्की इमारत

*६२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सासनी (अलीगढ़) रोडवेज स्टेशन पर धूप, वर्षा तथा तेज लू से बचने का कोई साधन नहीं है ? क्या इस स्थान पर भी रोडवेज स्टेशन की पक्की इमारत बनाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, आज कोई साधन नहीं है। परन्तु सासनी में बस स्टैंड बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पक्की इमारत बनाने के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस भमि का मालिक कौन है, और इस भमि को प्राप्त करने के लिये क्या चेष्टा की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह भूमि पहले तो जमींदारों की थी, लेकिन अब माल विभाग में आ गयी है। इसलिये माल विभाग से ली जा रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजकल वर्षा और धूप से बचने के लिये साधन जुटाने का कब तक मौका मिल सकेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जल्द से जल्द कोशिश की जायगी कि यह हो जाय।

फतेहपुर जिले के कैनाल अमीनों का कलेक्शन अमीनों में परिवर्तन

*६३--श्री अनन्तस्वरूपसिंह (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में जो कैनाल अमीन (Canal Amins) अब कलेक्शन अमीन (Collection Amins) बना दिये गये हैं उनकी सर्विस (Service) तब से मानी जा रही है जब से वह कैनाल अमीन (Canal Amins) नियुक्त हुये थे या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। कैनाल अमीन जो कलेक्शन अमीन बना दिये गये थे उनकी सर्विस उस दिन से मानी गई है जिस दिन से वह कलेक्शन अमीन नियुक्त हुये थे।

*६४--श्री अनन्तस्वरूपसिंह--क्या सरकार को यह विदित है कि सिवाय २ अमीनों के और किसी को जिले में अभी तक उस समय का जब वे कैनाल अमीन (Canal Amins) थे इन्क्रीमेंट (increment) नहीं मिल पाया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--फतेहपुर जिले में भूतपूर्व कैनाल के अमीनों में से केवल एक ही अमीन अपनी सर्विस के आधार पर सालाना तरक्की पाने का हकदार है। उसकी तरक्की की बकाया रकम मंजूर होने पर शीघ्र ही दे दी जायगी। जिन दो अमीनों की सालाना तरक्की कैनाल की सर्विस में कलेक्शन की सर्विस सम्मिलित करके गलती से स्वीकृत हो गई है, वह रद्द कर दी जायगी और उनको जो अधिक वेतन मिल चुका है उसकी वसूली की कार्यवाही की जायगी।

'सी' क्लास रूटों पर सरकारी बसें

*६५--श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सी' क्लास रूटों पर भी रोडवेज सरकारी बसें चलाने का निश्चय उसने किया है ?

श्री चरणसिंह--रोडवेज की बसों को "सी" क्लास रूट पर चलाने की कोई रोक नहीं है इसलिये सरकार के निश्चय का प्रश्न नहीं उठता।

*६६--श्री देवमूर्ति राम--क्या जभानियां से बनारस वाया धानापुर, कमालपुर, सकलडीहा, चन्दौली और मुगलसराय रूट जो "सी" क्लास की है, मोटर वेहिकिल ऐक्ट सन् ५१ के अन्तर्गत नोटीफाइड की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

प्रदेश में गाय तथा भैंस के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक व्यय

*६७--श्री श्रीचन्द्र--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाय भैंस के जो कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र खोले गये हैं (जिसकी सूचना ता० २०-९-५४ के प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में नहीं दी गई थी) उन में प्रत्येक केंद्र का व्यय आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक १९५२-५३ और १९५३-५४ में क्या-क्या था और इन वर्षों में इन केंद्रों में कितना कार्य किया गया और उसमें क्या सफलता मिली ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इस संबंध में विस्तृत सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री श्रीचन्द्र--क्या इन १६ केंद्रों के अतिरिक्त और जगह केंद्र खोलने का सरकार निकट भविष्य में विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह--अगली पंचवर्षीय योजना में कुछ खोलने जा रहे हैं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कहां पर खोले जावेंगे।

तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर की खरीफ १३६२ फसली की मालगुजारी तथा उसकी वसूली

*६८—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला सुल्तानपुर की अमेठी तहसील की खरीफ १३६२ फसली की मालगुजारी कितनी थी और कुल कितनी वसूल की गई है ?

श्री चरणसिंह—तहसील अमेठी जिला सुल्तानपुर की खरीफ १३६२ फ० की मालगुजारी ४,२६,३८४ रु० १२ आ० ६ पा० थी और ४,७६,७०८ रु० ११ आ० ६ पा० मालगुजारी वसूल हुई।

*६९—श्री रणंजयसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त अमेठी तहसील में बहुत से किसानों से खरीफ में ही रबी की मालगुजारी भी वसूल कर डाली गई है ?

श्री चरणसिंह—तहसील अमेठी के केवल उन्हीं खातेदारों से रबी की मालगुजारी ली गई, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने छोटे खातों को खरीफ में ही बेबाक करना ठीक समझा।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में बस स्टेशन बनाने के लिये उपयुक्त स्थान

१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में बस स्टेशन बनाने के लिये कौन स्थान निश्चित किया गया ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर में बस स्टेशन बनाने के लिये जेल के निकट स्थान निश्चित किया गया है।

२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन सुविधाओं को देखते हुये बस स्टेशन बनाया जायेगा ?

श्री चरणसिंह—यह स्थान कचेहरी के निकट है। इसके अतिरिक्त कोई और भूमि बस स्टेशन के लिये उचित नहीं मालूम पड़ी।

३-५—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[२६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में पशु-चिकित्सालय

६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में चौपायों का अस्पताल कब तक खुल जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह—मड़ियाहूं में पशु-चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। आर्थिक कठिनाइयों तथा पशु-चिकित्सकों की कमी के कारण ही अभी तक चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं हो सका है। चिकित्सालय कब तक खुल जायेगा यह ठीक से नहीं कहा जा सकता।

जौनपुर जिले में मुख्य मंत्री फंड के रुपये का वितरण

७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले में १९५३ ई० में बाढ़-पीड़ितों की सहायतार्थ मुख्य मंत्री फंड से जो २,५०० रु० माननीय शिक्षा मन्त्री को दिया गया था क्या सरकार उस के वितरण की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी कि वह रुपया किसको-किसको वितरित किया गया ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६८-६९ राजा वीरेंद्रशाह ने पूछे।

श्री हुकुमसिंह—इस प्रश्न का उत्तर श्री रामेश्वर लाल जी द्वारा पूछे गये प्रश्न क उत्तर में ८वें सोमवार को दिया जा चुका है और सरकार अधिक तफसील में जाना उचित नहीं समझती है क्योंकि यह रुपया सरकारी फंड का नहीं था।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब पर आपत्ति

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले मंगलवार को माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछे थे कि जिला गोरखपुर में ४ आदमियों की भूख से मृत्यु हो गई है। मैंने उस समय निश्चित कर दिया था कि शुक्रवार तक जवाब आ जाना चाहिये। आपने कहा था कि काम रोको प्रस्ताव न हो कर अल्पसूचित प्रश्न रखे जावें।

श्री अध्यक्ष—उसकी मुझे तहक़ीक़ात करनी होगी। आप मेरे कमरे में आ जावें।

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के पुनरीक्षित नियम ३–२६

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ८५ (२) के अनुसार पंचायतों के चुनावों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के पुनरीक्षित रूल्स ३ से २६ तक, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इन नियमों को सदन की मेज पर रखने के पहले ही लागू कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायतों के चुनाव की तिथियां इन नियमों के आधार पर घोषित कर दी गई हैं। मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार का यह कार्य बिना पहले नियमों को सदन की मेज पर रखे, कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष—आप मुझे ऐसा नियम बतावें जिसके अनुसार सरकार लागू नहीं कर सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इसके लिये समय चाहता हूं। तब तक के लिये आप वादविवाद रोक दें।

श्री अध्यक्ष—वादविवाद तो बाद में ही होगा।

*उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५४

वित्त मन्त्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भारत संविधान के अनुच्छेद १५१ (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर लेखापरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५४ का भाग १, सदन की मेज पर रखता हूं।

†उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में कृत संशोधन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ (४) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२१४/१—अ—१०५६—५४, दिनांक ९ अप्रैल, १९५५, को जिससे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

* छापी नहीं गयी।

† छापे नहीं गये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, २५ जुलाई को भी सरकार ने कुछ संशोधन किये हैं। नियम के अनुसार १४ दिन पहले वे सदन में आ जाने चाहियें। तो उन्हें भी क्यों नहीं सदन में रख दिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मुझे पूरी इत्तिला नहीं है, लेकिन वह बाद में भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से शायद तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--जो नियमों में संशोधन हुआ है वह सदन के सामने आ जाना चाहिये और एक साथ ही सब नियमों पर विवाद हो जाय, तो अच्छा रहेगा। इसलिये शीघ्र ही आप (श्री चतुर्भुज शर्मा से) उन संशोधित नियमों को सदन में उपस्थित कर दें।

१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के सम्बन्ध में निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों पर, जिनके लिये मुख्य मंत्री ने ७ सितम्बर, १९५५ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में ५१,२१,५९२ रुपये की मांग उपस्थित की, मतदान, इसके सम्बन्ध में .....

बनारस में २ नाव के डूबने के संबंध में सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपने मुझे आज्ञा दी थी कि २ नावें जो डूब गयी हैं उनके बारे में कुछ बयान सदन के सामने पेश करूं, तो वह किस समय होगा?

श्री अध्यक्ष--नावों के बारे में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस दिन श्री राजनारायण ने नावों के बारे में कुछ कहा था और आप ने आदेश दिया था कि मैं उस सूचना को अगले दिन पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब तो कार्य आरम्भ हो गया है, कल आप उस सूचना को दे दें।

अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष--नियमों के सम्बन्ध में मैं यहां कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं क्योंकि यह ऐक्सेस ग्रान्ट है और पहली ही मर्तबा सदन के सामने आयी है। तो इस सदन में इसके सम्बन्ध में क्या प्रथा होनी चाहिये, मैं यह चाहता था कि मैं इसके ऊपर विचार कर लूं और सदन को इसके विषय में बता दूं कि इस के ऊपर आम बहस होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, यह प्रश्न मेरे सामने था। मैं सब जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो यह अनुदान होता है, इसमें जो खर्चा होता है वह उन्हीं विषयों पर होता है जिनकी मंजूरी सदन पहले सालाना बजट के समय दे देता है। उस पर अधिक खर्चा हुआ तो उतनी ही सीमा तक वह हमारे सामने आता है, क्योंकि किसी नयी नीति से इसका सम्बन्ध नहीं है। फिर भी उस में एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अतिरिक्त अनुदानों को अलहदा-अलहदा पेश होना चाहिये और उसमें जितना खर्च हुआ है वह अलग-अलग पेश होना चाहिये यदि ऐसा भिन्न-भिन्न समयों में किया जाय तो सदन का बहुत समय खर्च होगा। यदि एक साथ अनुदान एक ही समय में पेश होगा जैसे कि एक साथ मुख्य मंत्री जी ने पेश किये हैं तो लोगों को यह मौक़ा मिलना चाहिये कि वे पूरे अनुदान पर टीका कर सकें, ये बातें मेरे दिल में आयीं। अगर यह मौक़ा नहीं मिलता है तो फिर हरएक मंत्री को अपने-अपने विभाग का अनुदान अलग-अलग पहले से पेश कर देना चाहिये था। ऐसी अवस्था में मैंने यह उचित समझा कि मैं स्वयं इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त प्रथा निश्चित करूं यह अच्छा होगा। और

नियम १५७ में मुझे यह अधिकार भी है । सालाना बजट के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हो, सालाना वाद-विवाद में तो यह आवश्यक है कि आम बहस हो, लेकिन सप्लीमेंटरी बजट और एक्सेस ग्रान्ट (पूरक अनुदान और जो अधिक खर्चा हो जाता है, उसका अनुदान) के संबंध में नियमों में परिवर्तन कर के कोई भिन्न प्रथा नियम १५७ के अनुसार मैं कायम कर सकता हूं । सप्लीमेंट्री बजट में बहस इस सदन में भी होती है और विधान परिषद् में भी होती है । उसमें यह होता है कि खर्चा का अन्दाजा लगाया जाता है, और अगर अधिक खर्चा होता है या अधिक खर्चे की संभावना हो या कई नयी सर्विस कायम करना हो और उसके लिये गवर्नमेंट ने खर्चा मांगा हो तो उस में नीति का सवाल पैदा हो जाता है । यही कारण है कि संविधान में यह दिया है कि पूरक अनुदान विधान परिषद् में भी बहस के लिये रखा जाय जिसमें परिषद् को बहस करने का मौका मिले । अतः सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के सम्बन्ध में यह प्रथा पड़ गयी है कि उस पर आम बहस भी होगी, फिर अनुदान के ऊपर मत केवल विधान सभा में लिये जायंगे । इसमें अतिरिक्त अनुदानों के विषय में संविधान में दिया हुआ है कि वह केवल लेजिस्लेटिव असेम्बली में आयेगा, इससे जरूर यह मंशा मालूम होती है कि आम बहस संविधान में इंगित नहीं है, क्योंकि नीति का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन जहां तक सदन के सदस्यों का यह अधिकार कि उन्हें आम नजर पूरे अनुदानों पर डालने का मौका मिलना चाहिये और टीका करने का मौका होना चाहिये। मैंने यह उचित समझा कि मैं वह मौका जिस वक्त विनियमन विधेयक आयेगा उस वक्त थोड़ा सा मौका दे दूंगा । लेकिन इतना परिवर्तन अतिरिक्त अनुदानों के विषय में कर देना चाहता हूं कि आम बहस आरम्भ में न हो । एक-एक माननीय मंत्री अपनी ग्रान्ट पेश करें और उसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो कर, मत लेकर फैसला हो जायगा । जब विनियमन विधेयक आयेगा उस के ऊपर मैं संक्षेप में थोड़ी आम बहस करने की इजाजत दे दूंगा । मैं समझता हूं कि यह एक उचित प्रथा होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो आपने यह व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है, लेकिन इसमें कोई कटमोशन वगैरह प्रस्तुत करने की आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी है, फाइनेंस विभाग से, पहले भी इस कांस्टीट्यूशन के लागू होने के पहले भी इस प्रकार का कोई विवाद सदन में सन् १९३० के लगभग या कभी हुआ है, तो मैंने चेष्टा इस बात की कि जो इस सम्बन्ध में उस समय विवाद हुआ वह देखा जा सके, लेकिन कार्यालय बन्द होने के कारण वह उपलब्ध नहीं हो सका । हम चाहते हैं कि हम इस पर कोई कटमोशन पेश कर सकें, इस सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था करने की आप कृपा करें । विशेष रूप से जो नियम १५७ में लिखा है एक्सेस ग्रान्ट के मामले में नियम १५०, १५१, १५२ और १५३ लागू हो सकता है । इस व्यवस्था को देखते हुये आप नीति निर्धारित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री जी कटमोशन के सम्बन्ध में आपको कहना है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—कटमोशन इसमें हो सकता है या नहीं, इस बात को छोड़ कर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । अगर कोई मोशन पेश करेगा तो वह सामने रखा जायगा कि फलां अनुदान के अन्दर जो इतना ज्यादा खर्च हुआ है उस की इजाजत दी जाय । अगर उस में कटमोशन रखा जायगा तो उसमें बहस क्या होगी सिवा इसके कि इतना ज्यादा क्यों खर्च किया गया ? तो इस चीज को जो कहना चाहेगा वह तो कहेगा ही, लेकिन जो रुपया खर्च हो चुका है उस में १ रुपया या १०० रु० या ५०० रु० कम करने का कटमोशन रखना, यह इनकंसिस्टेंट होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ग़लत क्यों खर्च किया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो आप जितना चाहेंगे कह सकेंगे क्योंकि खर्च हुआ या ग़लत खर्च हुआ, लेकिन जो कहना है वह तो बगैर कटमोशन के रक्खे हुये भी कहा जा सकता है जब कि मोशन आपके सामने आवेगा । इसलिये कटमोशन का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सफ़ाई और चाहता हूं कि जिस समय कोई माननीय मंत्री अपना कोई आइटम रखे, जैसे स्टाम्प वाला है, उसको रेगुलराइज करने के लिये इस सदन की इजाजत मांगे तो क्या उस पर जनरल विवाद हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने अभी बतलाया कि सारी बहस एक्सेस ग्रांट जब आये तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—एक-एक के ऊपर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप विरोध करेंगे, विरोध का अधिकार तो है ही। जहां तक इस वक्त जो कटमोशन का प्रश्न सामने है, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि क्या आप कोई उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं जिसमें ऐक्सेस ग्रान्ट के ऊपर किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में या लोक सभा में या किसी अन्य विधान सभा में इसके ऊपर कटमोशन लाया गया हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि परसों ही अकस्मात् हमारे सामने ऐक्सेस ग्रांट के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव आया तो इस सम्बन्ध में कोई किताब उपलब्ध नहीं हो सकी इसलिये मैं कोई उदाहरण अभी देने में असमर्थ हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यह ऐक्सेस ग्रान्ट का मौक़ा इसलिये आया कि पूरक अनुदान सदन के सामने नहीं लाया जा सका। अगर पूरक अनुदान सदन के सामने आया होता तो ऐक्सेस ग्रान्ट की मांग पेश करने की नौबत न आती। गलती विभाग की ओर से हुई कि उन्होंने पूरक अनुदान की मंजूरी नहीं ली। पूरक अनुदान के ऊपर हम कटमोशन पेश कर सकते थे, उसी तरीके के अनुसार यह सिद्ध है कि जो पूरक अनुदान इसका आता तो हम कटमोशन कर सकते तो आज वह पूरक अनुदान न आ कर एक्सेस ग्रान्ट के लिये वह आइटम आ रहा है और उस पर अगर हम कटमोशन प्रस्तुत न कर सकें तो यह विडम्बना का प्रश्न है, जब पूरक अनुदान लिये जाते हैं तब तो कटमोशन आवश्यक होते हैं और पार्लियामेन्टरी सिस्टम के अनुसार यह आवश्यक है और नियम १५४ के अनुसार हमें ग्रान्ट बढ़ाने का अधिकार नहीं है लेकिन उसको कम करने या समाप्त करने का अधिकार है इस लिये मैं श्रीमन्, आप से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हमें कटमोशन पेश करने का अधिकार अवश्य दें।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के साथ सहमत हूं। आज प्रश्न यह है कि सरकार एक्सेज एक्सपेंडीचर के लिये हमारी रजामन्दी मांग रही है, यह दूसरी बात है कि हम आज उसकी सैंक्शन न दें और सरकार को इस खर्च के लिये रेस्पान्सिबिल कहें और इस प्रश्न को न लिया जाय लेकिन जिस प्रकार बजट के समय या सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के समय वह हमसे रुपया मांगते हैं उसी प्रकार जो रुपया खर्च हो चुका है उस के लिये वह सैंक्शन मांग रहे हैं तो यह भी वही हुआ कि हम से वह पैसा मांग रहे हैं। ऐसी हालत में हमारा अधिकार होना चाहिये कि हम कारणों में जायं और सरकार का ध्यान दिलायें कि कितना दिया जाय या कम दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि कटमोशन मूव करने का अधिकार होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, जहां तक ऐक्सेस ग्रान्ट्स का मामला है, वह जो ज्यादा खर्च हो जाता है, आडिटर्स उसकी जांच कर के बताते हैं और जो रिपोर्ट तैयार होती है वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जाती है, वहां कंसिडरेशन होता है और वह बताते हैं कि फलां-फलां खर्च को हाउस में ले जाया जाय और उसकी मंजूरी ली जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां जो यह खर्च आता है वह एक हाउस की बनायी हुई कमेटी की स्क्रूटिनी के बाद आता है और उसके भेजने का मक़सद ही यह है कि उस की लेजिस्लेचर से मंजूरी ली जाय। अब सवाल यह है कि या तो यहां के किसी कायदे में उस का प्राविजन हो या अगर वह नहीं है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को

जो प्रेक्टिस इस मुताल्लिक़ है उस से यह बात निकलती हो कि वहां इस एक्सेज ग्राण्ट्स पर भी कटमोशन और मुबाहिसा होता है, तब यहां भी हो सकता है। मैंने इस सबजेक्ट पर मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को पढ़ा था कि एक्सेज ग्राण्ट्स पर क्या बहस का तरीका हो और क्या क्या बातें आती हैं और चूंकि वह एक निगेटिव बात है मैं उसको निकाल कर सुना नहीं सकता, यह तो उनको बताना चहिये कि वहां होता है। जनाब बालेन्दुशाह साहब ने फरमाया कि बजट या सप्लीमेंटरी बजट के वक्त हमसे जिस तरीके से रुपया मांगा गया था उसी तरीके से हमसे यह एक्सेज ख़र्च का रुपया मांगा जा रहा है, चाहे वह खर्च अब हो चुका है। लिहाजा वह सब बातें जो बजट के वक्त एप्लाई करती हैं वह सब यहां भी एप्लाई की जायं। लेकिन उनको समझना चाहिये कि जो डिमांण्ड्स होती हैं और उन में जो सरकार की इन-हेरेण्ट पालिसी होती है उस पर यहां बहस होती है और लेजिस्लेचर को उसको मंजूर या नामंजूर करने का हक़ है। अब फर्ज़ कीजिये, मैं इस वक्त जरा देर को गलत बनता हूं चाहे मैं बाद को बेकसूर साबित हो जाऊं, लेकिन मैं इस वक्त अपने को कसूरवार करार देता हूं। मान लीजिये कि १ लाख रुपया यह हाउस मंजूर करता है, लेकिन मैंने उसमें १ लाख १० हजार रुपये खर्च कर दिये हैं। तो अब जो बहस हो सकती है कि १० हजार रुपया ज्यादा क्यों खर्च कर दिये कोई और क्वेश्चन उठता नहीं। इसलिये इस पर कटमोशन उठने का सवाल नहीं है। जनाब ने इरशाद फरमाया है कि आम बहस हो सकती है, लेकिन जो रूल १८५ है उसकी इबारत के अन्दर सप्लीमेंटरी और एक्सेज ग्रांट का जिक्र है। उसके साथ-साथ यह अख्तियार दिया गया है कि अगर किसी चीज में किसी किस्म के माडीफ़िकेशन करने की जरूरत महसूस हो तो वह स्पीकर साहब कर सकते हैं। उसके माने यह हैं कि जो बहस सप्लीमेंटरी पर हो वहीं दूसरी चीज के मुताल्लिक़ न हो इसी को करने के लिये जनाब को अख्तियार दिया है। तो जो बातें हैं उससे यही जाहिर है कि जो मेरे दोस्त चाहते हैं वह मंजूर नहीं होना चाहिये।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि यदि कोई समझे कि यह कटमोशन जो हाउस में आते हैं चाहे बजट के वक्त या सप्लीमेंटरी के वक्त तो उसके माने यह है कि इस वक्त भी आ सकें तो इस जगह पर किसी कटमोशन की गुंजायश नहीं है। और बजट के वक्त या सप्लीमेंटरी के वक्त कटमोशन किये जाते हैं तो उसके माने यही होते हैं कि जो रक़म मांगी जा रही है, उसमें से रुपया कम खर्च किया जाय और उसके मतलब यही होते हैं कि जो प्रिंसिपल्स आफ पालिसी है उसको जेरे बहस लाना होता है, एमाउन्ट आफ मनी पर कोई एतराज नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल्स आफ पालिसी पर होता है, लेकिन इस वक्त जो मामला है वह यही है कि जो मैटर आफ पालिसी है वह इसमें बहुत ज्यादा नहीं आती है। बल्कि जो रकम बजट में मंजूर थी, कुछ रकम उससे ज्यादा खर्च हो गई। तो अब महज देखना यह है कि जो रक़म खर्च हो गई वह मुनासिब है या गैर मुनासिब है या कितनी मुनासिब है और कितनी गैरमुनासिब है। तो अगर इसमें किसी कटमोशन को ले लिया जाय तो वह आ नहीं सकती, इसलिये कि यह रक़में सब खर्च हो चुकी हैं अब किसी को कम नहीं कर सकते। यह तो बाद को हाउस की इत्तिला के लिये जिस पर कमेटी में भी गौर हो चुका है हाउस के सामने लाया गया है। तो इस पर यह कहा जा सकता है कि यह क्यों खर्च हुआ, लेकिन इसमें किसी कटमोशन की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाटी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय न्याय मंत्री जी ने यह मान कर बहस की कि यह ग्राण्ट सप्लीमेण्टरी ग्रांट्स की तरह से नहीं है और यह रुपया खर्च हो चुका है। श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स जब आते हैं तब कटमोशन्स की व्यवस्था होती है और रुपया खर्च होता है। बहुत से मामलों में जब रुपया खर्च हो चुकता है तब सप्लीमेंटरी उस खर्च को पूरा करने के लिये इस सदन के सामने पूरक अनुदान के रूप में उपस्थित किया जाता है। दूसरी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

बात माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रुपये खर्च हो गये तो अगर सदन इस को आउटवोट कर दे तो माननीय मंत्री जी पर एक प्रकार से अविश्वास हो जाता है। लेकिन यह अधिकार सदन को है और जो नियम सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के लिये हैं वही इसके लिये भी अवश्य लागू होते हैं, क्योंकि यह भी रुपया खर्च हो चुकने के बाद प्रायः लाया गया है। इस लिये इसमें कटमोशन की व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके बिना तो हम बहस ही नहीं कर सकते।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, जिस विधान के मुताबिक यह एक्सेज डिमाण्ड इस हाउस के सामने आया है उसके आर्टिकिल २०५ (१) (बी) में लिखा है :—

"The Governor shall, if any money has been spent on any service durin g a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

(2) The provision of Articles 202, 203 and 204 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorizing the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made or the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or grant."

सेक्शन २०२ और २०३ आप इसमें दे लेंगे।

"So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

"So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and the Legislative Assembly shall have power to assent, (or) to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein."

जब ये सारी चीजें इस पर लागू होने की हैं तो यह जरूरी है कि हम कटमोशन भी पेश कर सकते हैं। जैसा माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि सप्लीमेंट्री डिमांड में जब मांगते हैं, उससे पहले खर्च कर चुके होते हैं, इससे मैं सहमत नहीं।

माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने ठीक कहा कि मांग वह ख़र्च नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हमारी कांसिलिडेटेड फण्ड से एक पाई भी ख़र्च नहीं कर सकती बिना लेजिस्लेचर की इजाज़त के। लेजिस्लेचर अगर किसी कारण मीट नहीं कर सकता तो कांस्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जिसके अनुसार एक कांटिन्जेंसी फण्ड क्रियेट होता है और वह गवर्नर के डिस्पोज़ल पर होता है। अगर लेजिस्लेचर मीट नहीं कर सकता है तो फिर सरकार कांटिन्जेंसी फण्ड से रुपया मांग कर ख़र्च कर सकती है। ख़र्च करने के बाद उस रुपये को फिर हाउस के सामने लाया जाता है। सरकार उस रुपये को हाउस से पास कराती है और फिर उस रुपये को कांटिन्जेंसी फण्ड में वापस रक्खा जाता है। यह इतना बड़ा कांस्टीट्यूशन ब्रीच है कि हमारे सारे अधिकारों का इसमें अपहरण हो जाता है और यह एक प्रकार से एम्बेजिलमेंट है।

श्री अध्यक्ष--शब्द आप उचित उपयोग में नहीं ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एम्बेजिलमेंट शब्द आप वापस ले लें। यह अनपार्लियामेंटरी है। मजाक की बात दूसरी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं वापस लेता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहने जा रहा था कि यह उसी तरह है कि कोई शख्श धरोहर रखता है और वह उसे उठा देता है, तो उसे क्या कहा जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाबवाला, आपकी तवज्जह जरा इस पर दिलाना चाहता हूं। समझा यह जा रहा है और नतीजा यह निकाला जा रहा है कि एक्सेस ग्राण्ट्स जो हैं उसी तरीके से ट्रीट होंगी, जिस तरीके से और ग्राण्ट्स ट्रीट होती हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने एक चीज़ पढ़ने से छोड़ दी जो कि बड़े मोटे लट्ठे के रूप में इस कांस्टीट्यूशन में रक्खी हुई है और इससे पहले रक्खी हुई है। सेक्शन २०५ का बी जो है, वह इस प्रकार है :--

"If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be."

इसमें इबारत आखिरी जो है यह कहती है कि यह जो एक्सेस ग्राण्ट होगी उसको सिर्फ असेम्बली के अन्दर पेश किया जायगा और अपर चेम्बर जो है उसके अन्दर पेश नहीं किया जायगा। क्यों नहीं किया जायगा, साफ बात है कि अपर चेम्बर में जनरल डिस्कशन हो सकता है। जनरल डिस्कशन अगर इसका कराना होता कांस्टिट्यूशन बनाने वालों को एक्सेस ग्राण्ट्स का तो अपर चेम्बर को अख्तियार दिया जाता कि वहां उसके सामने इसको रक्खा जाय और जनरल डिस्कशन हो, लेकिन इसमें लिखा है कि सिर्फ असेम्बली में इसको ले जाया जायगा और अपर चेम्बर में नहीं ले जाया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, यह सारा मैंने पढ़ा था।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह था कि आम बहस इस पर हो या न हो इस पर जो फैसला मैंने दिया उसको नारायण दत्त तिवारी जी ने स्वीकार किया और वह तो उन्हें भी मंजूर है। लेकिन कटमोशन का सवाल और आम बहस का सवाल पृथक है। इसमें कोई शक नहीं कि वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स या बजट सालाना जो पेश होता है तो बजट के एस्टिमेट्स और एक्सेस ग्राण्ट्स में इसमें अन्तर इस विषय में है कि आम बहस हो या न हो।

श्री अध्यक्ष]

यह संविधान में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लेकिन ग्रान्ट्स मंजूर हों या न हों इस संबंध में सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह उन्हें पूरे तौर से मंजूर करे या उनमें से कम रकम मंजूर करे, इसके विषय में मैं समझता हूं कि कोई मतभेद नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि कौन सी प्रथा ठीक होगी। इस सदन के सामने कटमोशन का तरीका रक्खा जाय या न रक्खा जाय यही प्रश्न है। जहां तक सिद्धांत का सवाल है इस सदन को कोई रोक नहीं सकता कि उससे जितनी ग्रान्ट मांगी गयी है उससे कम मंजूर करे और चूंकि खर्च हो चुकी है उससे फिर यह नतीजा निकले कि गवर्नमेंट पर अविश्वास प्रकट होता हो और सरकार रिडक्शन मंजूर नहीं करती तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़े—ये सब बातें दूसरी हैं—लेकिन इस सदन का अधिकार इस सम्बन्ध में हट नहीं सकता। इस विषय में एक कार्यवाही लेजिस्लेटिव कौंसिल की है और १८ दिसम्बर, १९३१ की है उसको पढ़े देता हूं। इसमें सी० वाई० चिन्तामणि यह कहते हैं :—

"I wish to make one general observation that if we vote for this sum and do not move any reduction or do anything of that kind, it is not because we are satisfied that in every case excess was inevitable but because no useful purpose would be served in moving rejection as the expediture was already incurred."

इस पर फायनेन्स मिनिस्टर जवाब देते हैं :

"Sir, reply to what my honourable friend has said, I can assure him that there is nothing whatever to prevent him moving a reduction. The results, were it carried, would probably be unpleasant to somebody or other, but still it is clearly within the competence of the House to move it. I only make that plain as it does to seem to be realized. For the rest, all I have to say is that, right or wrong, these have been recommended to the Council by the Public Accounts Committee, which is a standing committee of this House."

इन विचारों से मैं सहमत हूं सदन का यह अधिकार है कि पूरी ग्राण्ट को वह मंजूर कर सकता है और उसमें कटमोशन न मूव करे, पूरे अनुदान का विरोध करे तो वह दूसरा तरीका भी हो सकता है और तीसरा कम रकम मंजूर करने का हो सकता है। उदाहरणार्थ १० हजार रुपये की मांग हो तो सदन यह कह सकता है कि ५ हजार रुपया हम वाजिब समझते हैं और ५ हजार रुपया वाजिब नहीं समझते। इसलिये हम सिर्फ ५ हजार ही मंजूर कर सकते हैं और बाकी नामंजूर करते हैं। इसी तरीके की एक और भी रूलिंग है केन्द्रीय लेजिस्लेचर के प्रेसीडेंट की। श्री सत्यमूर्ति जी ने १९३५ में यह सवाल उठाया था कि इस प्रकार के अनुदानों का स्कोप आफ डिस्कशन क्या होना चाहिये। प्रेसीडेंट सर अबदुर्रहीम ने यह कहा :—

"Is there any difference in that respect between supplementary grants and excess grants? I have looked up the Parliamentary procedure and I do not find that there is any distinction as regards the scope of discussion so far as supplementary grants and excess grants are concerned."

जहां तक कटमोशन के सम्बन्ध में इस सदन के सदस्यों का अधिकार है उस विषय में मैं यह समझता हूं कि जब तक मुझे कोई दूसरा स्पष्ट नियम या संविधान की किसी धारा के द्वारा यह न बताया जाय कि कटमोशन नहीं आ सकता तब तक मैं यही निश्चित करता हूं कि रिडक्शन हो सकता है और रिडक्शन होने का मतलब यह है कि कटमोशन हो सकता है। टोकेन रिडक्शन जिस तरह नीति के सम्बन्ध में बजट के अनुदानों पर होता है। वह उसमें नहीं हो सकता। जैसे जनरल पालिसी किसी ग्रान्ट के अन्तर्गत डिस्कस करने के लिये बजट के समय एक रुपया की टोकन कटौती का प्रस्ताव दिया जाता है। इस तरह की चीज इसमें नहीं होगी। लेकिन जितनी ग्रान्ट है उससे कितनी सदन कम करना चाहता है, यह इस सदन को करने का अधिकार है। इस तरह का कटमोशन इस में आ सकता है। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब आपने इजाजत दे ही दी। रिडक्शन करेंगे तो समय भी दिया जाना चाहिये मूव करने के लिये।

श्री अध्यक्ष—समय देने के लिये मैंने कुछ कहा नहीं। समय तो मिल चुका, पेश हुये कितने रोज हो चुके। आप रिज्क लेते और पेश कर देते।

१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या ४—स्टाम्प

मादककर मंत्री श्री गिरधारीलाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४—स्टाम्प के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को २२,१५८ रु० की धनराशि दी जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन का जो अधिकार था वह हमें दिया है और हमें इस बात की इजाजत दी है कि हम जो एक्सेस डिमांड के लिये आज सदन के सामने यह मांग पेश की है, उसमें कटौती के प्रस्ताव भी रख सकते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि इस अनुदान के सम्बन्ध में कोई कटौती का प्रस्ताव रखकर उसमें कमी करूं। किन्तु सिद्धांततः जो डिमांड आज हमसे की गयी है उसके जनरल प्रिंसिपल पर कुछ बातचीत करना अवश्य चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप को जनरल डिस्कशन नहीं करना है। या तो आप विरोध करें या समर्थन।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—विरोध तो कर ही रहा हूं और विरोध इसलिये कर रहा हूं—भाषा का जिक्र हमारे मंत्री जी ने किया, कोई दूसरा शब्द बतला दें तो उसी शब्द को इस्तेमाल करने लगूं क्योंकि इस सदन का अधिकार है और पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर दि फाइनेंसेज आफ दि स्टेट यह प्रजातंत्र के अन्दर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसीज पनप नहीं सकती है अगर लेजिस्लेचर का कंट्रोल फाइनेंसेज के ऊपर न हो।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। निवेदन यह है कि इस अनुदान में जो भी व्याख्या की गयी है, उसमें जो बातें लिखी गयी हैं उन्हीं के आधार

[श्री व्रज भूषण मिश्र]

पर बहस हो सकती है और उपाध्याय जी की बहस जनरल ट्रेंड ले रही है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि अवैधानिक है ।

श्री अध्यक्ष---अभी तो उन्होंने भाषण कुछ शुरू ही किया है। आम बहस कर रहे हैं या क्या चीज है यह पता अभी नहीं लगता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं तो अभी एक्सेस की परिभाषा सुना रहा हूं। आज हमारे सामने एक ऐसी मांग की जा रही है, जिसको खर्च कर लिया गया। विधान यह कहता है कि हमारी सरकार एक भी पैसा बिना इस सदन की मंजूरी के खर्च नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत है और आज हम से आप उस चीज की स्वीकृत मांगते हैं जो खर्च कर चुके हैं सन् १९५०-५१ में। सन् १९५०-५१ में खर्च करने के बाद आपको १९५१ या १९५२ के अगस्त के महीने तक यह पता लग गया होगा कि हमारे बजट से कितना रुपया मंजूर था, उससे ज्यादा खर्च हो गया है। आज १९५०-५१ के बाद हमारे इस सदन से इस बात की मांग की जा रही है कि जो रुपया हमने खर्च कर लिया है वह हमें मंजूर कर दो। मैं समझता हूं कि यह कांस्टीट्यूशन की धाराओं की अवहेलना है और इसलिये मैं यह समझता हूं कि अगर आज तक कोई ऐसी चीज हो गयी है तो हो गयी, लेकिन आगे के लिये हमारा डिपार्टमेंट पर जबरदस्त कंट्रोल रहना चाहिये ताकि जो रुपया वह खर्च करें उसका सैंक्शन इस सदन से पहले ही ले लिया जाया करे। इस कांस्टीट्यूशन में, जैसा कि मैंने कहा, एक दफा ऐसी दी गयी है इसी बजट के लिये कि अगर किसी कारण से विधान सभा न मिल सके, पहले तो साल भर के अन्दर मार्च तक अगर सरकार खर्च करना चाहती है तो यह कोशिश होनी चाहिये कि विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाय और उससे मंजूरी ली जाय, लेकिन अगर किसी कारण से वह न बुलाया जा सके तो आर्टिकल २६८ में यह लिखा है कि एक कांटिंजेंसी फंड क्रियेट होगा। उस कंटिंजेंसी फंड में कुछ रुपया जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड से उसमें रखा जायेगा वह गवर्नर महोदय के अंडर में रहेगा। अगर लेजिस्लेचर किसी कारण से मीट नहीं कर पायेगा तो गवर्नमेंट गवर्नर महोदय को एक दरख्वास्त देगी और उन से यह कहेगी कि हम किसी कारण से लेजिस्लेचर को नहीं बुला सके हैं, आपके पास जो रुपया कांटिंजेंसी फंड में पड़ा हुआ है उसमें से कुछ रुपया दे दीजिये और जिस समय हम लेजिस्लेचर को बुलायेंगे तो हमारा पहला काम यह होगा कि हम उस रुपये को लेजिस्लेचर से मंजूर करवा कर आपके फंड में आपका रुपया वापस जमा कर दें। जब हमारे कांस्टीट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकिल है तो कोई वजह नहीं है कि कोई भी मांग का रुपया जो हमारी सरकार ने खर्च किया है वह उन्होंने कांटिंजेंसी फंड से क्यों नहीं ले लिया अभी तक। यह कांस्टीट्यूशनली गलत है और अगर वह खर्च करते हैं तो इसके माने यह होंगे कि इस साल जो रुपया हमारी बिना राय के सरकार खर्च कर दे, वह करोड़ों रुपया खर्च कर सकती है तो उसकी जांच चार, पांच साल बाद होगी, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स को तैयार करने में कन्ट्रोलर एन्ड आडीटर जनरल को बहुत टाइम लगता है और फिर यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जाते हैं और फिर.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप सिर्फ जनरल बात कह रहे हैं। आप ग्रान्ट पर आ जाइये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं तो इस सिद्धांत पर कह रहा हूं। उन्होंने जो खर्च कर डाला मैं उस पर क्या कहूं ।

श्री अध्यक्ष---जब बिल आयेगा उस समय उस पर आप आब्जर्वेशंस कर सकते हैं। यह तो जनरल आब्जर्वेशन्स हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--तो उस डिपार्टमेंट में क्या खराबी थी, यह तो मैं कहना नहीं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--अगर यह वाजिब है तो मानिये और गैरवाजिब है तो उसको बताइये कि क्यों ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं वाजिब है या गैरवाजिब है इस पर नहीं जा रहा हूं । मैं इस पर जा रहा हूं कि यह खर्च न हो ।

श्री अध्यक्ष--उसमें आपको वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री उसका जवाब देंगे जनरल पालिसी के बारे में ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं । मजबूरी थी उनको खर्च करने की और उन्होंने खर्च किया । जहां तक इस आइटम के बारे में है । लेकिन मैं कांस्टीट्यूशनली इसकी मुखालिफत करता हूं और जैसा कि आपने कहा जब यह बिल आयेगा तब मैं बोलूंगा और मैं उस समय इस सारे सवाल को लूंगा और मैं एक घंटा बोलूंगा क्योंकि यह सबसे पहली ग्रान्ट इस प्रकार एक्सेस की आयी है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । (कुछ सदस्यों की ओर इशारा करके) हमारे माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं । अगर पढ़ते तो समझते कि यह कितने महत्व की चीज है और क्या इसकी महत्ता है । मैं डिमोक्रेसी में विश्वास करता हूं और इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहता हूं । इस सदन की जो पावर्स हैं उन पर बात करना चाहता हूं । और अगर इसके पावर्स पर कोई भी कोठाराघात करना चाहेगा तो उसका हम विरोध करेंगे । हां माफी मांगें, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, यह बात दूसरी है । लेकिन यह कह देना कि नहीं साहब हम खर्च भी कर सकते हैं, आप करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिये और हाउस की परवाह न कीजिये तो यह डिक्टेटरशिप है । बहुमत के बल पर आप मनमानी करना चाहते हैं । तो यह तो एक तरह से डिक्टेटरशिप भी है । श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसका बिल कब आयेगा, अगर आज ही आ जाय तब तो ठीक है । तब मैं कुछ कहूं ।

श्री अध्यक्ष--अनुदानों पर मतदान खत्म होते ही आज ही आजायगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--तो अध्यक्ष महोदय, जनरल डिस्कशन पर मैं बहस करूंगा ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर उपाध्याय जी ने स्पष्टीकरण को पढ़ा होता तो इतना अधिक बोलने की आवश्यकता न होती । सारे लेनदेन का हिसाब तो ऐसा होता ही है । बनिया भी जब पर्ची काटता है तो नीचे लिखा होता है कि भूल चूक लेनी देनी । वही यहां पर भी है सीधासादा हिसाब है । उसमें न कोई व्याख्या की जरूरत है और न कोई गबन की बात, जैसा पहले माननीय उपाध्याय जी कह चुके हैं जिसको कि उन्होंने आपकी आज्ञा से वापस भी लिया । सीधी सी बात है १२ लाख के स्टाम्प बिके तो जितने बिकेंगे रुपया तो राजस्व में चला जायगा और कमीशन स्टाम्प के खाते में पड़ेगा । कहीं रुपया नहीं गया । और न कहीं किसी ने गबन किया है । एक जेब से निकल कर दूसरी जेब में रखना है, केवल (paper adjustment) का रूप है, सीधी सी बात है कि इतने के स्टाम्प बिके तो उनकी छपाई वगैरह में जो कागज और रुपया खर्च हुआ वह स्टाम्प की मद में बढ़ गया और यही टोटल मिल करके २२ हजार हो गया उसके वास्ते मैं समझता हूं कि यह मांग स्वीकार की जाय ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत मांग का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस ग्रान्ट् नम्बर ४ के अनुसार स्टाम्प ग्रान्ट के अधीन २२,१५८ रुपये की बृद्धि के सम्बन्ध में रुपये की मांग की गयी है। मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह ध्यान से देखने की चेष्टा की कि आखिर इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठा है या नहीं। लेकिन उस रिपोर्ट में सन् १९५०–५१ के बजट के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है एप्रोप्रियेशन आडिट रिपोर्ट, उसमें कोई ब्योरा या विवरण न इस विभाग की ओर से और न कमेटी की तरफ से देखने को प्राप्त हुआ। तो इसलिये कम से कम इस ग्रान्ट ४ के बारे में नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने कोई ब्योरा उपस्थित किया या स्पष्टीकरण मांगा। इसलिये मैं इतना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि इस ग्रान्ट के बारे में माननीय मंत्री जी को पूरा ब्योरा सदन के सामने रखना चाहिये। यह जो स्पष्टीकरण दिया गया है यह केवल ५ लाइन का है और इतना अर्थहीन है, इतना अस्पष्ट है कि इससे कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती है कि क्यों २२ हजार ही दिया जाय। यह हो सकता है कि आडिटर जनरल ने या कम्पट्रौलर जनरल ने सारी फाइलें डिपार्टमेंट की देख ली हों उसके बाद कोई सिफारिश की हो। लेकिन सदन के सामने कोई सिफारिशों का ब्योरा नहीं आया। मिसाल के लिये सन् १९५०–५१ में स्टाम्प्स की आइटम ग्रान्ट नम्बर ४ के लिये ५१,७०० रुपये की मांग की गयी। जिसमें २२ हजार की वृद्धि हुयी। कहा यह जाता है कि उस साल १२ लाख रुपये की अधिक आमदनी स्टाम्प बिकने से हुयी जिसके कारण स्टाम्प वेन्डर्स को डिस्काउन्ट दिया गया और स्टाम्प्स के बनने की कीमत जो थी वह और बढ़ गयी। तो इस ऐक्सप्लेनेशन से यह मालूम होना चाहिये था, अलग अलग स्पष्ट किया जाना चाहिये था ब्योरेवार कि कितना डिस्काउन्ट स्टाम्प वैन्डर्स को दिया गया और कितना बढ़ा। और कितना जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, प्रकाशन व्यय था वह कितना बढ़ा अलग अलग उसका ब्योरा दिया जाना चाहिये था कि इतना पहले था, इतना इसमें बढ़ गया। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि २२,१५८ रुपये में से कितना रुपया ऐसा था जो कि उन्होंने डिस्काउन्ट के रूप में दिया और कितना रुपया ऐसा था जो कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के रूप में दिया।

दूसरी बात यह है कि माननीय मन्त्री जी को यह बतलाना चाहिए कि पूरक अनुदानों के रूप में सन ५०–५१ से लेकर आज तक उन्होंने इस ग्रान्ट को क्यों नहीं मांगा और जब तक आडीटर जनरल ने उसको बतलाया नहीं कि एक्सेस ग्रान्ट खर्च कर चुके हो, उनके विभाग को पता क्यों नहीं लगा। यह आमदनी का आइटम था, १२ लाख आमदनी हुयी यह तो मालूम था उनके विभाग को, लेकिन जो ज्यादा खर्चा करना पड़ा यह उनके विभाग को नहीं मालूम हुआ। उनके विभाग को अपनी आमदनी जो बढ़ गयी है वह तो मालूम है, लेकिन जो खर्चा बड़ा वह नहीं मालूम हुआ जब तक कि आडिटर जनरल ने तीन साल तक उनके विभाग को नहीं बतलाया कि इतना ज्यादा खर्चा तुम कर चुके हो, मैं समझता हूं कि यह उनके विभाग के लिये बड़े शर्म की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि सन् ५०–५१ के पूरक अनुदान जो प्रस्तुत हुये उनमें क्यों नहीं मांगा? ५१–५२ का बजट आया, सप्लीमेंट्री उस समय आया उस समय क्यों नहीं मांगा। आपको ज्ञात होगा श्रीमन्, सप्लीमेंट्री स्टीमेट्स में तीन तीन साल पुराने आइट्मस हमने मंजूर किये हैं और पिछले साल के कितने आइटम्स मंजूर करते रहे हैं। मैं तो सदन से विनीत निवेदन करूंगा कि जब तक माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण नहीं देते कि उनका विभाग सोया हुआ नहीं था, स्वप्नावस्था में विचरण नहीं कर रहा था जिस समय कि यह रुपया खर्च हुआ, अपने स्पष्टीकरण को और स्पष्ट नहीं करते तब तक हमको इस ग्रान्ट को मंजूर नहीं करना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में बहुत ज्यादा नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूं कि सदन में जिस समय सब एक्सेस ग्रान्ट्स रखी गयी उसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय यह भी रखी गयी और दूसरी खास बात उन्होंने यह कही कि यह अलग अलग कितना रुपया इसमें खर्च हुआ है । तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि १० हजार ७ सौ रुपया तो स्टाम्प वेंडर्स के कमीशन वगैरह में और १२ हजार ७ सौ ८३ रुपया मैन्युफैक्चरिंग कास्ट वगैरह में दिया गया है । और मैं समझता हूं बाकी जितनी बातें इसके अलावा कही गयी वह सब वैसी ही बातें हैं और उनका स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मैं एक बात जानना चाहता हूं ? एक सवाल करना चाहता हूं कि कमीशन में केवल दस हजार रुपया खर्च होना और १२ हजार रुपये छपाई में खर्च होना यह इतना आश्चर्यजनक है कि कैसे इसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष––आपको कुछ जवाब देना है ?

श्री गिरधारीलाल––जी नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं देना है ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४–स्टाम्प के अन्तर्गत २२,१५८ रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ––

पक्ष में––१२१,
विपक्ष में––१४ ।)

अनुदान संख्या ६––रजिस्ट्री

श्री गिरधारीलाल––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान सं या ., रजिस्ट्री के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को ६,६३० रुपये की धनराशि दी जाय ।

इसके विषय में भी खास बात नहीं कहनी है, क्योंकि इसमें जो खास एक्सप्लेनेशन है वह संबंधित लिट्रेचर में दिया हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––विधान की धारा २०३ के अनुसार गवर्नर महोदय की सिफारिश के अनुसार यह मांग नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष––उन्होंने यह कह तो दिया । आपने सुना न होगा ।

***राजा वीरेंद्रशाह** (जिला जालौन)––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्ट्री के सम्बन्ध म ६,६३० रुपये की मांग सरकार ने की मैं उसका विरोध करता हूं । विरोध करने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को इसमें तो कोई उज्र नहीं है कि ६,६३० रुपया खर्च किया गया, जरूरत पड़ने पर किया गया, लेकिन यह जो तरीका एक्सेस ग्रान्ट में मांगने का है, यह उचित नहीं है । यह तो सब विभागीय कर्मचारियों को मालूम होना चाहिये कि कितना खर्च होना चाहिये। यह कोई अच्छी चीज नहीं है कि एक्सेस ग्रान्ट हम विधान सभा में पेश करें और फिर वह पूरा किया जाय । यह तर्क देना कि हम भूल गये, तो तीन-तीन सप्लीमेंटरी डिमांड्स सरकार ने रखे हैं इस भवन के अन्दर सन् १९५०–५१ तक के खर्चे के और यह पता खर्चे का नहीं चल सका कि विलीन रियायतों के सम्बन्ध में क्या खर्चा इस बारे में हुआ । यह विभाग के लोग न जान सके, तो मैं समझता हूं कि यह जायज नहीं है और इसलिये विरोध करता हूं कि आइंदा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल––मुझे इसके विषय में भी कोई खास बात नहीं कहनी है। सिर्फ इतना ही है कि यह साफ जाहिर है कि जिस समय सदन के सामने बजट रखा जाता है उस समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गिरधारीलाल]

सरकार की कभी यह ख्वाहिश नहीं होती कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट या एक्सेस ग्रान्ट सदन के सामने रख कर सदन का समय लिया जाय। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट का काम बिला इसके चल भी नहीं सकता। लिहाजा जब बहुत मजबूरी हो जाती है तभी ऐसी ग्रान्ट्स सदन के सामने पेश की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—रजिस्ट्री के अन्तर्गत ६,६३० रुपयों की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२—कमिश्नर और जिला प्रशासन

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या १२—कमिश्नर और जिला प्रशासन के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को ९२,१८६ रुपये की धनराशि दी जाय।

इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह बिल्कुल सही है कि बिना सदन की मंजूरी के रुपया खर्च नहीं होना चाहिये। अगर मूल बजट बनते वक्त वह चीज नहीं भी हो सके तो सप्लीमेंट्री के रूप में आनी चाहिये। लेकिन जिन लोगों ने कांस्टीट्यूशन बनाया उनको दुनियां के और देशों का भी अनुभव था और वे जानते थे इस बात को कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार जो भी काम होता है वह आदमियों के हाथ से होता है और वे इस बात को समझते थे और मैं भी इस बात को कहता हूं कि दुनियां में कोई भी गवर्नमेंट कभी ऐसे नहीं चल सकती कि उससे कभी न कभी कुछ एक्सेस खर्च न हो जाय। इसीलिये हमारे कांस्टीट्यूशन में एक्सेस ग्रांट्स के लिये नियम रखा गया है। अगर एक्सेस ग्रान्ट्स होनी ही नहीं चाहिये थीं तो उनका न यहां जिक्र होता, न केन्द्र में होता और न ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता। एक बात और है समझने के लिये। यह एक्सेस ग्रान्ट ऐसी चीज है जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में कदापि पेश नहीं हो सकती। अगर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में पेश हो सके तो उसे सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में आना चाहिये। जब कोई योजना गवर्नमेंट की होती है जिसको वह चलाना चाहती है उसको तो गवर्नमेंट सदन के सामने पेश कर सकती है, अगर वह मूल बजट में न हो। मसलन् इंडस्ट्रीज की बात है, उसका दो करोड़ रुपये सालाना का बजट हो और बीच में अगर यह बात आये कि अमुक इंडस्ट्री को भी चलाना है और उसके लिये २०–२५ लाख रुपये की जरूरत है तो उसके लिये तो गवर्नमेंट सप्लीमेंटरी ग्रान्ट पेश कर सकती है। लेकिन बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनको करने की न तो गवर्नमेंट की इच्छा होती है और उसको पता भी नहीं होता है, लेकिन वह खर्च हो जाता है। मिसाल के लिये, इसी में लिखा है कि जमींदारी एबालिशन और ग्रो मोर फूड के सिलसिले में जो काम हुआ उनमें गाड़ियों में खर्चा हुआ। अब इस खर्च को करने वाले हमारे यहां ५१ जिले हैं और एक नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के हाथ से वह खर्चा हुआ। कहीं पेट्रोल में दो रुपये खर्च किये गये और कहीं सवारी में, और ये सब रुपये जोड़ कर इतने हो जाते हैं जिनका सरकार को पता नहीं होता। जब कहीं सारा हिसाब पूरा हो जाता है तब कहीं जाकर पता लगता है कि इस काम में इतने रुपये ज्यादा खर्च हो गये। फिर अगर एक अधिकारी के हाथ से खर्च होता हो तो भी कुछ हो सकता है कि उसे पता रहता है कि इतना रुपया इस काम के लिये है, उसी के अन्दर खर्च करने की कोशिश करें, लेकिन जहां पर इतने आदमी खर्च करने वाले होते हैं वहां पर कभी-कभी ऐसा हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। इसी मद को लीजिये ९२, १८६ रुपये हम मांगते हैं। इसके लिये कुल खर्चा सदन ने २ करोड़ ८३ लाख का मंजूर किया था। उसके ऊपर ९२,१८६ रुपये और खर्च हुये। उसको बतलाया गया है कि टेहरी-गढ़वाल स्टेट का मर्जर हुआ और वह उत्तर प्रदेश में आयी। अब उसमें क्या खर्च होगा इसका कोई खास एस्टीमेट नहीं हो सकता था। जो समझ में आ सकता था वह तो बजट में रख

दिया गया या सप्लीमेंटरी बजट में रख दिया गया लेकिन वहां कैसी सड़कें हैं, और क्या-क्या खर्चे होंगे, इसका कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था। इसलिये ऐसा हुआ और जैसा कि लिखा है कि जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में, कलेक्शन के काम में तथा ग्रो मोर फूड के सिलसिले में सवारी में रुपया खर्च हुआ है। हिसाब तो एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां रहता है और जब वहां से हिसाब आता है तो हम लिखते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम रख सकें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन मेरी मांग को स्वीकार करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग का विरोध करता हूं और मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुयी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ऐसा हो जाता है और अगर ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता तो विधान में यह क्लाज आया ही नहीं होता। हमारी एक और शिकायत है कि बजट ३१ मार्च को खत्म होता है। ३१ मार्च तक जितना रुपया होता है वह खर्च हो जाता है या जो कुछ रुपया जितना बजट का सैंक्शन होता है उससे कुछ ज्यादा खर्च हो गया हो तो ए०जी० के यहां किताबों में दर्ज हो जाता है। वह दो तीन महीने तक खुली रहती हैं। वैसे तो ३१ मार्च को बंद हो जानी चाहिये लेकिन अगस्त के महीने तक खुली रहती हैं। जहां पर डिपार्टमेंट्स की पिक्चर आ जाती है कि इस डिपार्टमेंट ने कितनी सेविंग की या एक्सेज किया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख तो इस बात का है कि जो रीजन्स दिये गये हैं वह सब गलत हैं, इसलिये हमें शिकायत है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह मामला आया था और उसने सारे पहलू पर खूब अच्छी तरह से विचार किया था और देखा था कि स्टेट्स के मरजर पर क्या खर्चा हुआ और जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में कलेक्शन में खर्चा हुआ था। उस सब को देखकर अन्त में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने यह फैसला किया था कि यह जो ग्रान्ट है बहुत अनविल्डी है। सब कमीशन, लेजिस्लेचर वगैरह दुनियां भर के डिपार्टमेंट्स इस हेड में हैं। उसने यह फैसला किया कि यह डिपार्टमेंट बहुत अनविल्डी हो गया है इसलिये इसे डिसबर्स कर दिया जाय और छोटे-छोटे ग्रान्ट्स बना दिये जायं।

मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देते समय यह बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने इस पर क्या फैसला किया? अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि यह ऐसे रीजन्स हैं जिनसे हम कन्विन्स नहीं हो सकते हैं, वैसे बदनाम हमें किया गया है। इसमें लिखा है कि:—

"A demand for an excess grant can be laid before the Legislative Assembly only after the Appropriation Accounts of the year have been made up and audited. The work of compilation . . . ."

श्री अध्यक्ष---यह आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह उन्होंने कहा कि क्यों देर हुयी ....।

श्री अध्यक्ष---वह हिन्दी में भी तो आया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जी हां, "संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स) तैयार हो जाने और उनकी लेखा परीक्षा हो जाने के बाद ही अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग विधान सभा के समक्ष रखी जा सकती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कंट्रोलर ऐन्ड आडिटर जनरल) द्वारा विनियोग लेखों (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स) के संकलन करने में तथा लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) द्वारा उन पर विचार करने में कुछ समय लगता है। चूंकि अतिरिक्त अनुदानों के लिये इन मांगों को संविधान के अनुसार सदन के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिये भारत सरकार के परामर्श से इस सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (प्रोसीजर) के निर्धारण में भी कुछ समय लगा है।"

अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन हमारे सामने है, हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से क्या पूछना है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, जैसे एकाउन्टेन्ट जनरल

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

महोदय के बीच में और ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स के बीच में कारस्पांडेंस चलती है और जब एकाउन्टेंट जनरल के यहां किताबों में दर्ज हो जाता है कि इस डिपार्टमेंट ने कितनी सेविंग की है तो वह वहां लिखी जाती है, इसी तरह से किसी डिपार्टमेंट ने कितना ज्यादा खर्च कर दिया वह भी दर्ज हो जाता है और गवर्नमेंट को मालूम हो जाता है कि हमारे इस डिपार्टमेंट में एक्सेस हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि १९५०-५१ में जो रुपया एक्सेस हुआ उस रुपये की सूचना गवर्नमेंट को हो चुकी थी कि इस डिपार्टमेंट में इतना एक्सेस हो गया। कोई कारण नहीं था कि इतने लम्बे समय तक वह पड़ी रहे और यहां पर हमारे सामने न आवे। गवर्नमेंट के पास आडिटर जनरल के दफ्तर से हिसाब-किताब आ गया होगा। यह जरूरी नहीं है कि इस तरह की ग्रान्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आवे। गवर्नमेंट और एकाउन्टेन्ट जनरल में खतोकिताबत होती रहती है और फिर आपस में ही इनका फैसला हो जाता है कि इस तरह से इसको ठीक कर लिया जाय। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि ५०-५१ के ऐक्सेस एकाउन्ट का हिसाब गवर्नमेंट को ५२ में हर हालत में पहुंच गया होगा। कोई कारण नहीं है कि आज तक इतने साल तक यह एक्सेस ग्रान्ट हमारे सामने न रखी जाती। इसमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का कोई दोष नहीं है। यह तो उसी तरह से हुआ कि अगर इस साल कोई एक्सेस ग्रान्ट आवे तो वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के पास तो जा नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास एप्रोप्रियेशन एकाउण्ट्स नहीं है। पहले उसको आडिटर जनरल तैयार करे और फिर वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आवे और तब उस पर फैसला हो। फिर वह सरकार के पास जाय तब वह फैसला करे कि यह एक्सेस हो गया। तब मांग करे। तो वह एक्सेस यहां पर सन् ६२ में आयेगा तब तक न मालूम कौन गवर्नमेंट यहां पर बैठी रहेगी। इसलिये मेरी शिकायत है कि इस तरह से नहीं होना चाहिये। एक्सेस होता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसका तरीका यह दोषपूर्ण है। जनरल डिस्कशन के मौके पर मैं माननीय मंत्री जी को बताने की कोशिश करूंगा और सरकार ने उसको पालन किया तो फिर इस तरह की आपत्ति से वह बच सकती है। इन शब्दों के साथ जो ग्रान्ट यहां पर रखी गयी है, मैं उसका विरोध करता हूं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि किसी विधान सभा के लिये किसी न किसी समय उसको एक्सेस ग्रान्ट् के लिये मंजूरी देनी होगी। अभी जो बातें यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने कही हैं उससे न मुझे कोई विरोध है और न ऐसी बात है जिसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि टेहरी गढ़वाल के सम्बन्ध में यह सच है कि वह नहीं बता सकते थे, विलीन होते हुये समय बहुत सी जानकारी उस रियासत के बारे में इस प्रदेश की सरकार को नहीं थी। सरकार उस समय उसके लिये पूरी और समुचित व्यवस्था नहीं कर सकती थी। परन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि ग्रो मोर फूड कम्पेन के सम्बन्ध में क्या सरकार को जानकारी नहीं थी। आज की नहीं, यह उस समय की बात है जब कि महायुद्ध चल रहा था। तब से आजतक इसके लिये इस प्रदेश में काफी धन व्यय हो चुका है। इस सम्बन्ध में किस तरह से अपव्यय हुआ है और व्यय का दुरुपयोग हुआ है इसके कहने के लिये यह अवसर नहीं है।

दूसरी बात जो और बताने वाली है वह यह है कि जमींदारी विनाश कोष के लिये सरकार को कौन सी आपत्ति आ गयी थी जिसके लिये सहसा इतनी मोटर गाड़ियां खरीदनी पड़ीं। जमींदारी विनाश कोष जिस समय चल रहा था उस समय हमारे माननीय ठाकुर हुकुम सिंह जिम्मेदार थे। इस सरकार ने उसके लिये भी प्रबंध किया था कि सरकार के कोष में रुपया संचित किया जाय। जब कि सरकार ने इसके लिये करोड़ों रुपया दिया तो इसके लिये कौन सी आपत्ति आ पड़ी थी। जहां तक जमींदारी विनाश कोष का सम्बन्ध है मैं आपके द्वारा सरकार को यह बता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी प्रदेशीय सरकार ने इसके सिलसिले में धन का दुरुपयोग किया। और अधिक अन्न उपजाओ और जमींदारी विनाश कोष के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था मैं समझता हूं कि इसमें कोई सार नहीं है। जब बजट आया था तो हो सकता था कि उस समय तक पूरा ज्ञान न हो पाया हो परन्तु यह कहना कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट जब आयी थी उस समय भी मंत्री महोदय को इसका ज्ञान न था इसमें कोई तथ्य नहीं है। यह हो सकता है कि उस समय और आज भी ऐसी गलतियां हों, जिनकी वजह से यह हो सकता हो कि सरकार को पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। परन्तु किसी भी सरकार के लिये डेमोक्रेसी में रहना और पूरा ज्ञान प्राप्त न करना केवल यही कहा जा सकता है कि उधर की बेंचेज पर जो लोग बैठे हुये हैं वे सब लोटस ईटर्स ही हैं, जिनको अपने कर्त्तव्य और कार्य का ज्ञान नहीं है। इसलिये केवल डेमोक्रेसी में यह कह कर पार लगना संभव नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी का गढ़वाल के बारे में जो कहना है वह तो मान्य हो सकता है, लेकिन ठाकुर साहब के लिये यह क्या आफत आ गयी कि वे मोटर पर मोटर खरीदते ही गये। जमीदारी मोटरों से थोड़े ही टूटनी थी, उसको तोड़ने के लिये तो स्वयं विराजमान ही थे। अधिक अन्न उपजाओ के सिलसिले में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी हर एक चीज को जानते थे। हां, किसी तरह की गलतियों पर आवरण डालने की बात तो समझ में आ सकती है और ऐसे समय में जो कुछ किया जाता है और करना पड़ता है, वह तो मैं जानता ही हूं। श्रीमन्, अब मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता और इतना कह कर ही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं कार्यक्रम के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। इन अनुदानों के ऊपर आप ४ बजे तक बहस करें। ४ बजे जो अनुदान रह जायेंगे उनके ऊपर बिना बहस में वोट ले लूंगा और उसके बाद फिर जैसा कि नियम है वह विनियमन विधेयक आयेगा। ४ बजे तक इसके ऊपर मतदान का कार्यक्रम समाप्त हो जाना चाहिये।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन सिद्धांत सम्बन्धी विचारों को उपस्थित किया है वे विचारणीय हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि कोई भी सरकार, किसी भी देश की क्यों न हो उस के बजट में वृद्धियां होने की गुंजाइश रहती है और इसीलिये विधान में ऐसी व्यवस्था है कि उस के अनुसार वृद्धियों के लिये सदन के सम्मुख मांग की गुंजायश हो। यह सही है कि उनके लिये गुंजाइश होनी चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि वह वृद्धियां कौन सी हों? वह ऐसी न हों जिन की पूरक बजट में व्यवस्था हो सकती थी। उनका कहना है कि जिन विषयों में पूरक बजट में व्यवस्था हो सकती है वे अलग हैं और जिनकी मांग वृद्धियों में हो सकती है वे अलग होती हैं। मैं कहूंगा कि कुछ मामलों में ऐसा होना सम्भव भी है जैसे मिसाल के लिये एक है। जो मांग आज रखी जा रही है, इस में रोडवेज के सम्बन्ध में डिप्रीसिएशन एकाउन्ट का जिक्र है। इसके सम्बन्ध में यहां के फाइनेंस सेक्रेटरी ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जिक्र किया और ३ बार कहा कि यह बजट में आना चाहिये। यही नहीं है और भी आइटम्स हैं जो पूरक बजट में आ सकते हैं और वृद्धियों में नहीं आने चाहिये। देखना यह है कि प्रस्तुत मांग में कौन सी व्यवस्था है जो पूरक बजट में आ सकती थी। आप देखें कि इसमें लिखा है कि अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के सम्बन्ध में अपेक्षित मोटर गाड़ियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में करना पड़ा। यह ९२ हजार रुपया इस मद पर और विलीनीकृत रियासतों में अधिक व्यय के सम्बन्ध में व्यय हुआ। अगर मोटर गाड़ियाँ खरीदनी पड़ीं तो यह न्यू एक्सपेंडिचर आइटम हो जाता है और उसकी व्यवस्था पूरक बजट में होनी चाहिये थी और रखरखाव में हुआ तो सवाल दूसरा है। जिस तरह से स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है उससे मालूम होता है कि नयी मोटर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

गाड़ियां खरीदने की आवश्यकता हुयी, अगर यह होता कि नहीं खरीदी गयीं तो वृद्धि में आ सकता था लेकिन मोटर गाड़ियों की व्यवस्था का अर्थ हो सकता है कि नयी खरीदी गयीं।

सन् ५०–५१ का बजट हमारे सामने है, उसमें सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में २ करोड़ ५३ लाख की मांग की गयी है। उसके बाद एक पूरक बजट आया और उसमें इसके लिये २८ लाख दस हजार की और मांग की गयी थी। पूरक बजट में आप देखेंगे कि इन दोनों मांगों के लिये व्यवस्था की गयी है। एक तो जमींदारी विनाश कोष की उगाही की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूरक बजट में १ लाख ५० हजार की मांग की गई थी फिर उन गाड़ियों के लिए पेट्रोल आदि के लिए २ लाख की मांग अलग की गई थी और उन मोटर गाड़ियों की मरम्मत आदि के लिए १ लाख रुपए के करीब और मांग की गई थी। इस तरह से मोटर गाड़ियों की मद में ही कुल अलग-अलग आइटम्स में उस सप्लीमेंटरी बजट में साढ़े ४ लाख रुपए की मांग की गई थी। तो जब सप्लीमेंटरी बजट, १९५०–५१ में इन्हीं मदों के लिये रुपया मांगा गया था और उस वृद्धि का अन्दाजा हो गया था कि ज्यादा रुपया खर्च होना चाहिये तो यह रुपया एक नये मद के रूप में खर्च नहीं होना चाहिये और अगर वृद्धि हुयी है तो हमें यह जानने का अधिकार है कि यह वृद्धि किस प्रकार हुयी और क्या यह पूरक बजट में नहीं आ सकती थी और यह पुराना खर्च किस उपशीर्षक के मातहत हुआ ? पहले तो यह आना ही नहीं चाहिये था और अगर आता भी है तो उसमें पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिये था कि किस उपशीर्षक से यह धन आया है, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में सभी मदों का पूरा ब्योरा नहीं होता। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्ज इस साल काफी मोटी छपी हैं, लेकिन जहां तक उसकी रिपोर्ट होती है वह बहुत संक्षिप्त होती है और सभी बातें उसमें नहीं आ सकतीं। तो कम से कम स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी दें और इसीलिये इसका विरोध करने के लिये मैं प्रस्तुत हुआ हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मुझको ऐसा लगता है कि मेरी इस मांग का विरोध करते हुये माननीय उपाध्यक्ष जी ने अपने साथ थोड़ा सा अन्याय किया है। उनको पब्लिक एकाउन्ट्स इत्यादि के विषय में जो ज्ञान है उससे उन्होंने पूरा-पूरा काम नहीं लिया। उन्होंने यह कहा यदि मैं उन्हें गलत नहीं समझ पाया हूं कि जब कोई वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो उसके चार-पांच महीने के भीतर ही सरकार को पता लग जाना चाहिये कि कितना रुपया कहां ज्यादा खर्च हुआ है ? मेरा निवेदन है कि ऐसा सम्भव नहीं है। क्लोज आफ दि ईयर के चार-पांच महीने के भीतर यह अन्दाजा लगता है मोटे तौर पर कि कितना अधिक व्यय हुआ है, लेकिन उपाध्याय जी को इसके बाद मालूम है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एकाउन्टेन्ट जनरल से लिखा पढ़ी होती है और बाद में यह दोनों के खतोकिताबत करने से तय होता है कि किसकी गलती है ? यदि एकाउन्टेंट जनरल के हिसाब की जांच में गलती नहीं होती तो सरकार के उस विभाग को मालूम होता है कि रुपया ज्यादा खर्च किया है। इसमें कितने वक्त की आवश्यकता है तब जाकर वह मालूम होता है। इस वास्ते साल महीने में यह सम्भव भी नहीं है। उपाध्याय जी ने बजट मैनुअल जरूर देखा होगा। उसका जो सेक्शन १५७ है वह इस प्रकार है —

"A demand for an excess grant differs from a demand for a supplementary grant in that,while the latter is essentially a demand for a grant the need for which is foreseen during the currency of a year and is presented in the year to which it relates, a demand for an excess grant is presented after the close of the financial year to which it relates in order to regularize expenditure in excess of the voted grant of that year or on a 'new service' in that year not covered have been made up and audited the work of compilation of the appropriation accounts by the vote of the Assembly. The need for an excess grant connot be known until the appropriation accounts by the Accountant Genral and their considera-

tion by the committee on public accounts all take time. In practice, therefore it is not possible to present a demand for an excess grant until about two years after the expiry of the financial year to which it relates."

इसका तात्पर्य यह है कि जैसा हमने कहा था कि कम से कम इतने वक्त में यह सम्भव नहीं है। बजट मैनुअल के हिसाब से उसको पेश होना चाहिये, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने और उसको हमने किया। सम्भव है यह तरीका गलत हो। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि वे ऐसा तरीका बतलायेंगे जिससे एक्सेस ग्रांट्स की आवश्यकता न हो। माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रोसीजर का कि किस तरह से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने नहीं जाना चाहिये, हमको अवश्य सोचना चाहिये लेकिन जो नियम हैं उनका हमने पालन किया और जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह चीज गुजर चुकी तब हमने इसको यहां पेश किया। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को भी कुछ शिकायत है, उसे तो मैं समझ सकता हूं। जो इसमें नोट लिखा है उसमें दुर्भाग्य से जमींदारी का लफ्ज आ गया और मैं यह जानता था कि जहां यह लफ्ज आया उनके कलेजे में एक टीस सी होने लगेगी, तबियत दुखी होगी और बहुत सी ऐसी बातें कही जायंगी जिनको ठंढे दिल से विचार करने पर वह देखेंगे कि इस चीज से असम्बद्ध है, मैं क्या कहूं? उनकी समझ में बात नहीं आती कि अन्दाज से ज्यादा कैसे खर्च हो सकता है? आज जमींदारी हो या न हो लेकिन पहले तो उन्होंने जमींदारी का प्रबन्ध किया ही होगा। हर आदमी को किसी न किसी किस्म का बजट बनाना पड़ता है, घर गृहस्थी के मामले में, शादी विवाह के मामले में, लेकिन आज तक यह कभी नहीं हुआ, चाहे जितनी होशियारी से अन्दाजा करें, कि इतना रुपया आने पाई से खर्च होगा, उतना ही रुपया खर्च हो। किसी मद में हो सकता है कि कम खर्च हो लेकिन किसी न किसी मद में जरूर ज्यादा खर्च हो जायगा यह असम्भव है, चाहे जितनी होशियारी से सोचा जाय।

अभी माननीय नारायणदत्त जी ने यह कहा कि जो स्पष्टीकरण है वह और ज्यादा होना चाहिये। हो सकता है कि इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है कि अगर कोई स्पष्टीकरण पर्याप्त न हो, कम शब्दों में हो तो और ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाय। लेकिन जहां तक यह मद है, जिस तरह से उन्होंने बजट को पढ़ा उसी से उनके प्रश्न का उत्तर हो गया। जहां तक हमसे मुमकिन हुआ अगर मूल बजट में नहीं तो कम से कम सप्लीमेंटरी बजट को पेश करते वक्त यह कह दिया कि जिलों में इतना खर्चा होगा, फिटर्स पर, इतना खर्चा होगा क्लीनर्स पर। सप्लीमेन्टरी बजट में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन मेंटिनेंस के सिलसिले में कई बातें हो जाती हैं जिनका ठीक-ठीक अन्दाज नहीं हो पाता। हमने समझा हो कि इतनी मोटरें खरीद लेंगे, इतने क्लीनर्स और ड्राइवर्स को रखना होगा, उनकी तनख्वाह हम सोच सकते हैं। लेकिन हमने अन्दाजा लगाया कि दस मोटरें टूट जायंगी, इत्तफाक से दो चार मोटरें टूट गयीं। उसका खर्चा उनकी मरम्मत में लगेगा। उनका ठीक अन्दाज नहीं हो पाता। कितनी सड़कों पर मरम्मत वगैरह का कितना खर्चा होगा यह अन्दाज करना बड़ा मुश्किल है। ५१ जिलों में छोटे से लेकर बड़े अफसर तक इस किस्म के खर्च करते हैं। सारे प्रदेश में जहां इतने छोटे-छोटे खर्च होते हैं उन छोटे-छोटे खर्चों का टोटल जोड़ कर करीब २३ करोड़ के बजट में एक लाख से भी कम हुआ। मैं समझता हूं कि यह इस बात का प्रमाण है कि जहां तक सम्भव होता है पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन जो ह्यूमनली इम्पासिबिल होता है उसके करने का हम दावा नहीं करते।

मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है वे स्वयं इसको देखेंगे और अपने विरोध को वापस लेंगे और इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२– कमिश्नर और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९२,१८६ रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—चिकित्सा

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या १९–चिकित्सा के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) को ७,६१,११७ रुपये की धनराशि दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस मांग के अधीन ३ लाख ६१ हजार रुपये की कटौती पेश करता हूं। श्रीमन्, अभी इसकी इजाजत मिल चुकी है कि १ रुपये की कटौती नहीं हो सकती है। बड़ी रक़म की कटौती हो सकती है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ७,६१,११७ रुपये की जो मांग है इसका कारण यह बतलाया है कि चिकित्सालयों और औषधालयों की आकस्मिक मदों तथा कर्मचारियों पर अधिक व्यय होने के कारण हुई है यह वृद्धि। और कारण यह भी बताया गया दूसरा कि गांधी स्मारक और सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के रखरखाव के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक धनराशि निकाल ली गई थी, जिसे बाद में लौटा दिया गया। इस संबंध में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में काफी विस्तृत रूप से वर्णन भी किया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को ३ लाख ६१ हजार रुपया अनधिकृत रूप से अधिक दे दिया गया है और जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने विवरण दिया गया है उसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ग़लती नहीं है। उनको तो आप जितना रुपया देंगे, वह लें लेंगे। उसमें महालेखा पाल या ट्रेज़री आफिसर की गलती है। किसकी गलती है यह साफ़ नहीं हुआ है। मैं आपकी आज्ञा से पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का वह पोर्शन पढ़ देना चाहता हूं। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने श्री बी० पी० जोशी और श्री एम० सी० वर्मा, डिप्टी डाइरेक्टर, चिकित्सा और स्वास्थ्य उपस्थित हुये थे। बी० पी० जोशी कहते हैं :—

"श्री बी० पी० जोशी—लखनऊ विश्वविद्यालय ने ३,६१,००० रुपये तक की धनराशि गलत तरीके से निकाली।

महालेखापाल—क्या मेरे कार्यालय ने दो अधिकार पत्र जारी किये? यदि ऐसा है तो मैं इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करूंगा।

क्या मेरे अधिकार पत्र के बिना ट्रेज़री आफिसर ने दोबारा रुपया दे दिया? स्थिति यह है कि हम विभागाध्यक्ष के हाथ में सारे अनुदान सौंप देते हैं और वे उसमें से रुपया निकाल सकते हैं। परन्तु वे उस अनुदान की धनराशि से अधिक रुपया नहीं निकाल सकते। हम हर बार अधिकार पत्र जारी नहीं करते। उसके अधिकार में पूर्ण अनुदान रहता है।

श्री बी० पी० जोशी—तब तो ट्रेज़री आफिसर की यह ग़लती है कि पहली बार उसने रुपया देने से मना कर दिया, परन्तु बाद में एक बार तो बिना महालेखापाल के अधिकार पत्र दे दिया और दूसरी बार अधिकार पत्र आ जाने के उपरान्त।

सभापति—हम केवल इस बात का अनुमान कर रहे हैं कि क्या हुआ होता? यह ठीक नहीं है, हमें इस मामले से संबंधित असली बातें समझ लेनी चाहिये और मैं महालेखापाल से यह निवेदन करता हूं कि वे असलियत का पता लगायें।

महालेखा पाल—हम उस व्यक्ति को, जो इसका जिम्मेदार है अगर वह वहां है, नौकरी से निकाल देंगे।"

याने सारी असलियत पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने नहीं आयी। सेक्रेटरी कहते हैं कि ट्रेजरी आफिसर की गलती है। एकाउन्टेन्ट जनरल कहते हैं कि यह तो हमारे आफिस की गलती है। दो अधिकार पत्र जारी हुए, तो यह कहते हैं कि यह भी नहीं है।

पहले सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि विश्वविद्यालय की गलती है। गलती है, यह सब मानते हैं लेकिन जिम्मेदारी किसकी है यह स्पष्ट नहीं है। यह भी इस नोट में स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों के रखरखाव पर कितना खर्चा हुआ और जो गांधी स्मारक अस्पताल है उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ? तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अगर यह कटौती करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि विश्वविद्यालय से उन्हें भी प्रेम है और मुझे भी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी कटौती का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी विभागों ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर क्या किया ? जहां पर पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के चेयरमैन, मेम्बर, सेक्रेट्री आदि सभी एक मत थे कि इस पर हम कड़ी कार्यवाही करेंगे उस पर क्या किया गया, यह भी हम जानने के अधिकारी हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो अभी इस सदन में कहा है वह अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, एकाउण्टेन्ट जनरल , पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी तथा विभागीय पदाधिकारी सब इस तलाश में हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं कि गलती किस की है, परन्तु आज तक जब वह गलती पता नहीं चली तो यह प्रश्न उठा कि माननीय मंत्री महोदय यह बतायें।

मान्यवर , जहां तक मेडिकल कालेज का सवाल है रुपया देने के बारे में , उस पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु यह सूचना माननीय कृषि मंत्री बैठे हैं वह शायद माननीय नियोजन मंत्री को बता सकें कि यह बजट कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि जिसमें बेनिफिट आफ डाउट वह पाना चाहते हैं। वास्तव में श्रीमन्, आज तक माननीय मंत्री महोदय के लिये यह कहना कि वह तलाश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास करने के उपरान्त भी अभी वह किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचे, इस तरह का उत्तर संतोषप्रद नहीं होगा। अतः जहां तक हो सके यह सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है कि इस गलती का पता लगावें और जो भी इसका जिम्मेदार हो उसको यह बताया जाय।

वे अच्छी तरह से समझ जायं जिससे कि आइन्दा कोई ऐसी गलती न हो सके। निकालना या रोजी लेना यह सब कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं, पर यह अवश्य होना चाहिये कि भविष्य में कोई ऐसी गलती न हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद हुआ यह सुन कर कि पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के आनरेबिल मेम्बर ने यह तस्लीम किया कि सारी कमेटी एक मत थी कि रुपये की गड़बड़ी थी, लेकिन पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में नारायणदत्त जी क्या कर रहे थे जब कि वे ही 'ही इज वन आफ दि लर्नेड मेम्बर्स आफ़ दी हाउस' हैं। वे कमेटी में थे उन्होंने चेकिंग नहीं किया। मैं आप के जरिये से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि ३ लाख ६० हजार की कटौती का प्रस्ताव करता हूं तो कुल का प्रस्ताव किया होता तब मैं कहता कि ठीक है। मैं उनका ध्यान पायनियर की तरफ जो कि इतवार का इश्यू है उसकी तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि देश में २० हजार से ऊपर प्रतिवर्ष हमको डाक्टर चाहिये, टीचर्स चाहिये और आये दिन देश में इस कदर बीमारी बढ़ती जा रही है तो अगर उसके लिये रुपया मांगें तो क्या हर्ज है ? इसमें दिया हुआ है कि बिल्डिंग बनाने, हास्पिटल मेन्टेन करने के लिये, यूनीवर्सिटी को ठीक ढंग से चलाने के लिये, आये दिन वहां हड़ताल होती है। जो हमारे वैद्यक के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी हड़ताल कर दी कि हमको एम० बी० बी० एस० की ट्रेनिंग दी जाय। यह तो गवर्नमेंट फेर में है कि कहां से रुपया आये और रुपया तो खर्च होता है और जो खर्च हो रहा है यह तो कम है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे सोचें कि देश में बहुत बड़ी मांग है और यह एक्सेस खर्चा तो उनके घर में भी होता है, मेरे यहां भी होता है, कोई परिवार वाला नहीं है कि जो फ़िक्स्ड आंकड़े धर दे कि १६ मन गल्ला लगता है साल भर में और इतने में ही काम चल जायगा। कहा गया कि सब अफसरान गड़बड़ करते हैं। मैं कहता हूं कि एका-एक पंचर

[श्री शिवनारायण]

हो और मोटर फेल हो गई तो वहां तो उनके पास हिसाब नहीं कि हमको इतना ही खर्च करना है। तो मतलब यह है कि मशीनरी है, कागज की मशीनरी है या मोटर की है, गवर्नमेंट एक मशीन है, आप ने भी माना है कि मशीन चल रही है देश में कहीं न कहीं उसको कोयले की जरुरत है, पानी की जरूरत है, ताक़त की जरूरत है। हमारे जितने अफ़सरान हैं सबने तस्लीम किया क्योंकि सब एक मत थे। जितने मेम्बरान वहां बैठते हैं चाहे मिनिस्टर हों, चाहे छोटे से छोटा अफसर हो, हर आदमी तिवारी जी के कहने के बमूजिब एक मत था कि रुपया गलत नहीं खर्च हुआ, कहीं कागज की मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसा कि किसी साहब ने कहा था कि इस जेब से निकल कर दूसरी जेब में है।

हमारे भाई श्री अवधेश प्रताप जी की आंखों में तो कृषि मंत्री जी खटकते हैं, उनको शिकायत उन्हीं से है। तो मैं ठाकुर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनका शिकवा है उसको रफ़ा कर दें तो कृपा होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक्सेज ग्राण्ट्स का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय नारायण दत्त जी को जब सारे वाकयात पता चल गये उस पर भी उनको क्यों इस विषय पर आपत्ति करने का इस सदन में मौका पड़ा? उन्हें कदाचित यह पता है कि यह रकम विश्वविद्यालय को किस रूप में और कैसे अदा कर दी गई? मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि विश्व-विद्यालय और इसी प्रकार की और संस्थाओं को जब कोई धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है तो वह साल में कई हिस्सों में दी जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय को भी इसी तरह इन्स्टालमेंट में धनराशि दी जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय, जैसा कि माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात होगा, काफ़ी कर्जदार विश्वविद्यालय है। कई लाख रुपया उस विश्वविद्यालय को बैंकों का अभी देना है। तो पहली धनराशि, पहला इन्स्टालमेंट जो दिया गया वह एकाउन्टेन्ट जनरल की आज्ञा से दिया गया। जब दूसरा इन्स्टालमेंट देने का सवाल आया तो विश्वविद्यालय ने ट्रेजरी आफ़िसर से निवेदन किया कि उसे वह धनराशि अनुदान के रूप में जो दूसरा इंस्टालमेंट है, दे दिया जाय। ट्रेजरी आफिसर ने एतराज किया कि उन्हें फिर से एकाउन्टेन्ट जनरल की आज्ञा लेनी होगी और इस बीच में एकाउन्टेंट जनरल को लिखा भी गया। लेकिन फिर दो-चार रोज के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से निवेदन करने पर ट्रेजरी आफिसर ने उन्हें उस इंस्टालमेंट की धनराशि के अनुदान के लेने की आज्ञा प्रदान कर दी और इसके थोड़े ही दिन बाद फिर एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से एक जो अनुदान मांगा गया था उस की मंजूरी आ गयी और उसका भी पेमेंट गलती से हो गया। जब यह अनुदान इस प्रकार से दोहरा विश्वविद्यालय को दे दिया गया और जब साल के आखीर में विश्वविद्यालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया तो विश्वविद्यालय ने जो धनराशि यह दोहरे रूप में ले ली थी, उसको वापस कर दिया। तो हिसाब इत्यादि के मामले जो होते हैं, उनमें इस प्रकार की भूलें हो जाया करती हैं, यह रक़म कहीं गई नहीं। विश्व-विद्यालय को ग़लती से दे दी गई और जब विश्वविद्यालय को इस बात का ज्ञान कराया गया तो उसने दूसरे वर्ष उसको वापस कर दिया। तो मैं नहीं जानता कि इसमें कहां कोई गड़बड़ी हुई, हां ट्रेजरी आफिसर से भूल हुई। जहां तक इस भूल का संबंध है उसको चेतावनी दे दी जायगी और वह चेतावनी पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने उपस्थित की जायगी। यदि वह उसे नामंजूर करेगी और उसके लिये वह कोई दूसरे प्रकार की सजा देना चाहेगी और उस पर यदि सरकार कोई कार्यवाही न करे तब तो शिकायत का मौका इस सदन को हो सकता है। लेकिन इस तरह से भूल-चूक की बातें जो इस सदन में होती हैं उनके ऊपर यदि हम टीका-टिप्पणी इस तरह से करने को बैठ जाय तो कोई काम ही नहीं चल सकता है। बैंकों से भूल हुआ करती है, बड़े-बड़े कारखाने जहां बड़े-बड़े हिसाब रखे जाते हैं वहां भूल हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि कोई भूल ऐसी संस्था को रुपया देने में हो गई तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यदि किसी अफसर से कोई भूल

हुई है तो अवश्य उसे चेतावनी दी जायगी और सजा भी दी जायगी और वह सजा पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने रखी जायगी। यदि वह कोई दूसरी सजा देने की बात करेगी तो उसके ऊपर भी विचार किया जायगा। इसलिये मैं यह नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपत्ति माननीय नारायण दत्त जी ने अभी इस सदन के समक्ष उपस्थित की है वह निर्मूल है और यह सदन उसके ऊपर कोई विचार न करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह देखते हुये कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला है और माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन को देखते हुये कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह मामला आयेगा और उनको चेतावनी दी जायगी और पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी अगर फिर चाहेगी कि दूसरी सजा दें, तो वह सजा भी दी जायगी, मैं अपने एतराज को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत ७,६१,११७ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—विद्युत योजनायें

वित्त मंत्री (श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च सन् १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या २५—विद्युत् योजनाओं के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिये राज्यपाल को १०,७१,७८५ रुपये की धनराशि दी जाय। यह जो प्रांटस् पर एक्सप्लनेशंस दिये हुए हैं उनमें यह प्राण्ट नं० २५ है। यह रुपया कहीं और खर्च नहीं हुआ। यह जो कानपुर एलक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उसमें जो मशीनरी वगैरह है, उसके लिये रुपया डिप्रिसिएशन फंड में रखा जाता है हर साल। तो जितना रुपया उस साल के लिये मंजूर हुआ था उसमें ७ लाख कुछ हजार इतनी जो रक़म लिखी है, उससे ज्यादा, वहां के जनरल मैनेजर ने डेप्रिसिएशन फंड में दिया है। मालूम होने पर गवर्नमेंट ने उस ऐक्शन को डिस्अप्रूव कर दिया। बहरहाल वह रुपया तो डेप्रिसिएशन फंड में चला ही गया था, वह उस में शामिल है; इसलिये यह मांग की गयी है कि उस रुपये को जो इस तरीके से ट्रांसफर हो गया दूसरी तरफ, उसके ट्रांसफर को मंजूर किया जाय और इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण मांग के अधीन ७१,७८५ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आप जो कटौती पेश कर रहे हैं, उस पर मैं एतराज करता हूं। जब यह पेश हो तो इसका मुझको नोटिस होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि नोटिस के लिये तो, चूंकि आज ही यह सदन के सामने आया है, मौका नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव में एक रुपया होना चाहिये या संपूर्ण अनुदान होना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब को याद दिलाऊं और हाउस को याद दिलाऊं कि स्पीकर साहब के सामने सुबह इस मसले के ऊपर बातचीत हुई कि कटमोशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं और उन्होंने यह फरमाया कि कटमोशंस हो सकते हैं लेकिन आज इस में कटमोशस नहीं होंगे, इसलिये कि उनके लिये वक्त नहीं था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि एक रुपया टोकेन मोशन नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना कटमोशन पेश करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इस मांग में ७७,७८५ रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। इसका कारण यह है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जब यह प्रश्न आया था, डेप्रिसिएशन वाला, जिसे अभी माननीय मंत्री जी ने अभी हाउस के सामने रखा, तो उस के सामने यह रिपोर्ट दी गई थी कि ९,९४,००० रु० ज्यादा जमा कर दिया गया सरकार की बिना इजाजत के। जनरल मैनेजर ने जो कमेटी के सामने स्पष्टीकरण दिया वह इस प्रकार है :—

"सरकार ने पुराने माल के दाम पर कुछ पुरानी मशीनें मोल ली थीं। मैंने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है कि कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन के राजस्व में से एक अच्छी रक़म मूल्यापकर्ष निधि में जमा हो जाय। उस समय महालेखापाल कानपुर आये थे और उनसे बातचीत करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ९,९४,००० रुपये की जो वृद्धि हुई है उसको मूल्यापकर्ष निधि में जमा कर दिया जाय।"

तो बड़े आश्चर्य की बात है जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने इस अनुदान के अधीन यह कहा गया कि ९,९४,००० रु० की वृद्धि हुई है, हम इस बजट में देखते हैं कि १०,७१,७८५ रुपये की वृद्धि हुई है और माननीय मंत्री जी ने जो साहित्य बांटा है उसमें यह कहा गया है कि इतने रुपये की वृद्धि हुई और जनरल मैनेजर की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें भी १० लाख है, लेकिन कमेटी के सामने जो स्पष्टीकरण आया उस में ९,९४,००० है। मैं समझता हूं कि हाउस की कमेटी के सामने जो स्पष्टीकरण आया है, वही सही मालूम होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा कि "आपको इन धनराशियों के लिये भी एक पूरक व्यवस्था की मांग करना चाहिये थी। हर दशा में एक पूरक व्यवस्था की आवश्यक थी।" तो चूंकि ७७,७८५ रुपये का कोई स्पष्टीकरण पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने नहीं दिया गया, इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कटौती हो जानी चाहिये। इस वृद्धि का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, हमारी फाइलों में भी नहीं है और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने अगर गलत रिपोर्ट दी गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बताया गया उस कमेटी को कि १०,७१,००० रुपये की वृद्धि हुई है? या तो माननीय मंत्री जी सही हैं या जनरल मैनेजर, जिन्होंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने रिपोर्ट दी, वे सही हैं। मैं माननीय मंत्री जी की सहूलियत के लिये पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स के पेज ७६५ का हवाला देना चाहता हूं। वह इसे देख लें, उसमें यह सारा जिक्र है। अगर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से कोई बात छिपाई गई है, जिसकी मैं कोई आशा नहीं करता हूं तो यह उसका बड़ा भारी अपमान हुआ है जो कि नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव को चाहूंगा कि यह सदन मंजूर करे, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने केवल ९,९४,००० रुपये का ही जिक्र इस सम्बन्ध में आया था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहूं मैं इन अपने दोस्त नारायणदत्त साहब को कि मुझे भी झुठला रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी झुठला रहे हैं। लेकिन यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने, बेचारी ने क्या कसूर किया जो उसको झुठला रहे हैं। जो रिपोर्ट में है, वह मैं पढ़े देता हूं। उसमें लिखा है :—

"There was an excess of Rs. 10,71, 785 in the final grant of Rs. 90,81,600."

ये फीगर्स हैं और उसके ऊपर इतना इजाफ़ा हुआ १०,७१,७८५ रुपये का। यह रिपोर्ट है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की। ये फ़ीगर्स न जाने कहां से मेरे दोस्त ले आये हैं। मैंने तो वही यहां पेश किया जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने पेश किया था और उन्हीं की हिदायत के मुताबिक़ उसको यहां पेश किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया एक रिपोर्ट का जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की थी। मेरा कहना यह था कि डेप्रिसिएशन जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है वह केवल ९,९४,००० रु० की रक़म थी। बाद में ७७ हजार रुपये की कैसे वृद्धि हुई, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--आप की किताब गलत है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, मैंने तो अर्ज कर दिया कि उनकी किताब गलत है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं के अन्तर्गत ७७,७८५ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं के अन्तर्गत १०,७१,७८५ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०--परिवहन (ट्रांसपोर्ट)

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ३०--परिवहन (ट्रांसपोर्ट) के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को १,३०,८६९ रुपये की धनराशि दी जाय।

श्रीमन् वास्तव में यह कोई अधिक व्यय नहीं है, बल्कि एक हमारा सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर में है उससे पार्ट सप्लाई करते हैं ओरीजनल वर्कशाप को। तो उनसे वसूली नहीं हो पाई, उसकी बाबत यह रकम है। यह हिसाब-किताब की बात है, मुझे उम्मीद है कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--परिवहन (ट्रांसपोर्ट) के अन्तर्गत १,३०,८६९ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--युद्धोत्तर योजना और विकास

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४०--युद्धोत्तर योजना और विकास के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को २३,४१३ रुपये धनराशि दी जाय।

यह रकम इस साल में ज्यादा खर्च नहीं हुई है बल्कि १९४९-५० के साल में एकाउन्टेंट जनरल के आफिस में कुछ मिसक्लासीफिकेशन की वजह से रकम इधर की उधर दर्ज हो गई थी जिसकी वजह से यह रकम इधर की उधर हो गई इसलिये इसको मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--युद्धोत्तर योजना और विकास के अन्तर्गत २३,४१३ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--राजस्व सुरक्षित निधि

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४१--राजस्व सुरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्यपाल को १,९५४ रुपये की धनराशि दी जाय।

सिविल और डिफेंस की जो चीजें गवर्नमेंट बेचती थी तो जो रुपये की वसूली होने की तवक्को रहती थी उसके मुताबिक बजट में रुपया रख लिया जाता था कि इतनी आमदनी इससे होगी। तो इस साल के लिये जो रुपया रखा गया तो १,९५४ रुपये की रकम ज्यादा आई, अंदाज से। जो यह रकम आती थी रिसीट में उसको जो हमारे यहां रवेन्यू रिजर्व फंड था उसमें शामिल कर दिया जाता था। अब इतनी ज्यादा रकम रिजर्व फंड में शामिल की गई। यह सिर्फ ट्रांसफर का सवाल है और कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--राजस्व सुरक्षित निधि के अन्तर्गत १,९५४ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) को १७,४३,५६८ रुपये की धनराशि दी जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हुकुम सिंह--इसके अन्दर जमींदारी की कोई बात नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--भला माननीय मंत्री जी जहां पर हों वहां कोई अपने को रोक सके यह असंभव मालूम होता है। श्रीमन्, यह गलती क्या है, एक बहुत बड़ी गलती है। यह बात ठीक है कि ओवरसाइट से कोई महत्वपूर्ण गलती हो सकती है। यह कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने अपनी जिन्दगी में कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं की है। टेक्नीकल गलती तो उनसे होती रहती है, जिसका मलाल किसी को नहीं है। किन्तु उनकी दूरदर्शिता को देखते हुये, और उनकी महत्ता को देखते हुये यह १७ लाख क्या अगर वह और भी इससे अधिक मांग करें तो हम उनको देने के लिये तैयार हैं और सदन में किसी को इन्कार नहीं हो सकता है। परन्तु संभवतः यह विभाग उस समय उनके पास नहीं रहा होगा। इस लिये उनके ऊपर कोई आक्षेप करना उचित नहीं मालूम होता है। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वह अपने कर्त्तव्य का पालन यहां पर करते हैं उससे हम सब प्रसन्न रहकर जैसी भी वह मांग करें उसकी पूर्ति करने के लिये तैयार रहते हैं। यह गलती विभाग द्वारा की गयी है और किसी भी सरकार के द्वारा यह हो सकती है। यह हो सकता है कि थोड़ी गलती हो, १ लाख की गलती हो लेकिन यह १७ लाख की गलती अपनी जगह पर कोई मायने नहीं रखती है। यह हो सकता है कि ओवरसाइट से यह हुआ हो, लेकिन ५०-५१ के बाद से आज ५५ तक यह भूल यों ही टलती रही। इसका पता तब चला जब यह भूल डिटेक्ट की गयी, और उस पर रोशनी डाली गयी। उस समय इसको टेक्निकल गलती नहीं समझा गया, जिससे यह सदन के सामने नहीं लायी गयी। यह भूल है और कोई इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उससे गलती या भूल नहीं हो सकती है। यह कहना सरासर गलत है और असत्य है परन्तु भूल का भी समय होता है और जब वह समय किसी मनुष्य द्वारा उल्लंघन कर दिया जाता है तो उस समय वह अनुचित प्रतीत होता है। मेरा यह विश्वास है कि उस समय माननीय मंत्री महोदय उस स्थान पर यदि होते तो वह इस प्रकार की गलती कदापि नहीं करते। लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी है। यह गलती उनके सामने आ गयी है। इसको

सुधारने के लिये वह सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको केवल हंस कर टाला जा सकता है। यदि इस पर हमने सीरियस व्यू नहीं लिया तो आइन्दा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यह समझ लेना चाहिये कि इससे बड़ी गलती भी हो सकती है। और मैं तो समझता हूं कि यह विभाग भी लुप्त हो सकता है। अगर १७ लाख की गलती और भूल ५ साल के बाद मालूम हो तो मैं विभाग को क्या कहूं, यह सोचने की बात है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और बहुत सी बातें जो माननीय मंत्री महोदय से सुनने को नहीं मिली हैं वे जवाब में मालूम हो जायंगी और यह सदन प्रसन्न चित्त हो जायगा। माननीय शिवनारायण जी बोलने के लिये बहुत लालायित हैं इसलिये मैं बैठ जाता हूं।

श्री शिवनारायण—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सुन्दर अनुदान ऐग्रीकल्चर का है कि हमारे देश का करोड़ों रुपया जो विदेशों को जाता था उसको ऐग्रीकल्चर और ग्रो मोर फूड कैंपेन ने बचा लिया। एग्रीकल्चर के आफिसरों और स्पेशिलिस्टों ने देश की फूड प्राब्लम को हल कर दिया। इतनी बड़ी प्राब्लम को हल करने में १७ लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ। अवधेशप्रताप सिंह जी को तो इस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये था और गवर्नमेंट को दुआ करना चाहिये था। उन्होंने कहा कि जो मंत्री जी मागेंगे वही वे दे देंगे। एक कहावत है कि "दाना दुश्मन नादान दोस्त से अच्छा होता है।" मैं आपको नादान दोस्त समझता हूं। दाना दुश्मन तो वे हैं जो सही किस्म का क्रिटिसिज्म करते हैं। करोड़ों रुपया जो विदेश जाता था वह बचा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। यह जो रुपया है, वह मामूली गलती है। किन्हीं कागजात की उलट-फेर में रह गया और हमने इस रुपये को ग्रो मोर फूड कैंपेन में खर्च कर दिया, ट्रैक्टर्स खरीदे, नये जानवर खरीदे, फार्म बनवाये, नई प्रकार की ट्रेनिंग दी, कालेज खोले। परसों ही रामनारायण त्रिपाठी जी ने सवाल उठाया कि कांस के उखाड़ने में कितना रुपया खर्च हुआ। विरोधीदल से जो क्रिटिसिज्म होना चाहिये वह एक्चुअल होना चाहिये और फिर यह तो माइनर एक्सपेंसेज हैं इसके लिये तो आपको गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहिये। उसने देश की फूड प्राब्लम को हल कर दिया। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

†श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है:—

"यह वृद्धि केवल टेक्निकल किस्म की है और मुख्यतः इसका कारण यह है कि भूल से इस अनुदान के अन्तर्गत सम्पूर्ण ७८ लाख रुपये के लिये पूरक अनुदान न लेकर शुद्ध व्यय ४३ लाख के लिये पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था।"

यानी टेक्निकल भूल हो गयी थी। ७८ लाख की मांग नहीं थी, बल्कि ४३ लाख की मांग थी। अब आदरणीय सदन देखे कि इसमें फिर भूल हुई है या नहीं। ७८ लाख मांगना चाहिये था, ४३ लाख मांगा गया। अगर इसको घटाया जाय तो ३५ लाख रुपया होता है। तो अब ३५ लाख रुपया न मांग कर १७ लाख ४३ हजार रुपये की मांग की गयी है। इससे दाल में कुछ काला अवश्य मालूम पड़ता है।

अब यह भूल हुई है या क्या हुआ है, इसको देखने के लिये मैंने पूरक बजट देखा। उसमें ग्रांट नम्बर ४३ में इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। उसमें सारी स्कीम समझाई गयी है। सरकार ने फर्टिलाइजर खरीदे, बाहर से मंगाये, आई० सी० आर० कम्पनी से खाद मंगाया। उसमें लिखा हुआ है कि :—

"चालू वर्ष में ७८ लाख रुपये की धनराशि की पूर्ति करना आवश्यक है, जिसके लिये एक पूरक अनुदान की आवश्यकता है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

७८ लाख रुपये के अधिक व्यय की तुलना में घटाइये शीर्षक पूंजी के लेखे पर होने वाली प्राप्तियां तथा लौट प्राप्तियां—बीज तथा औजारों को प्रयोग में लाने की योजना के अधीन अतिरिक्त प्राप्तियों की तखमीनी राशि ३५ लाख रुपया है।"

जो इसमें रिसीट्स हैं उनका ३५ लाख रुपये का ब्योरा दिया गया है।

"इस शुद्ध अधिक व्यय की धनराशि ४३ लाख रुपया होती है।"

७८ लाख से ३५ लाख की धनराशि घटा दी गयी तब ४३ लाख रुपया होती है। तो यह भूल कहां है? अगर आप ने खाद के लोन में दिया तो वह सबसिडी के रूप में दिया गया तो वह आपको वापस मिलेगी। उसके लिये आप ने प्राविजन किया। या तो आप कहिये कि मुफ्त में खाद बांटा, लेकिन आप तो कहते हैं कि भूल हो गई और आपने ७८ लाख की जगह ४३ लाख मांगा। इस तरह से तो यह सब-हेड बेकार है। आप क्यों यह १७ लाख की मांग करते हैं आप को उस हिसाब से भी ३५ लाख की ही करनी चाहिये थी अगर भूल की बात ही आप करते हैं लेकिन आप वह नहीं करते। इससे साबित होता है कि स्पष्टीकरण में ब्लंडर किया गया है कि वह सूचना दी गई है वर्ना जो पूरक अनुदान में रुपया दिखाया गया है वह बदला जाय। आप रिसीट्स या प्राप्तियों को देखें। इसका स्पष्टीकरण पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है, वहां भूल नहीं मानी गई है, बल्कि वहां दूसरा कारण बताया गया है। वहां एग्रीकल्चर विभाग के सेक्रेट्री, श्री ए० एन० झा कहते हैं कि लगभग ३ लाख की व्यय-वृद्धि इसलिये है कि एकाउन्टेंट जनरल ने फर्टिलाइजर्स की सप्लाई संबंधी भारत सरकार की उन मांगों को स्वीकार कर लिया जो उस धनराशि से अधिक की निकलीं, जिनकी कि कृषिसंचालक ने कल्पना की थी। इससे साबित होता है कि इस मांग को करने में इतना गड़बड़घुटाला है कि स्पष्ट हो जाता है कि गड़बड़ हुई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मांग को बिलकुल फिलहाल स्थगित कर दिया जाय और मंत्री जी अपने रिकर्ड को देखें कि यह टेक्निकल भूल है, या इंडिया गवर्नमेंट की डेबिट की गलती है या क्या बात है। इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्सेज डिमांड अनुदान संख्या ४३ के अन्तर्गत १७,४३,५६८ रुपये की की गई है उस के संबंध में मैंने विनियोग लेखा, लेखा परीक्षा की ५०-५१ की रिपोर्ट को देखा तो पृष्ठ ६१ पर देखने से पता लगा कि अनुदान संख्या ४३ के सामने १७,४३,५६८ रखे गये हैं, जैसी कि अनुदान में मांग की गई है, यानी जैसा कि इस एक्सेज डिमांड में है और ऐसी जितनी भी रकमें हैं वह ऐसा लगता है कि इस विनियोग लेखे में जो प्रारम्भ के पृष्ठों में दिया हुआ है, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट सन्५०-५१ की है उसमें दर्ज है, पृष्ठ ३५८ पर अनुदान संख्या ४३ का विवरण दिया हुआ है। उसके देखने से यह मालूम होता है कि एक्सेज डिमांड ६ लाख १७ हजार ९८७ रुपये की होनी चाहिये थी, यह बड़ा शीर्षक और उप-शीर्षक ७१ के अन्तर्गत है और जो अन्त में योग दिया हुआ है उसमें अन्त में तो वही १७ लाख कुछ रुपया है और दूसरे हिस्से में कमी हो गई है। वहां ११ लाख २१ हजार ५८१ रुपया बचत दिखायी गयी है। इस तरह से अन्त में केवल ६ लाख १७ हजार ९८७ रुपया अधिक व्यय दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो १७ लाख ४३ हजार ५६८ रुपये हैं यह यहां गलती से पृष्ठ ९१ पर दिखाये गये हैं। और उसी से लेकर यह एक्सेज डिमांड बना दी गयी है, लेकिन शीर्षक ७१ के अन्तर्गत साफ ६ लाख १७ हजार ९८७ रुपये लिखे गये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह जो११ लाख २१ हजार ५८१ रुपये की किसी मद में बचत हो गई उसे निकालकर जो अंतिम दिया गया है वही डिमांड एक्सेस होनी चाहिये थी और यह डिमांड १७ लाख की है, वह गलत है। मैं समझता हूं कि अगर यह गलती वास्तविक हो तो यह अधिक रुपये की डिमांड करना मुनासिब नहीं है बल्कि जो अंतिम अधिक व्यय है वही मांगा जाना चाहिये जैसा कि आडिट रिपोर्ट देखने से पता चलता है जो रकम सही है उसको देने में सदन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—आपने विरोध किया या समर्थन ?

श्री हुकुमसिंह—कुछ नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तिवारी जी की राय यह है कि १७ लाख नहीं ३५ लाख का डिमांड होना चाहिये उन्होंने सब किताबें पढ़कर बतायीं। हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं ६ लाख होना चाहिये। अब मैं उनकी मानूं या इनकी। मौर्य जी ने हर स्थान पर कहा कि मुझे ऐसा लगता है वह खुद ही डाउटफुल है। जिसका हिसाब खुद पक्का नहीं है उस पर हम कैसे ध्यान दें। जब वह खुद मशकूक है तो उनके हिसाब पर उनके मशविरे पर अपनी डिमांड को कैसे तरमीम कर दूं। यह कहां तक मुनासिब होगा। शक का फायदा मुलजिम को मिलता है इस सिद्धांत को मैं बदलना नहीं चाहता। लिहाजा जो हिसाब था वह ३५ लाख का था कुछ सेविंग हो गई इसलिये १७ लाख रह गई। नारायण दत्त तिवारी जी कहते हैं कि ३५ लाख मांगो। जितने की जरूरत है, उतना मांगते हैं उनसे ज्यादा क्यों मांगें ? ३५ लाख मांगने की जरूरत नहीं है। इसके साथ-साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह खर्चा क्यों किया गया। यह गरीब जनता के हित में किया गया। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जितने फर्टिलाइजर्स देने को कहा था उससे अधिक तादाद में दे दिये। हमें उसके लिये पे करना था इसलिये हमारा जो प्राविजन था उससे अधिक की आवश्यकता हुई। उससे ज्यादा खाद लाकर हमने किसानों को बांटा। इतना तो सहायता का कार्य किया। अब उसके लिये ज्यादा रुपया खर्च हुआ तो मांगे किससे ? इस सदन से न मांगे तो किससे मांगे ? मौर्य जी तो हमेशा कटौती करते हैं १७ के ६ ही करना चाहते हैं, हम तो उधर से ही उम्मीद करते हैं कि हमें देंगे। अब हमारे दोस्त अवधेशप्रताप सिंह जी कहते हैं कि यह डिले क्यों ? मैं क्या बताऊं जब माननीय मुख्य मंत्री जी उनको नहीं समझा सके और उनके समझाने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया तो मैं अब प्रयास करने की जरूरत नहीं समझता।

बजट मैनुअल पढ़कर सुनाया तब भी उनकी समझ में नहीं आया। मेरे पास तो कोई लाल किताब है नहीं जिसे मैं पढ़कर सुना दूं और उनकी समझ में आ जाय। यह बहुत जायज रकम है और मुझे आशा है, सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १७,४३,५६८ रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८८,

विपक्ष में—१२।)

अनुदान संख्या ४५—नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्ति पर अनुदान संख्या ४५—नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १२,६७,९१२ रु० की अतिरिक्त धनराशि दी जाय।

(इस समय ३ बजकर ३६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं आशा करता हूं कि इस अनुदान के स्वीकार करने में हमारे विरोधी पक्ष को कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसमें हकीकत यह है कि हमारे विभाग ने खर्चा कम किया है। जितना उन्हें खर्च करने का अनुदान मिला हुआ था उसमें किसी में १२ लाख कम खर्च हुआ, किसी में पांच लाख, किसी में एक लाख, ज्यादातर खर्चा कम किया गया है। सिर्फ एक जगह हम लोगों को यह उम्मीद थी कि हमारा सामान २५ लाख का बिक जायगा। बाद में एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ कि २७ लाख का बिक जायगा, तो दो लाख और बढ़ा लिया कि इतनी बचत हो जायगी। बदकिस्मती से वह पैसा उतना उसमें वसूल नहीं हुआ। उसको बाद फिर जो रकम वसूल हुई वह अगले साल में वसूल हुई और इस साल में

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

वह दर्ज नहीं हो सकी। इसलिये यह १२ लाख और कुछ हजार का फर्क पड़ जाता है जो बिलकुल किताबी जमा खर्च है और जिसमें ज्यादा खर्च करने का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि इस खुलासे के बाद इस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १२,६७,९१२ रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५ को प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५ को उपस्थित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५ को प्रस्तुत करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

जिन रकमों पर अभी यहां बहस हुई वे सब इस विधेयक में लिखी हुई हैं और इस के जरिये से यह चाहा जाता है कि इतनी रकम जिसका टोटल इसमें दिया हुआ है यह कंसालिडेटेड फंड से विदड्रा करने की इजाजत दी जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इजाजत देगा। इसके मुताल्लिक बहुत सी बात चीत हो चुकी है और मैं अपनी तरफ से कुछ और कहना जरूरी नहीं समझता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जो डिमांड्स यहां पर रखी गई थीं उनको खर्च करने के अधिकार के लिये यह बिल इस सदन के सामने पेश हुआ है। मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है जिस पर काफी प्रकाश मैंने पहले भी डाल दिया था और अच्छा होता कि मैं उससे उसी वक्त कहता लेकिन पहले मैंने कुछ कह दिया है, उसको मैं दोहराना पसन्द नहीं करूंगा, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उस बात को सुन लिया है। लेकिन फिर भी मुझे दुख इस बात का होता है कि कभी-कभी हम कई सदन के माननीय सदस्य अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं चाहते, अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते। हमारे जो अधिकार हैं वह क्या हैं उसे समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। इस बात पर मुझे कभी-कभी बड़ा दुख होता कि एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है और उसको इस हाउस के अन्दर इतने लाइटिली लिया गया। मैं अभी माननीय शिवनारायण जी का भाषण सुन रहा था, वैसे उन्हें सब कुछ माफ है, वह चाहे जो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह सोचता रहा कि वह क्यों बी० ए० में दो तीन साल फेल हो गये। हिस्ट्री का पेपर होगा और वह एकोनामिक्स लिख रहे होंगे। किस विषय पर बहस हो रही है और क्या वह सोच रहे हैं। अगर इस विषय पर कुछ वे सोचते तो समझते कि मैं जो कुछ कह रहा था वह उन्हीं के अधिकारों की रक्षा के लिये कह रहा था। अगर हमारी बात मान जायेंगे तो उन्हीं के अधिकारों की रक्षा होगी। अगर इस सदन की

मंजूरी लिये बिना रुपये खर्च करने की सारे विभागों की टेंडेंसी हो जायगी और उसे हम रोकने की कोशिश न करेंगे तो सदन की फिर कोई जरूरत ही न पड़ेगी। वे यह समझेंगे कि इस साल सारा रुपया खर्च कर डालो। १९६२ तक एकाउटेन्ट जनरल के एकाउन्ट्स आयेंगे फिर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद देखा जायगा, आज तो सारा रुपया खर्च ही कर डालो। यह जो टेंडेंसी हमारे डिपार्टमेंटों की है, इसको रोकना चाहिये। अगर हम इस प्रश्न पर कुछ गंभीरता पूर्वक इस सदन के अंदर विचार करते तो मैं समझता हूं कि हम अपने प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते थे? आखिर एक्सेज होता क्यों है? हर वक्त, जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि एक्सेस हो गई। पब्लिक के लिये खर्च किया गया है, उन्हीं से रुपया लिया गया है। मैं मानता हूं कि पब्लिक के लिये खर्च हो रहा है और उसी से लिया जा रहा है लेकिन फिर इस बजट की जरूरत क्या है? इस हाउस में खर्च का सारा रुपया मंजूर कराने की क्या जरुरत है?

तो मेरा उद्देश्य इस बिल का विरोध करने का एक है वह यह कि जो टेंडेंसी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की आज हो गई कि रुपया खर्च किया जाय फिर हमारे मिनिस्टर जो हैं, जब मामला हाउस के सामने आयेगा, उसको पास करा लेंगे और हाउस तो आप जानते हैं जिस प्रकार से यहां विचार होता है। मैं यह चाहता था, जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स आडीटर जनरल के यहां से आते हैं तो वह गवर्नर महोदय के पास आते हैं और गवर्नर इसको सदन के सामने पेश करते हैं और इस सदन के सामने जब वह आते हैं तो इस सदन की एक कमेटी जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी कहलाती है आडिट रिपोर्ट जो होती है, उसको भेजती है। तो जितनी यह ऐक्सेस हैं जिन पर हम आज विचार कर रहे हैं यह सारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आयीं और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने यह फैसला किया, पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी ने इसकी सारी डिटेल्स पर विचार करके यह देखा कि यह ऐक्सेसज जायज थीं या नहीं? बहुत सी जगह ऐसा है अगर हमारे रिजोल्यूशन देखे जांय तो हमने बड़ी गम्भीरता से विचार किया और जहां कहीं हमने देखा कि ऐक्सेस होना आवश्यक है, जैसे कि फरवरी, मार्च के महीने में बीमारी फैल जाती है, हैजा हो जाता है उसके लिये रुपये की बड़ी सख्त आवश्यकता हो जाती है उस समय इतनी जल्दी रुपये की जरूरत होती है तो अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का ख्याल रखे तो उसके लिये सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर ऐसी कोई एमरजेन्सी यहां पर आ जाय जिसको हम लोग देख नहीं सकते थे, तो उसके लिये कंटिजेन्सी फंड बना हुआ है जिसमें से रुपया ले सकती है। अगर उसमें रुपया कम भी हो जाय मान लीजिये उस फंड में ५ करोड़ रुपया है अगर ६ करोड़ रुपये के खर्च करने की जरूरत पड़े और लेजिस्लेचर मीट न कर सकता हो तो गवर्नर महोदय को यह पावर है कि वह एक आर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और उससे जो हमारा कंटिजेन्सी फंड है उसको इन्क्रीज कर सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं और जब आर्डिनेंस की मियाद खत्म हो ६ महीने के अन्दर लेजिस्लेचर बुलानी पड़ेगी और उससे सैंक्शन कराना पड़ेगा।

एक्सेसेज का जहां तक प्रश्न है, यहां मैं यह बता दूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के इस जोर देने पर कि यह सारे रेगुलराइज हो जाने चाहिये आज यह हमारे सामने रेगुलराइजेशन के लिये इस सदन के सामने आये। और मैं यह भी कहता हूं जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि कम्पाइलेशन में बड़ी देर लगती है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से ऐसी बात कह रहा हूं। उन्होंने बजट मैनुअल का क्लाज पढ़कर सुना दिया। मैं यह मानता हूं कि कन्ट्रोलर और आडीटर जनरल के यहां देर लग जाती है, कुछ आडिट आब्जेक्शन होते हैं, इसीलिये आडीटर नजरल ने यह फैसला किया कि जो उनके रिपोर्ट हो वह पार्ट्स में आवें। आडिट की रिपोर्ट अलग पेश हो और जो एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स होते हैं जिसमें सारी डिटेल्स हमरे बजट की होती है उसके बनाने में जरा देर होती है, वह अभी नहीं आ पायी है सिर्फ आज जैसे हमारी सामने आडिट रिपोर्ट आयी है, वह बाद में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

के सामने विचारार्थ जायगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स जिस वक्त कन्ट्रौलर जनरल और आडीटर जनरल के यहां से आवें उसके बाद जब लेजिस्लेचर के सामने पेश हों तो लेजिस्लेचर में पेश होने के और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में विचार करने के बीच में कोई आवश्यकता इस बात की नहीं कि पब्लिक एकाउन्ट्स में कमेटी के फैसले के लिये रुका जाय और उस एक्सेस को इस हाउस में मंजूर न कराया जाय क्योंकि वह तो ऐक्सेस हो गई डिपार्टमेंट्स उसको मानते हैं कि हमारी इस ग्रांट के अन्दर एक्सेस हो गई। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को यह अधिकार नहीं कि जो रुपया एक्सेस हो गया उसको हम मन्जूर कर दें। अगर यह अधिकार होता तब तो पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी में भेजने के लिये रुकने का सवाल था, नहीं तो जिस वक्त ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स हाउस के सामने पेश हो जायं उसके बाद कोई देर नहीं लगनी चाहिये। तो मेरा कहना यह है कि तो २३ अगस्त सन् ५३ को इस हाउस के सामने हमारा ऐप्रोप्रियेशन एकाउंट आ गया था। सरकार को मालूम हो गया था। सरकार को तो उसके पहले ही मालूम हो गया था, जून के महीने में सरकार के पास यह रिपोर्ट आ गई थी और अगस्त सन् ५३ में इस हाउस के सामने वह रखी गई। इसके बाद क्यों देर हुई ? यह मैं मान भी लूं कि एकाउटेंन्ट जनरल और गवर्नमेंट के बीच में बराबर लिखा-पढ़ी रहती है और यह सही है, जब एकाउन्टेंन्ट जनरल के यहां एकाउंट क्लोज हो जाता है उसके बाद ही यह मालूम हो सकता है कि किस ग्रांट के अन्दर ऐक्सेस हो गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को यह मालूम हो जाय, एकाउन्टेन्ट जनरल उसको यह कनविस कर दे कि यह एक्सेस हो गया है, इसको हम लायेंगे जरूर, अच्छा हो इसका सैंक्शन हाउस से पहले ही ले लिया जाय तो गवर्नमेंट अगर उसी वक्त सैंक्शन ले ले, फिर वह सारा झगड़ा उसी वक्त खत्म हो जाय। जिस वक्त पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस पर विचार कर रही थी, उसके पहले ही यह हाउस से मंजूर हो गया होता तो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी भी कहती कि हां, यह ऐक्सेस हो गया था, लेकिन अब हाउस ने रेगुलराइज कर दिया है और अब इस पर और बहस करने की जरुरत नहीं है। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी ने बड़ा सीरियस व्यू उस पर लिया है। उसने यह होल्ड किया है कि यह कांस्टीट्यूशनल ब्रीच है और इसे अवायड करना चाहिये। यह टेंडेंसी रोकनी चाहिए। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी यह चेक न रखे तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ऐक्सेस खर्च करने लगें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार करना चाहिए कि इस टेंडेंसी को रोकने की जरुरत है।

अध्यक्ष महोदय, एक्सेस कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है हमारा। उसका दस करोड़ का बजट है। सारी ग्रांट दस करोड़ रूपये की है। चीफ इंजीनियर जो उसका हेड है, वह उस ग्रांट को बांट देता है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स में। अगर दस डिवीजन हैं तो एक-एक करोड़ रुपया उसने मान लीजिये दस डिवीजंस को उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में दे दिया। उनसे उसने कह दिया कि यह तम्हारी ग्रांट है, इतने तक तुम अपने-अपने डिवीजन में खर्च कर लो। लेकिन इसकी इत्तिला वह ट्रेजरी को नहीं देता। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास एक चेक बुक रहती है। अगर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बजाय एक करोड़ के दो करोड़ रुपया भी निकाल ले तो ट्रेजरी कभी उसको इनकार नहीं करेगी। इस तरह से अगर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक करोड़ के बजाय डेढ़ करोड़ निकाल ले, दूसरा सवा करोड़ निकाल ले, तो उस वक्त उसका कोई चेक नहीं है। साल के अन्त में जब वह सब एकाउन्ट्स एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां रजिस्टर पर दर्ज होने को जाते हैं तो सारा टोटल ऐक्सेस का मिलता है। हमारे यहां रोडवेज का मुहकमा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। आगरा के एक जेनरल मैनेजर ने आठ लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स बिना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के परमीशन के ले लिये। कारण ? उस जनरल मैनेजर के पास भी उसी तरह की एक चेक बुक होती है जैसी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रहती है और वह इसलिए रहती है कि जैसे पेट्रोल का खर्चा है, स्पेयर पार्टस् का खर्चा है, अगर इनमें कोई खर्चा

ज्यादा बढ़ गया तो रोज-रोज तो पैसा लिया नहीं जा सकता । इसीलिये उसको एक चेक बुक दी गई । आगरा डिवीजन के जनरल मैनेजर ने उससे आठ लाख रुपये के स्पेयर पार्टस् बगैर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इजाजत के बगैर बजट एलाटमेंट के मंगा लिये, डेढ़ साल तक उससे पूछताछ होती रही, जबाव पूछा जाता रहा । आखीर में उस जनरल मैनेजर ने यहां से इस्तीफा दिया और वह अब जा करके बम्बई में नौकर हो गया । उसका इस्तीफा क्यों मंजूर किया गया ? उसे डिस्मिस क्यों नहीं किया गया ? तो जब दो तीन साल के बाद हमारे सामने बात आती है तो फिर हम लोग कोई कार्यवाही नहीं कर पाते । तो ऐक्सेस होने का यही कारण है । अगर हम ऐक्सेस रोकने की कोशिश करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बजट ठीक रहे तो यही एक वजह है, इसे दुरुस्त करने की जरुरत है । इसीलिये सभी ने यह सिफारिश की है कि सेपरेशन आफ एकाउंट फ्राम आडिट हो जाना चाहिये हमारे प्रदेश के अन्दर । आज स्टेट का सारा एकाउंट एकाउंटेन्ट जनरल रखता है, कम्पाइल वही करता है, सारा हिसाब वही रखता है और आडिट भी वही करता है । सब चीज वही है । अगर आज हम पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियर से पूछें कि आपने कितना रुपया खर्च कर लिया आज तक, तो वह कहेंगे कि इतने करोड़ से इतने करोड़ के बीच तक खर्च कर रखा है । उनको सही नहीं मालूम । जो खर्च हुआ है वह एकाउटेंट जनरल के रजिस्टर में दर्ज है । यह एक बड़ी अजीब सी बात है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमारी डिमांड यह है कि यहां पर सेपेरेशन आफ आडिट फ्राम एकाउन्ट हो जाना चाहिये । एकाउंट्स अलग रहे और आडिट अलग रहे । यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का बड़ा महत्व है और आपके रहते हुए, मैं समझता हूं, हमारा महत्व हो रहा है । डिपार्टमेंट्स उस चीज को समझ रहे हैं और हम लोग भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम यह नहीं कहते कि हम सब समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम देखें कि वह रुपया जो एक दफा हाउस में पास हो गया वह ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम अगर उसके ऊपर अपना पूरा-पूरा कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हम अपने फर्ज को पूरा नहीं करेंगे ।

यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह से हमारे अनुदान होते हैं, डिमांडस पर बहस हो जाती है । उसके बाद जैसे ऐप्रोप्रियेशन बिल यहां पर आता है, वहां एक्सचेकर ऐप्रोप्रियेशन ऐक्ट पास होता है । एक एजूकेशन डिपार्टमेंट्स को ले लीजिये । वहां यह कायदा है कि जिसको जितनी ग्रांट हो वह इंस्टालमेंट में रुपया बैंक आफ इंगलैन्ड से लेते हैं । जैसे हमारे यहां कंसालिडेशन फंड ट्रेजरी में जमा होता है, इंगलैंड में बैंक आफ इंगलैंड में जमा होता है । जो लाड आफ दी ट्रेजरी होता है वह कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल को चिट्ठी लिखता है कि आप मेहरबानी करके बैंक आफ इंगलैंड को हिदायत दे दें कि वह हमारे पेमास्टर जनरल को एजूकेशन डिपार्टमेंट में खर्च करने के लिए इतना रुपया दे दे । इसका नतीजा यह होता है कि अगर एक लाख रुपया एजूकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है तो अगर एजूकेशन डिपार्टमेंट एक लाख से आगे, एक लाख एक हजार का भी चेक दे देगा तो उसको बैंक आफ इंगलैंड डिस्आनर कर देगा । इस लिए हर डिपार्टमेंट को पता रहता है । हर डिपार्टमेंट के पास एक एक एकाउन्ट्स आफिसर रहता है जो कि हेड होता है, वह सारे एकाउंट्स को अपने सामने रखता है । उसको पता होता है कि कितना रुपया खर्च होता जा रहा है, कितना रुपया बाकी रह गया है और एकाउंट्स रखने वाला एक दूसरा आदमी होता है । इस तरह से मालूम होता रहता है कि कितना रुपया खर्च हो रहा है और बैंक आफ इंगलैंड से ही रुपया कंसालिडेटेड फंड से लेकर ही खर्च किया जा सकता है । पेमास्टर जनरल को तो उतना ही चेक मिलता है जितना कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल देता है । उससे वह एक पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है । तो वहां पर ऐक्सेसज होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं । वह भी इसको बहुत बड़ा सीरियस ब्रीच समझते हैं, डेमोक्रेसी की अवहेलना समझते हैं । तो हाउस के एप्रूवल के बिना खर्च किया जाना एक गलत चीज है ।

मुझ पर सुबह एतराज हुआ था: मान लीजिए एक कोआपरेटिव सोसाइटी है मैं उसका सेक्रेटरी हूं । उसके पास एक लाख रूपया है और मुझको बहैसियत सेक्रेटरी के यह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अधिकार नहीं है कि मैं उसमें से एक पैसा भी खर्च कर सकूं। यह हो सकता है कि अगर मैं उस रुपये को खर्च कर लूं तो उसके बाद बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स बैठ करके जो रुपया मैंने खर्च किया है उसको पास कर दें। यह हो सकता है, लेकिन अगर मैं बिना बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के अधिकार दिये हुए खर्च कर लूं तो मैं अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं वह मुझे माननीय सदस्य बतायें तो मैं वही कहूं। जब कहीं ऐसा होता है तो सीधा मामला अदालत में चला जाता है लेकिन इस सरकार को किस अदालत में ले जाऊं और कहां इनके खिलाफ मुकदमा करूं ? इस लिये हम देना तो चाहते हैं। जिस तरह से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से मैं पास करवा सकता हूं खर्च को सरकार भी उसी तरह पास कराना चाहती है, स्वीकृति लेना चाहती है, हम भी देंगे, लेकिन पहले हमें वह काजेज और सरकमस्टैंसेज बताये जायं तब हम देंगे। सर्कमस्टैन्सेज की बात यह थी कि डिपार्टमेंट ने सर्कमस्टैन्सेज जितने थे वे सब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को समझा दिये। हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन हम यह चाहते अवश्य हैं कि इसको रोका जाय। इसको अगर गवर्नमेंट चेक नहीं करेगी तो यह टेंडेंसी बहुत खराब हो जायगी और इस हाउस में बजट पेश करने का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इंगलैंड में यह होता है कि इस साल का एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट अगले साल आ जाता है। आप यह देखेंगे कि इस हाउस के सामने ५१–५२ की रिपोर्ट आयी है और उस पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने विचार कर लिया है। ५२–५३ की अभी आडिट रिपोर्ट ही आयी है, एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स नहीं आये हैं। कम्पाइलेशन होने में अवश्य बहुत देर लगती है, मैं इसे मानता हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि हम सब को मिल कर हाउस की मर्यादा को रखनी है। जो कांस्टीट्यूशन बना है उसके मुताबिक हमें काम करना है। कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने इस बात पर गौर किया और गौर करके ही ऐक्सेस ग्रांट का प्राविजन रखा लेकिन इसको भी एवायड करने के लियें उन्होंने कंटिन्जेन्सी फंड क्रियेट किया। वह कंटिन्जेन्सी फंड ५ करोड़ का इस स्टेट के अन्दर है।

मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जैसा कहा गया था मैं पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी हाउस को यह बताना चाहता हूं कि हम लोग इसको छोड़ते नहीं हैं, हम बड़ी सख्त कार्यवाही करते हैं। अब हम गवर्नमेंट को देखेंगे कि वह क्या करती है। हम फिनैन्स डिपार्टमेंट और माननीय मंत्री जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि ऐसी चीजें बढ़ने न पायें। डेमोक्रेसी जैसे इंग्लैंड के अन्दर और और मुल्कों के अन्दर प्रास्पर कर रही है वैसे ही हमारे देश के अन्दर भी प्रास्पर कर सकती है। लोग कहेंगे कि आपने कन्टिन्जेन्सी फंड से क्यों नहीं लिया। मैं मानता हूं कि अगर कंटिन्जेन्सी मालूम हो गई होती उनको तो वह अवश्य ले लेते लेकिन उनको तो पता ही नहीं लगा। जब सब डिपार्टमेंट्स ने एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां खबर भेजी तब ३–४ महीने के बाद उनको पता लगा। तो मैं यह चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इतनी लाइटली न डील करें। वे अपने पांव पर तलवार चला रहे हैं। अगर वे एक दफा समझ जायं और गवर्नमेंट एक दफा समझ जाय कि हाउस के सामने यह मामला आयेगा और कोई जबाव उनके पास न होगा तो मैं समझता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक ढंग से चलेगा। इन चन्द शब्दों के साथ जो बिल हमारे माननीय मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

†श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे बहुत थोड़ी सी बातें कहनी है जिससे कि इस सदन का समय अधिक नष्ट न हो। परन्तु साथ ही साथ जिस तरह से इस विधेयक पर वाद विवाद होता रहा उससे म समझता हूं कि हम लोगों को दुःख ही हुआ। जिस प्रकार से गम्भीरता को ठुकरा कर जबाबों में चीजों को बतलाया है मैं समझता हूं कि यह इस सदन के लिये

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उचित नहीं है। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को बताना चाहूंगा कि यह वास्तविकता है कि कोई भी व्यक्ति, वे तो मुझको बता रहे थे कि उनके पास जमींदारी थी, लिहाजा वे समझते होंगे, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि चाहे जिसका जो पेशा हो, उसके पास कितनी ही कम सम्पत्ति हो, लेकिन बजट का जहां तक प्रश्न है वह तो सभी को भली-भांति मालूम है। कभी-कभी हर घर में जिसकी आमदनी बहुत ही कम है या उन लोगों से जिनकी मासिक आय बहुत ज्यादा है, सब के लिये एक बजट होता है वह इतना स्टैटिक बनायें या इतना निश्चयात्मक बनायें कि एक पाई भी अधिक सर्फ न हो तो यह असम्भव है और फिर किसी भी सरकार के लिये तो यह और भी असंभव है। इसी को देखते हुये इस सदन में और डेमोक्रेसी में सप्लीमेंटरी ग्रांट भी एक विधि है और एक्सेस ग्रांट भी एक ऐसी चीज नहीं है, जिससे हम परेशान हों या ऊबते हों या इस भवन में पहली बार आई हो।

मान्यवर, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को मुझे इतना ही बताना था कि यह सच है कि एक्सेस ग्रांट भी हो सकती है। बजट स्टैटिक नहीं हो सकता है, निश्चयात्मक रूप से नहीं बनाया जा सकता है, इसमें कमी और बेशी की गुंजायश रहती है। यह सब बातें सर्वसाधारण को भी ज्ञात हैं और उन्होंने मुझे गलत समझा, जिससे उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया। एक्सेस ग्रांट के लिये मैंने कोई आपत्ति नहीं उठाई। मैं सिर्फ उन्हें यह बतलाना चाहता था कि चीज यह देखने की है कि जो ग्रांट्स हमसे मांगी जा रही है, वह किस परिस्थिति में हैं, आखिर उसका जस्टीफिकेशन क्या है, क्या औचित्य है, यह उसका विषय है। एक्सेस ग्रांट से हम भयभीत नहीं हैं, परन्तु बात यह है कि वह कौन सी परिस्थिति थी या उसके औचित्य पर हम विचार करना चाहते हैं या विलम्ब हुआ है तो किस कारण से, उस कारण को हम देखना चाहते हैं सदन में।

कृषि मंत्री जी को मैं अधिक दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि .....।

श्री अध्यक्ष--अब तो कृषि मंत्री नहीं हैं, वित्त मंत्री सामने हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--श्रीमन्, अगर वह आ जाते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। अगर नहीं हैं तो कुछ सज्जन उनके कान तक यह बात डाल देंगे, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बजट मैनुअल की दफा १५७.....।

श्री अध्यक्ष--मैंने इशारा कर दिया माननीय सदस्य को कि वह वित्त मंत्री को ही सम्बोधित करें। अब तो बिल पेश हुआ है, पुरानी बातें नहीं आ सकतीं हैं, अब तो विधेयक सामने है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने तजकिरा कर दिया कि बहुत सी चीजें हैं जिनको यदि मैं कहता तो हमारे मंत्री महोदय सम्भवतः फरमाते कि यह तो हवा की बातें कर रहे थे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। उनको याद दिलाने के लिये मैंने तजकिरा कर दिया। अब, श्रीमन्, आपके कहने के अनुसार मैं दुहराने के लिये तैयार नहीं हूं।

अतः आज यह देखते हुये कि जो एक्सेस ग्रांट हमारे सामने आई हैं उनमें बहुतों में ऐसी गुंजायश थी जो सप्लीमेंटरी ग्रांट के रूप में हमारे सामने आ सकती थीं, या यह मानते हुये कि ए० जी० आफिस में या आपके करस्पांडेंस में इतना समय लगता है कि तत्काल नहीं हो सकता है, शीघ्रातिशीघ्र नहीं हो सकता है, लेकिन समय की भी तो एक सीमा है। ५०-५१ की चीज के लिये हम ५५ में स्वीकृति देने के लिये तैयार हो रहे हैं। जैसे कि आपके सामने यही बात एक माननीय सदस्य द्वारा लाई गई थी और वह ठीक भी है कि इसी भवन में हमने कई वर्षों की ग्रांट्स को पूरा किया है और उस पर जो कहना था कहने के बाद वह पास हुई। ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी कि इसमें बहुत सी मदें हैं जो इसमें आ रही हैं, वह सप्लीमेंटरी ग्रांट में क्यों नहीं लाई गईं। श्रीमन्, एक बार फिर

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

आज मुझे हर्ष है जिसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में निश्चय हो गया, नहीं तो सम्भवतः इस विधेयक पर या इन ग्रान्ट्स पर हम अपने विचार प्रकट न कर सकते और उस समय सदन के अधिकारों पर एक बड़ा कुठाराघात होता, जिसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस सम्मानित सदन के अधिकारों के लिये संलग्न रहते हैं कि उनकी रक्षा की जाय। यहां मैं आपको बधाई देता हूं कि इसके कारण हम बहुत सी बातों को सरकार के समक्ष पेश करने में सफल रहे।

श्रीमन्, भूल होती है और गलती भी होती है। मानव समाज में कोई अधिकारपूर्ण यह दावा नहीं कर सकता कि उससे गलती नहीं होती है, लेकिन, श्रीमन्, एक भूल है जिसको पढ़ कर और देख कर सम्भवतः आपको भी आश्चर्य होगा वह है १७ लाख रुपये की भूल। हजार नहीं, सैकड़ा नहीं और एक दो लाख नहीं, यह १७ लाख की भूल है जिसको टेक्निकल एरर कहा जाता ह। अगर यह टेक्निकल एरर है तो वह इसके अधिकार, क्षेत्र में कहां तक पहुंचती है? अगर इसको टेक्निकल एरर कहा जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह टेडेन्सी एक्सेस ग्रान्ट की किसी भी विभाग के लिये हानिकर प्रतीत होती है चाहे वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की हो, चाहे वह सदन की हो, चाहे वह मिनिस्टर कन्सर्न्ड की हो, वह सबके लिये एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना आवश्यक है और इसकी रोकथाम करना आवश्यक है। जो आज यहां पर उपस्थित की गयीं वह तो पास हो गयी और बहुत चीजें कांस्टीटचूशन की वजह से, हम मानते हैं कि विभाग के सामने नहीं आयीं और एक्सेस ग्रान्ट के बारे में बहुत से प्रोसीजर के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करना पड़ा, और कारेस्पान्डेन्स में आजकल कितना समय लगता है उसके कहने की आवश्यकता नहीं समझता, किन्तु किसका कसूर है और यह किसकी गलती है? यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में यहां पर कहने का आज अवसर नहीं है और उसके सम्बन्ध में आज कहना उचित भी नहीं है, लेकिन किसी डेमोक्रेटिक देश के लिये यह कहना कि वहां का एक जनरल मैनेजर जो रोडवेज का हो वह ८ लाख रुपये की रकम को मनमाने ढंग से स्वयं ही खर्च कर दे, इस आशा में कि सरकार और उसके सम्बन्धित मंत्री या यह माननीय सदन उसको स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देगा, यह कितनी बड़ी भूल है, वह कहीं भी हो उनसे इस्तीफा लेना या न लेना क्या माने रखता है? मैं तो यह समझता हूं कि इस तरह से अगर कोई कर्मचारी करता है चाहे वह किसी भी सरकार का हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो या चाहे कोई छोटी सरकार हो उसके लिये यह मुमकिन नहीं है, सम्भव नहीं है, कि उस चीज को वह सहन कर सके।

सरकार को देखना चाहिये कि एक्सेस ग्रांट्स के कारण क्या हैं। कोई भी मानव यह दावा नहीं कर सकता कि गल्ती उससे नहीं हो सकती। टेक्निकल एरर के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सरकार को देखना चाहिये कि उसकी प्रथा में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से ये गलतियां और देरी हुआ करती हों। कोई चीज स्टेटिक नहीं है, सब डाइनामिक हैं। यह मैंने माना कि हमारी बजट की प्रथा पुरानी है। हमारे पहले शासक विदेशी थे और वह हाउस आफ कामन्स या यूनाइटेड किन्गडम की प्रथा से अधिक वशीभूत थे या उसे वे अधिक समझ भी सकते थे। जब हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है तो हमें देखने की आवश्यकता है कि वे कौन सी चीजें हैं जो हमारी त्रुटियों का निवारण कर सकती हैं, जो इस माननीय सदन को भायेंगी या कैसे हमको सुविधायें मिल सकती हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं विरोधी दल का होने

के कारण कह रहा हूं। हम एक रूढ़िवादिता को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर दूसरी प्रथा ला सकते हैं। मैं इस नीयत से विरोध नहीं कर रहा हूं कि सरकार को एक ऐसी परिस्थिति में डालूं कि जिससे वह निरुत्तर हो जाय या उसके ऊपर कलंक लगे। मेरा तो केवल प्रयोजन इतना है कि सरकार स्पष्ट रूप से यह समझ ले कि जिस प्रकार से भी हो सके बजेटरी उसूलों को मानते हुये अगर डिटेल्स में कोई ऐसी चीज़ हैं जो आपके रास्ते में बाधक आवें तो उसे ठीक करना चाहिये। मैं कहता तो गया, लेकिन मुझे अब खयाल आया कि शायद कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मंत्री महोदय की गलती नहीं है, इसलिये मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं कि वह हर चीज को अच्छी तरह से सोच-समझ लें। हमारा यह इरादा नहीं है कि हम उनके रास्ते में रोड़े अटकावें। जब हमारा प्रदेश हर बात में आगे है तो बजट के उसूलों और डिटेल्स में भी सब से आगे रहना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, जहां मैं इस प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं वहां इस ओर अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि एक्सेस ग्रांट की सम्भावना रहती है और इसलिये उसका हमारे विधान में प्राविजन है और ऐक्सेस ग्रान्ट्स को हर समय सप्लीमेंटरी बजट में प्रस्तुत करना भी शायद हर समय सम्भव न हो, लेकिन उस पद्धति में अवश्य लूपहोल्स हैं जिसके द्वारा ड्राइंग आफीसर्स जितना रुपया उनके डिसपोज़ल पर रखा गया है उससे ज्यादा वह ड्रा कर लें और उनको पता नहीं चले, और जिस ट्रेज़रर की कस्टडी में रुपया है उसे भी पता नहीं चले कि सेंक्शन्ड एलाटमेंट से ज्यादा रुपया ड्रा हो गया है। इस लूपहोल को ब द करना ही होगा। अगर यह नहीं होता तो अनजाने भी ग्रांट ऐक्सीड हो जाय उसके ऊपर कोई रोक नहीं रहती। हमारे अफसरान यथासम्भव इस बात का प्रयत्न करते होंगे कि सेंक्शन्ड ग्रांट के अन्दर ही खर्च करें और कभी-कभी जो रुपया आने वाला होता है वह नहीं आता तो उसकी वजह से ऐक्सेस की सम्भावना हो सकती है और मिसक्लासीफिकेशन की वजह से भी हो सकती है--जैसे ४०, ४५ नम्बर की ग्रांट्स हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसके ऊपर कोई आलोचना नहीं हो सकती। लेकिन जब एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां तमाम हिसाब कम्पाइल हों तब तक ओवरड्राअल्स का पता ही न चले और सब अंधेरे में रहें तो इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और इस त्रुटि को शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिये। इतना ही मुझे कहना है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के उपनेता और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन माननीय उपाध्याय जी ने सदन के सामने प्रस्तुत बिल का विरोध करते हुये जो बातें कहीं तत्वत: उसके साथ शायद मैं सहमत होऊं किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो जिस दृष्टि से उन्होंने विधेयक का विरोध किया, ऐसा लगता है कि उस जगह दलगत भावना से अनुप्राणित होकर उन्होंने विरोध किया। सन् ५०-५१ का एप्रोप्रियेशन बिल या जो इसके विशेष अनुदान हैं उनका सन् ५५ में प्रस्तुत किया जाना ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं गलती अवश्य हुई और जो पक्ष या जो विभाग उस अनुदान को सदन के सामने रखता है यह निहित है कि वह यह स्वीकार करता है कि कहीं पर ग़लती हुई। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम इस बात को देखें कि वह ग़लती स्वेच्छा से की गई है या कैसे हुई? अगर स्वेच्छा से नहीं हुई है लेकिन हो चुकी है तो उन विभागों के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वह उन विशेष अनुदानों को सदन के सामने लावें और उनकी स्वीकृति प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में मेरा खयाल है कि सदन के प्रत्येक सदस्य को माननीय वित्त मंत्री अथवा उन विभागों की नीयत पर कोई सन्देह नहीं है तथा वे इस बात से कंनविन्स्ड हैं कि

[श्री देवदत्त मिश्र]

यह एकाउन्ट जो पेश किया जा रहा है उसमें जो खर्चा हुआ है वह ठीक है, कुछ टैक्नीकल ग़लतियां हुई है। अब जहां तक प्रस्तुत विनियोग विधेयक का सम्बन्ध है, इस पर टीका-टिप्पणी ही की जा सकती है। पहले अनुदानों के समय उन्होंने किया वह किसी अंश तक ठीक है, लेकिन एक विनियोग विधेयक का विरोध करना, मेरा ऐसा खयाल है कि यह वांछनीय नहीं है। हमारे उपाध्याय जो एक व्यावहारिक आदमी हैं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में हमेशा उन्होंने अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचय दिया, उसी दृष्टि से मेरा उनसे ऐसा अनुरोध है कि वे अपने उस विरोध को टीका-टिप्पणी के साथ वापिस ले लें।

अब माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान मैं एक ओर आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे कुछ ऐसे विभाग हैं, जैसा उन्होंने छोटी मछली और बड़ी मछली की ओर इशारा किया कि वह बड़ी मछली को भूल गये। कानपुर सेंट्रल वर्कशाप्स का चीफ मेकेनीकल इंजीनियर २५ लाख रुपये के स्पेअर पार्ट्स बग़ैर ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की परमिशन के खरीद कर चला गया और शायद उसके बाद सर्विस से भी चला गया। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बड़े-बड़े आफीसरान जो हजारों रुपया वेतन पाते हैं, वे क्या करते हैं? ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर तथा उसके यहां जो एकाउन्ट शाखा के आदमी हैं वे क्या करते हैं, उनका भी तो कोई काम होना चाहिये। अगर वे चपरासियों और छोटे लोगों को छोड़ दीजिये, बड़े-बड़े लोगों की कारगुजारी को मद्देनजर नहीं रखते तो फिर इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट्स की क्या आवश्यकता है कि उसे यह भी न मालूम हो कि २५ लाख रुपये का ज्यादा सामान खरीदा गया? और ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को शायद मालूम हुआ भी, और बावजूद इसके कोई स्टेप नहीं लिया गया।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---यह आप कब की बात कह रहे हैं?

श्री देवदत्त मिश्र---मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं मिश्र जी को इससे ही समझ लेना चाहिये। मैंने केवल अधिकारियों की वृत्ति की बात कहीं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की आफीसरों के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर अंकुश होना चाहिये जिससे उनके ऊपर जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा समय देकर निष्ठा के साथ अपने काम को पूरा करने की भावना उनमें हो।

अन्त में मैं फिर माननीय उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि उनकी वह टीका-टिप्पणी ही पर्याप्त है, अब वे विनियोग विधेयक के प्रति उनका जो विरोध है उसको वह वापिस ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह विरोध कोई विरोध की भावना से नहीं कर रहा हूं बल्कि इस राज्य की बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए और यह देखते हुए कि इस प्रकार के विधेयकों के द्वारा और इस प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड से जो अप्रत्याशित रूप में ५१ लाख रुपये की धनराशि निकालने की जो भावना है, जो वृत्ति है, उसका विरोध कर रहा हूं। आखिर सन् ५०-५१ का बजट आज हमारे सामने नहीं है। उस सन् में किसी दूसरी चुनी गई विधान सभा ने उस बजट को इसी सदन में पास किया होगा और उसी ने पूरक बजट भी पास किया होगा। उस समय विधान के अनुसार जो राज्य की संचित निधि थी, उसी से बजट की धनराशि पूर्णतः निर्धारित की गई थी और वापस लेने और व्यय करने का अधिकार उस समय सरकार को मिला होगा। जहां तक मैं समझता हूं उस वर्ष संतुलित बजट रहा, घाटा नहीं रहा, राज्य सरकार द्वारा उस साल बैलेन्सड बजट रहा, लेकिन आज वह बैलेन्स्ड बजट नहीं रहा, बल्कि उसमें

५१ लाख का घाटा और बढ़ गया, अगर यह सरप्लस बजट था तो बैलेन्स्ड बजट हो गया और अगर बैलेन्स्ड बजट था तो डेफिसिट बजट हो गया और अगर पहले से डेफिसिट था तो यह ५१ लाख का डेफिसिट और बढ़ गया, इस के इतने अर्थ तो होते ही हैं, क्योंकि इससे राज्य की संचित निधि पर ५१ लाख का भार पड़ जाता है, स्थिति ऐसी पेन्डुलम की तरह लटकती रही कि अब सन् ५५ में जाकर उसका प्रभाव पड़ा और इस तरह से अगर सूबे की वैत्तिक स्थिति पर लाखों रुपये के डेफिसिट का प्रभाव पड़ता रहा तो सूबे की क्या गत होगी? ५१ लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं है, इस तरह के घाटों को पूरा करने के लिये तमाम टैक्स और कर लगाने पड़ते हैं और कभी–कभी तमाम प्रकार की ड्यूटी बढ़ानी पड़ती है। क्या हमें इस तरह की महत्व की बात को कि सन् ५०–५१ की गलती से अब सन् ५५ में महालेखापाल के द्वारा बताये गये कारणों से संचित धन से लाखों रुपया देना पड़ रहा है? क्या यह गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात नहीं है? आय के रिसोर्सेज के लिए आज प्लानिंग कमीशन परेशान है और सब कहते हैं कि अब धन को इकट्ठा करने की शक्ति समाप्तप्राय हो रही है। हर प्रकार के रिसोर्सेज को समेटने की बात हो रही है तो ऐसे समय में ऐसी टेकनिकल भूल करना और कहना कि यह मामूली सी बात है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता यह मैं नहीं मानता। मैं तो इसे राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए निश्चयरूप से ही बड़ा भारी खतरा समझता हूं। यह संचित निधि कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि जब चाहे जितना धन उससे हम ले लें। धन संचय स्टेट में बड़ी मुश्किल से होता है और डेफिसिट पूरा करने की भी सीमा होती है, ज्यादा हम नहीं कर सकते। इसलिये इस ५१ लाख का बहुत महत्व है। अगर आप इन दस मांगों का अनेलेसिस करें तो इनमें ३ प्रकार की मांगें हैं। पहली वे हैं कि जिनमें वास्तव में वृद्धियां हुई हैं और दूसरी वे हैं जो टेकनिकल भूल के कारण आई हैं, तीसरी वे हैं जो एकाउन्टेन्ट जनरल के एडजस्टमेंट करने के कारण से हैं। यह मैं नहीं जानता कि वह किसकी गलती थी, एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां की गलती थी या किस की गलती थी। अगर पिछली एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट देखी जाय तो और सालों में भी ऐसी गलतियां मिलेंगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि ५०–५१ के लिये तो आपने अतिरिक्त मांग के रूप में ५१ लाख मांग लिये, लेकिन ४९–५० में क्या हुआ? ठीक है, उस समय कांस्टीट्यूशन लागू नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५, लागू था, जिसके आधार पर बजट मैनुअल आज भी रायज है। क्या उस समय वृद्धि नहीं हुई, क्या ४७–४८ में कोई वृद्धि नहीं हुई और यदि हुई तो क्या आपने उसकी रेगुलराइज किया है? मैं जानता हूं कि ५०–५१ में व्यय वृद्धि हुई, आपने उसको मांग लिया, लेकिन जैसा कि मुझे पढ़ने से लगता है और भी इसी प्रकार से गलतियां बताई गई हैं। उनको ५०–५१ की इस गलती को रेगुलराइज करने के लिये जो प्रयत्न किया गया है उसके लिये मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और उसके चेयरमैन को बधाई दूंगा। मैं चाहूंगा कि यह सदन उनसे प्रार्थना करे कि वह ४८–४९, ४९–५० और अन्य सालों को देखें कि इनमें कितनी व्यय वृद्धि हुई। हमें मालूम होना चाहिये कि हमारी संचित निधि से कितना व्यय राज्य सरकार ने किया है।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारा बजट मैनुअल बहुत पुराना हो गया है और सरकार इस बात को मानती है और शायद सदन भी इस बात को माने कि इसकी बहुत सी धारायें बहुत पुरानी दकियानूसी हो गई हैं और यह संविधान के अनुसार ठीक नहीं बठतीं, जसे एक्सेस ग्रांट वाली बात को ही लीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पढ़ा था मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैनुअल में कुछ बात लिखी हुई है और कांस्टीट्शन में दूसरी बात है और यह बात बिलकुल निश्चित है कि यह बजट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैनुअल हमारे संविधान के अनुसार बनाया हुआ नहीं है। आप मिसाल के लिये देखिये दो शब्दों का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया है। २०५ की धारा (बी) में कहा गया है :—

"The Governor shall, if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House..."

यानी वित्तीय वर्ष में किसी सरविस के लिये ग्रांट मंजूर है अगर उसमें वृद्धि हो गई तो केवल एक ही बात की गुंजाइश है, लेकिन बजट मैनुअल में दो बातों की गुंजायश है। बजट मैनुअल में कहा गया है :—

"A demand for an excess grant differs from a demand for a supplementary grant in that, while the latter is essentially a demand for a grant, the need for which is foreseen during the currency of a year and is presented in the year to which it relates, a demand for an excess grant is presented after the close of the financial year to which it relates in order to regularize expenditure in excess of the voted grant of that year on a service in that year not covered by the vote of the Assembly."

यानी इसमें दो सरविसेज की गुंजाइश है जो असेम्बली के वोट के बाहर हो गया है जो बजट मैनुअल बिलकुल कांस्टीट्यूशन की मर्यादा के आगे बढ़कर जाता है तो, श्रीमन्, आप अपने अधिकारों से इस बजट मैनुअल को अधिक स्पष्ट कराने की कृपा करें। इस बजट मैनुअल का इन्टरप्रिटेशन कांस्टीट्यूशन से ठीक नहीं बैठ पाता और गलती हो सकती है। इसलिये और भी स्पष्ट करना है। अब प्रश्न यह आता है कि अगर गलती हो गई और विभागों ने खर्च कर लिया, क्योंकि उनको पता नहीं था जो उनको मंजूर करें या न मंजूर करें। माननीय देवदत्त जी ने कहा कि वे सिद्धांततः तो उपाध्याय जी से सहमत हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में नहीं। मैं नहीं जानता कि सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में वे किसी सिद्धांत का किस तरह से प्रयोग करते हैं। अगर उनका मंतव्य सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में प्रयुक्त करने से नहीं है तो मैं सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि सिद्धांतों को मानते हुये उनको व्यावहारिक रूप में परिणित करना पड़ता है। कांस्टीट्यूशन नहीं चाहता कि राज्य की संचित निधि से वह अतिरिक्त खर्चा जो कानून की मर्यादा के विरुद्ध हो, किया जाय। कांस्टीट्यूशन में जो कंसालिडेटेड फंड के संबंध में आर्टिकिल लिखा हुआ है उसमें यह है कि राज्य की संचित निधि से रुपया नहीं लिया जायेगा जब तक इस विधान के अनुसार बनाये गये कानून के अनुसार रुपया न लिया जाय। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि ५१ लाख रुपये खर्च हो गये। कंसालिडेटेड फंड से खर्च हुये जिसका आपको अधिकार नहीं था। कांटिंजेंसी फंड से खर्च आपने नहीं किया और पब्लिक एकाउन्ट्स से खर्च होता नहीं। तीन प्रकार के एकाउन्ट्स होते हैं, कंसालिडेटेड फंड्स उनसे अब आप खर्च करेंगे इसके पास होने के बाद। कांटिंजेंसी फंड उससे आपने खर्च किया नहीं और पब्लिक एकाउन्ट्स से खर्च आप कर नहीं सकते। तो फिर खर्च किया कहां से ?

श्री देवदत्त मिश्र—सरप्लस से।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर कंसालिडेटेड फंड से खर्च किया बिना हाउस की परमिशन लिये तो विधान के खिलाफ काम किया। तो हमें माननीय देवदत्त जी से और सदन से इस बात का समन्वय करना है कि सिद्धांततः विधान के अनुसार जो उसके विरुद्ध है और उससे जो असंगत है उसे व्यावहारिक रूप देना है और सरकार को चेतावनी देनी है कि प्रांत की आर्थिक हालत कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। कल को सरकार बदल जाय तो दूसरी पार्टी की सरकार बन जायगी, दूसरे वित्त मंत्री बन जायं दूसरे मुख्य मंत्री बन जायं तो वे भी ऐसी ही इर्रेगुलेरिटीज करने लगेंगे। राज्य की वित्तीय स्थिति को हमें हमेशा संभालना है और देखना है। इसलिये

मेरे विचार से, सिद्धांत के दृष्टिकोण से, बजट में होने वाले असंतुलन के दृष्टिकोण से कोई ऐसी बात होती है तो उसका इस साल के बजट पर भी असर पड़ने वाला है। माननीय सदस्य और सरकार यह न समझें कि ५१ लाख का अब इस साल के बजट पर असर पड़ने वाला नहीं है। सन् ५५ में खर्च करने का अधिकार दे रहे हैं इसलिये इस साल के बजट पर भी असर पड़ने वाला है, यह कोई छोटी बात नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार इस विधेयक का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और अपनी इस मांग को दोहरा देना चाहता हूं कि इसी प्रकार की इरेंगुलेरिटीज, जिनके कारण यह अतिरिक्त अनुदान का विधेयक आया है ५१ लाख का, क्या सन् ४९-५० और ४८-४९ में नहीं हुई होंगी और अगर हुई तो उनके निराकरण के लिये क्या होने वाला है?

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अध्यक्ष महोदय, जो भाषण इस वक्त इस विधेयक पर हुये मैंने उनको सुना। उनकी बाबत कहने से पहले मैं एक बात और हाउस को बतला देना चाहता हूं कि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक राज्य की सारी ही तन्दुरुस्ती निर्भर है। अगर फाइनेन्स खराब हो जाय तो कोई काम उस राज्य का चल नहीं सकता। फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह कर्त्तव्य है कि वह बहुत ही जेलसली इस बात को गार्ड करे कि कोई बात किसी तरह से भी ख्वाह गवर्नमेंट के बारे में क्यों न हो ऐसी न हो जिससे फाइनेंस की मशीनरी को, फाइनेंस के उसूलों को, जिन उसूलों पर वह काम करते हैं उनको या उसके कायदों को या खुद उसके फर्ज को नुक्सान पहुंचे। मैं इस बात का कतई तरफदार नहीं हूं कि सरकार का कोई महकमा किसी किस्म की कोई ऐसी खिलाफवरजी करे जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया और मैं उसको सपोर्ट करूं। मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं यह समझूंगा कि हुकूमत का खुद और खुद फाइनेंस मिनिस्टर का फर्ज यही है कि किसी को इस मामले में गलत राह पर नहीं चलने दें और अगर कोई चलता है तो उसको रोकने के लिये जो कुछ भी करना जरूरी है वह करें। मैंने इन रकमों को जो इस वक्त हाउस के सामने हैं इस बिल के अन्दर देखा तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा, मैं अभी अर्ज करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ी बात और अर्ज करना चाहता हूं जो यहां भाषणों में कही गयी। एक बात यह दोहरायी गयी कई दफा कि १९५०-५१ की रकमें आज १९५५ में इस हाउस में लायी गयीं। इसके संबंध में मेरे दोस्त हमारे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के प्रेसीडेंट साहब ने भी कहा। उनके कहने पर मुझको जरूर ताज्जुब हुआ। इस वक्त समय तो नहीं है कि मैं इसकी बाबत कुछ लम्बी बात कह सकूं, लेकिन मुझको ताज्जुब यों हुआ कि वह अपनी तकरीर में यह भी शायद कह रहे थे कि जब कि आडिट रिपोर्ट हासिल हो जाय तो उसके बाद फाइनेंस कमेटी में भी ले जाने की क्या जरूरत है। यहां इसी हाउस में ले जाकर के इस मामले को रख दिया जाय। वे कहते हैं कि मैंने नहीं कहा। तो फिर किसी जगह से मैं चैलेंज करता हूं कि इस बात को निकाल करके बतलाया जाय कि फलां जगह इस गवर्नमेंट ने यह गफलत या कमी की, जिसकी वजह से यह जमाना गुजर गया। इस वजह से नहीं गुजरा जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया कि हिसाब तो तैयार करता है एकाउन्टेंट जनरल जिसकी निस्बत सब जानते हैं। यह महकमा इस राज्य के मातहत नहीं है। इसके ऊपर हमारा कोई असर नहीं है, वह करता है उसके यहां से हमें यह मिलता है कि फलां महकमे के अन्दर, फलां काम के अन्दर इतना रुपया खर्च हुआ है। वह कब मिलता है, उससे कितनी देर लगती है यह मेरे दोस्त को मालूम है और नहीं है तो मालूम होना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मालूम है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसके बाद आडिट में जाता है। आडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल कौन-कौन हैं उन हिसाबात की जांच करके रिपोर्ट तैयार करते हैं जो रिपोर्ट यहां पेश होती है। मैं उसकी निस्बत अर्ज करूं एक गैरमामूली बात जो कि आपके सामने है और इसीलिये आडिटर जनरल का मुहकमा वही है जो कि ब्रिटिश सरकार के जमाने में था। आजादी होने के बाद हिन्दुस्तान को १९४७ में वहां पर इस किस्म की बातें होती हैं, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कुछ तकरीर से उन साहब की, जिन्होंने यहां की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने तकरीर की, कुछ सबक हासिल कर लिया उसको पढ़ कर और मैं यह समझा कि उनके यहां जो देर होती है उस देर की जो वजह बतलायी है कि वह क्यों होती है उससे पता चलता है कि वहां पर जो मुख्तलिफ कामों को नये तौर पर करना पड़ता है उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा वक्त अपनी उन बातों में लगाने के बाद फिर आडिट करने के लिये जाता है। वह वक्त उसमें लगा और उन्होंने वह रिपोर्ट दी। फिर वह रिपोर्ट यहां आयी और यहां आने के बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने रखी। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस हाउस की कमेटी है। आडिट रिपोर्ट आये और हम पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने न ले जायें और उसको मौका न दें कि वह क्या राय देती है कि यह हाउस उन चीजों को जो चीजें रखी गयी हैं, जो एतराज थे उन एतराजों को देख करके वह क्या मशविरा देती है कि यह हाउस क्या करे? इसलिये वह देर लगी, वक्त लगा उसमें। तो जहां तक उस वक्त के लगने का ताल्लुक है वह एक तो यह कि वह एक ऐसा प्रामीनेंट फीचर नहीं है कि जिसको हम यह समझ लें कि अगर १९५०-५१ की रिपोर्ट १९५५ में आई है तो १९५५ की रिपोर्ट १९६१ में आयेगी, यह हर्गिज नहीं। जो आर्डीनरी टाइम उसमें लगना चाहिये और जितना वक्त सर्फ होना चाहिये उतना वक्त सर्फ हो कर वह इस हाउस तक पहुंचेगी और हाउस को उसको देखने का मौका मिलेगा। मैं अपने दोस्त की इत्तला के लिये बतला दूं कि मैंने भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में मुद्दतों काम किया है और मैं वहां की हालत को जानता हूं।

एक सदस्य---कहां?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने यह अर्ज किया कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में इस प्रदेश की मैंने भी मुद्दतों तक काम किया है और मैं भी वाकिफ हूं कि एकाउन्टेंट जनरल के यहां क्या वक्त लगता है और कितने दिनों में क्या चीज आती है और फिर आडीटर जनरल के यहां कितना वक्त लगता है और उनके यहां से किस चीज का जवाब कितने दिनों में आता है? मैं इसको उस नजर से नहीं देखता कि जैसे एक वह आदमी देखता है कि जो इससे वाकिफ न हो। अब इसको बतला दूं कि जहां एक आदमी को तनहा बदल सकने का मौका है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं लेकिन जहां हम दूसरों पर निर्भर करें वहां हमें उनसे मदद लेनी होगी और अगर वह हमें मिलती नहीं है तो मैं वहां से हटूंगा नहीं जहां था। वह खुद कह गये हैं, खोल गये हैं। हमारे चेयरमैन साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन, को भी मालूम होगा कि उन्होंने क्या फरमाया है देर होने की बाबत और क्या वजहें उन्होंने बयान की हैं और क्या उन्होंने कहा है? वह सब आपने सुना और लिहाजा मैं इसको उस नजर से नहीं देखता और देखने की जरूरत भी नहीं थी।

हां, एक बात जरा सी प्रिंसिपल की इसमें है वह मैं इसमें अर्ज कर दूं कि हम किस नजर से इसको देखते हैं। मेरे पास तो इसका गाइड है और उसी नजर से इसको हम देखते हैं। यहां मेरे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन मौजूद है इस मसले के ऊपर। अभी उसको पढ़ने का वक्त नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---बता दीजिये, हम पढ़ लेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस का पेज ६९६ है, उसको आप पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि हरगिज पैसा ज्यादा खर्च न होना चाहिये। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन उसके साथ ही दुनिया जो है और जिस तरीके से दुनिया घूमती आई है, जिस

तरीके से सितारे निकलते हैं, दिन-रात होते हैं, उसी तरीके से इस बात को मान लेना चाहिये कि वह मौका आ कर रहेगा कि जिस वक्त हमको जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि अनएवायडेबिल सर्कमस्टैंसेज के मातहत ही इस काम को किया जाय। तो उस काम को दूसरी नजर से देखा जाय। वह काम उस नजर से नहीं देखा जायगा कि जिस नजर से उन्होंने देखा है। इसमें एक ग्रांट मौजूद है नं० ४ की। मुझे हैरत हुई कि या अल्लाह मेरे पास अक्ल नहीं रही या मैं समझने से कासिर रहा। दुनिया के समझने से क्या हुआ? ४ नं० की ग्रांट में है कि यह अन्दाजा लगाया गया कि इस कदर बिक्री हो सकती थी। बिक्री होने की दर जो मुकर्रर करेगा ज्यादा से ज्यादा एक बजट बनाने वाला जो कर सकता है वह इतना कर सकता है कि वह तीन वर्ष पहले का औसत निकालता है। जिस साल का बजट बना रहे हैं उस साल के पहले के तीन साल का कि वास्तव में कितनी रकम कायम करें उसको देख कर वह एक रकम रक्खेगा कि यह गालिबन इतना रुपया इसमें खर्च होगा, वह इसमें रक्खा है। वहां १२ लाख की बिक्री होगी और वह न होने पर उसके लिये अगर खर्च किया गया तो ऐसी सूरत में क्या कसूर है उनका? वह तो अनएवायडेबल सर्कमस्टैंसेज में ही आयेंगे।

कहां तक मैं बतलाऊंगा ६,७,८,९,१० जगहें हैं। इनमें से कितनी तो ऐसी हैं जिनमें जो कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी कि नजर कमजोर हो गई हो, बहुत कमजोर हो गई हो, उसको भी वह चीज अपनी रोशनी की वजह से नजर आ जाय। तो उस वक्त मैं यह गवारा नहीं करूंगा कि खामख्वाह किसी मुहकमे के ऊपर इल्जाम लगाऊं कि तुमने यह गलत किया। और जहां कुछ इल्जाम की बात थी मैंने बताया कि जनरल मैनेजर ने कैसा, क्या किया, वह खर्च नहीं हुआ। एक रकम गवर्नमेंट की एक मद से निकल कर दूसरी मद में रख दी गई उसमें जो डेप्रिसियेशन फंड होता है उसमें रख दी। "आई डिसएप्रूव्ड हिज दिस ऐक्शन' क्या उसे बरख्वास्त हो जाना चाहिये था, मैं पूछता हूं कोई मुकदमा उस पर चलना चाहिये था? मैंने उसके इस ऐक्शन को डिसऐप्रूव कर दिया कि क्यों तुमने ऐसा किया। जेब से निकल करके चला नहीं गया। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो इस जेब से निकल कर उस जेब में चला गया, रुपया वहां का वहीं न खोया गया, न कोई बड़ा भारी जुर्म हो गया। तकरीरें जाने क्या-क्या की जा रही हैं! इस स्टेट के अन्दर क्या मुसीबत बरपां हो गई, जिसकी बिना पर यह तकरीरें सुन रहा हूं? मैं एक बात और बता रहा हूं दो मिनट बाकी हैं, वरना मैं कह देता.....।

श्री अध्यक्ष---अभी तो यह पारित भी होना है। मैं आपको चाहें तो समय ज्यादा दे सकता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---नहीं जनाबवाला, अब मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

२---उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित उत्तर प्रदेश धनराशियां जिनका कुल योग ५१,२१,५९२ रुपया (इक्यावन लाख इक्कीस की१९५०-५१ हजार पांच सौ बानवे रुपया) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, की संचित १९५१, को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित निधि में ५१, सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये अधिकृत २१,५९२ रुपये अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लायी जा सकती है। का दिया जाना।

विनियोग ३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५१, को समाप्त हुये वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		४
		रु०	रु०	रु०
४	स्टाम्प ..	२२,१५८		२२,१५८
६	रजिस्ट्रेशन	६,६३०		६,६३०
१२	कमिश्नरों और जिलों के शासन संबंधी परिव्यय	९२,१८६		९२,१८६
१९	चिकित्सा	७,६१,११७		७,६१,११७
२५	विद्युत योजनाओं पर व्यय	१०,७१,७८५		१०,७१,७८५
३०	परिवहन विभाग	१,३०,८६९		१,३०,८६९
४०	युद्धोत्तर नियोजन एवं विकास	२३,४१३		२३,४१३
४१	राजस्व सुरक्षित निधि	१,९५४		१,९५४
४३	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत	१७,४३,५६८		१७,४३,५६८
४५	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत	१२,६७,९१२		१२,६७,९१२
	कुल योग ..	५१,२१,५९२		५१,२१,५९२

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक की अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

(उत्तर प्रदेश बिनियोग १९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५

३१ मार्च, १९५१, को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम। १––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९५५, कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५, को पारित किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे वित्त मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं जितनी हमारी उम्र हुई होगी उतनी उम्र उनको इस सदन में रहते हुए हो गई होगी। लेकिन फिर भी वे हमको कन्विन्स नहीं कर पाये, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से तो यह कहा, यह तो कहता हूं कि यह अधिकार वहां जाना ही नहीं चाहिये, मैंने यह नहीं कहा। वहां तो जायगा, लेकिन जब ऐक्सेस एक दफा हो गई उनको तो रेगुलराइज़ कराना ही है। मैंने कहा कि यह वक्त ही वह हो सकता है और इन दो सवालों का जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। वैसे तो वे बुजुर्ग हैं जो कहें वह मानेंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर की सी स्पीच नहीं हुई उनकी।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ––

पक्ष में––१०१,

विपक्ष में––१३।)

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल द्वारा प्राक्कलन समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हू कि श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ने अभी थोड़ी देर पेश्तर प्राक्कलन समिति की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र दे दिया और उनका स्थान अब रिक्त हो गया है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१२ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

सूची

क्रम-संख्या	जिलों का नाम	जमींदार का नाम	प्रतिकर की निर्धारित धनराशि
			रु०
१	देहरादून ..	१—श्री राबर्ट कामपर्श ..	१०
		२—श्री जी० डी० लाइमन ..	१८४
		३—श्री आई० सी० कालेट ..	१४,५०१
२	सहारनपुर ..	१—श्रीमती ए० एल० सेसटन ..	१२,४४२
		२— „ सी० एम० वेल्स ..	६,३६०
		३— „ आर० डी० सेसटन ..	६,३६०
		४— „ बी० सेसटन ..	२३,७०७
		५— „ लिसकन ..	३७७
३	मेरठ ..	१— श्री आर० ए० प्वेश ..	८,६५६
		२— „ एम० ए० प्वेश ..	३२,४७१
		३— „ जी० टी० प्वेश ..	४,१५१
		४—श्रीमती सिन्थया ..	..
		५— „ आई० एस० मैनथन्स ..	२,७७४
		६— „ कालर आई० ई० ..	२,७७४
		७— „ वंसेरेड ..	..
४	झांसी ..	१—सेंट रोमन कैथोलिक चर्च (महाल बिंद्रावन) ..	३५२
		२—सेंट रोमन कैथोलिक चर्च (महाल राधाबाई) ..	२८
	योग ..	१७	१,२१,५०७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

प्रश्न संख्या १३ से सम्बन्धित सूची

सूची व्यक्ति जिनको ग्राम रमोल में तारीख १८ मार्च, ५५ की आग लग जाने से क्षति हुई—

क्रम-संख्या	नाम व्यक्ति		क्षति (रुपयों में)
१	श्री अब्दुल गफ्फार व रमज़ान पुत्र गुलाम नबी	..	६३४
२	" श्री अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल वहाब	..	४६९
३	" शाह मुहम्मद पुत्र बदरुद्दीन	..	१५६
४	" शकूर पुत्र नूर	..	१,३१०
५	" घासी पुत्र अब्दुल्ला ..	..	७९४
६	" बाबू पुत्र रोशन ..	..	१,२८९
७	" सिराज उद्दीन पुत्र अब्दुल गफूर	..	३१५
८	" रहीम उद्दीन पुत्र अब्दुल गफूर	..	१४५
९	" बशीर अहमद पुत्र अब्दुल गफूर	..	१,६२४
१०	" महंगू पुत्र करीम ..	..	२७२
	योग	..	७,००८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

सूची

नाम तहसील	हल्का कानूनगो	संख्या गांव
१—खलीलाबाद ..	मेंहदावल ..	१०२
	घनघटा ..	१०२
	हरिहरपुर ..	४६
	योग ..	२५०
२—हरैया ..	विक्रमजोत ..	१४५
	कप्तानगंज ..	३७
	सिकन्दरपुर ..	८
	हरैया ..	५५
	गौर ..	१६
	योग ..	२६१
३—बांसी ..	मांसेना ..	४६
	उसका ..	१३४
	चिल्हिया ..	६३
	लोटन ..	३७
	योग ..	३१०
४—डुमरियागंज ..	करही ..	१७
	डुमरियागंज ..	११
	औनिया ..	५३
	खडसूरी ..	१०
	बढ़नी ..	२१
	डरवा ..	१६
	योग ..	१२८
५—बस्ती ..	कुदराहा ..	१२२
	नगर ..	१२३
	सदर ..	२३
	योग ..	२६८

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के विषय में सूचना का विवरण-पत्र—

केन्द्र का नाम	व्यय की गई धनराशि				गर्भाधानों की संख्या					
	१९५२–५३		१९५३–५४		१९५२–५३			१९५३–५४		
	अनावर्तक	आवर्त्तक	अनावर्तक	आवर्त्तक	गाय	भैंस	योग	गाय	भैंस	योग
१	२		३		४			५		
१—सिविल वेटरनरी अस्पताल मुजफ्फरनगर	..		..		..	यह केन्द्र १९४५, ५५ में आरम्भ				
२—सिविल वेटरनरी अस्पताल, एटा	..		..		..	..	..	..	..	..
३—स्टड फार्म, नेहरू नगर, देहरादून	..		..		..	६००	..	..	..	..
४—की विलेज सेंटर, बैजनाथ, अल्मोड़ा	..		४,२००	१,३५७	..	..	..	..	..	..
५—की विलेज सेंटर, अलीपुर पट्टी, मैनपुरी	२,३३४	..	१,३२६	१,१६५	३५	६५	१००	६८	१७७	२४५
६—की विलेज सेंटर, बीकापुर, फैजाबाद	३,३३४	..	२,४३५	७९४	..	..	..	२०	८	२८
७—की विलेज सेंटर, भटाट, गोरखपुर	६,६०४	..	१,९८३	१,५३१	..	..	..	५	२११	२१६
८—की विलेज सेंटर, कसिया, गोरखपुर	..	..	४,८७६	३,१५८	..	..	..	१	६३	६४
९—की विलेज सेंटर, घोसी, आजमगढ़	४,८७८	..	५००	१,८४७	..	..	..	..	४९	४९
१०—की विलेज सेंटर रतनपुरा, बलिया	२,०००	१५०	२,०८७	१,९२८	..	..	..	..	३५	३५
११—की विलेज सेंटर कासिमाबाद, गाजीपुर	..	..	२,९७९	१००	..	..	..	..	३०	३०
१२—की विलेज सेंटर, मांठ, झांसी	..	..	यह केन्द्र अक्टूबर, १९५४ से प्रारम्भ किया गया							..
१३—सिविल वेटेरिनरी अस्पताल, हरद्वार सहारनपुर	.. ७२०	८६०	९६०	१,१४०	५६	५२	१०८	४८	५५	१०३
१४—सिविल वेटेरिनरी अस्पताल, मुरादाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१५—सिविल वेटरिनरी अस्पताल, फतेहपुर	..		..	१,९६७	..	..	..	४५	११९	१६४
१६—सिविल वेटेरिनरी अस्पताल, हरदोई	..	..	यह केन्द्र जून, १९५४ से प्रारम्भ किया गया							..